राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का १५वां दिवस [संख्या १२

शनिवार,

दिनांक १२ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, सार्वजनिक निर्माण, सहकारी, पंचायत, कृषि, विकास, सिंचाई, यातायात, योजना, चिकित्सा, उद्योग-विभाग]

प्रश्न संख्या १९७

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करील।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

निम्बाहेड़ा-चिकाड़ा-मंगलवाड सडक-निर्माण कार्य का ठेका

१९८. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निम्बाहेड़ा-चिकाड़ा तथा मंगलवाड़ रोड निर्माण कार्य का ठेका किसके नाम हुआ है तथा कितने में हुआ है?

(२) इस ठेके की शरायत के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण-कार्य कितने समय में पूरा हो जाना चाहिये?

(३) ठेका एक ही ठेकदार को दिया है या अलग अलग ठेकेदारों को?

(४) क्या इस सड़क का कुछ कार्य विभाग द्वारा भी किया जा रहा है?

(५) क्या सरकार इस सड़क के महत्व को देखते हुए इसका कार्य प्राथमिकता देकर शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है?

(६) क्या यह भी सही है कि बिजली विभाग भी इस सड़क-निर्माण में योग दे रहा है? यदि हां, तो यह कितना है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) केवल २ मील मरम्मत का ठेका श्री फकीर मोहम्मद, ठेकेदार के नाम २२,१२८.०० रु० का दिनांक २३-८-६५ को हुआ है।

(२) मरम्मत का कार्य २०-१२-६५ को हो जाना चाहिये था।

(श्री परसराम मदेरणा)

(३) कार्य केवल एक ही ठेकेदार को दिया गया है ।

(४) मरम्मत-कार्य ४ फर्लांग का विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

(५) निम्बाहेड़ा की ओर से मील ०।० से ६ मील पक्की रोड है बाकी कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(६) जी नहीं ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो मरम्मत का ठेका दिया गया है ६५ में, यह मरम्मत क्या कर रहे हैं सड़क की या किसी और की ?

श्री परसराम मदेरणा : मरम्मत तो सड़क की होती है । दूसरी मरम्मत कॉमन अर्थ में दूसरी होती है ।

श्री अब्दुलजब्बार : मरम्मत से मतलब यह है, कि क्या कंकरीट डाल रहे हैं या मिट्टी डाल रहे हैं या धूल डाल रहे हैं, या सोलिंग कर रहे हैं; क्या कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : उसमें खड्डे पड़ गये हैं, उनको भर कर पासेबल रूट हो जाय, उस पर गाड़ियां चल सकें, इस बात की मरम्मत कर रहे हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो मैंने सड़क के महत्व के ऊपर सरकार का ध्यान खींचा है, उसको देखते हुए इसको प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में बताया नहीं, क्यों नहीं प्राथमिकता दे रहे हैं, इसका महत्व क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : महत्व तो सरकार की निगाह में हर रोड रखती है, हर रोड अपनी काफी विशेषता रखती है ।

श्री अब्दुलजब्बार : Speciality !

श्री परसराम मदेरणा: स्पेशियलिटी तो इस रोड की ही नहीं, हर तहसील में जो रोड्स हैं उनकी स्पेशियलिटी नजर आती है, लेकिन सरकार के सामने अर्थाभाव होने की वजह से इस रोड को ग्रेवल रोड नहीं बनाया जा सका और जो रिपेयर की आवश्यकता थी वह रिपेयर के हैड में से कर रहे हैं। उसमें थोड़ा पैसा था, जितना हमारे पास अमाउण्ट था उसके अनुसार रिपेयर्स का काम शुरू किया ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह प्रश्न के भाग ६ में मैंने बिजली विभाग और सरकार, पी. डब्ल्यू. डी. के समन्वय के सम्बन्ध में बात कही है । उसके सम्बन्ध में आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मूव किया ?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में क्या समन्वय बैठाना चाहते हैं ?

श्री अब्दुलजब्बार : यह सड़क महत्व रखती है क्योंकि राणा प्रताप सागर से जो लाइन जा रही है पॉवर की वह भी इस रोड के बराबर गई है और जो चम्बल से आ रही है, जो बिजली उदयपुर जा रही है—ये दोनों सड़क की लेफ्ट और राइट साइड में से होकर गई हैं। यदि यह सडक खराब रहती है, तो जैसा इलेक्ट्रिसिटी और पी. डब्ल्यू. डी. से निवेदन किया कि वे इसे बनवायें, क्योंकि कभी कोई समस्या आ सकती है, इस सड़क के ऊपर से कोई विहिकल्स नहीं जा सकती है और कभी कोई डेमेज हो जाय, बिजली की लाइन खराब हो जाय तो उसे ठीक करने के लिये विहिकल नहीं भेज सकेंगे । यह प्रश्न के भाग (६) में निवेदन किया है । क्या बिजली विभाग योगदान दे रहा है ? आप फर्मा रहे हैं 'जी नहीं,' तो क्या

(श्री अब्दुलजब्बार)
बिजली विभाग ने आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने उत्तर दे दिया है आपको, 'जी नहीं'।

श्री अब्दुलजब्बार : यह 'जी नहीं' उत्तर दिया है, तो क्या बिजली विभाग को लिखा है और लिखने के बाद उसने उत्तर नहीं दिया है—क्या समझूं मैं ?

श्री परसराम मदेरणा: हम क्यों लिखते ? हम यह लिखते कि हमें पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कीजिये, यह मतलब है ?

श्री अब्दुलजब्बार: जी नहीं।

श्री परसराम मदेरणा: यह लिखने का प्रश्न नहीं है कि बिजली घर की तरफ से रोड के लिये कॉन्ट्रीब्यूट किया जाय। आज गवर्नमेंट के पास अर्थाभाव है तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन या पैसा देने को तैयार हैं; ऐसा उसकी तरफ से प्रोपोजल है नहीं और हमने इसलिये नहीं किया कि बिजली विभाग इस मामले में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। वैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की क्या स्थिति है, यह आपको मालूम है और यह सदन भलीभांति परिचित है।

श्री अब्दुलजब्बार : सवाल यह है कि प्राथमिकता देने की मांग को रखते समय in consultation with the Electricity Board, आप यह ध्यान रखें कि इसे प्रायोरिटी दी जाय सबसे पहले।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): जहां तक सड़क अच्छी हो यह अच्छी बात है और मुल्क में एतराज की बात नहीं है, क्योंकि बिजली की जो लाइन निकली है उसकी मेन्टीनेन्स में मदद मिल सकती है। लेकिन जैसा उप-मंत्रीजी ने बताया कि सरकार के सामने अर्थाभाव है, इसलिये अर्थाभाव के कारण प्राथमिकता नहीं दे सकते।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): अर्थाभाव के कारण राज्य सरकार ने जो सड़कों का प्रावधान रखा था वह कट ऑफ कर दिया था। जो बजट में पहले था और इस साल में नहीं बनी तो उसको कट ऑफ कर दिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र: जो प्रावधान रखा गया है वह आपके सामने है। जो पिछली साल मिला था उससे कम मिला है इस साल।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: कहीं कहीं ऐसा भी है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बूंदी का सारा कट कर दिया है।

प्रश्न संख्या १९९

श्री उपाध्यक्ष: श्री रावतराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २०२

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

उदयपुर और भीलवाड़ा में सर्वे

२०१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में डिटेल्ड सोइल सर्वे कराया गया है ?

Page No. 4

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(२) क्या यह सही है कि डिटेल्ड सोइल सर्वे उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में नहीं किया गया है?

(३) यदि हां, तो क्यों नहीं किया गया? अब कब तक किया जायगा?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी नहीं। केवल रिकनेसेन्स सर्वे कुछ जिलों का हुआ है।

(२) भीलवाड़ा जिले का रिकनेसेन्स सर्वे करीब करीब समाप्त हो चुका है और उदयपुर का सर्वे अभी नहीं हुआ है।

(३) नहरी क्षेत्र का डिटेल्ड रिकनेसेन्स सोइल सर्वे अत्यन्त आवश्यक है। अतः पहले इन इलाकों का सर्वे हाथ में लिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: उदयपुर जिले का करना क्या ज्यादा आवश्यक नहीं समझते?

श्री नाथूराम मिर्धा: आवश्यक तो सभी जिलों का करना है, लेकिन जितने आदमी ट्रेण्ड अवेलेबल हैं और जितना धन मिलता है उतना काम प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: उदयपुर को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते जब कि वहां कई तालाब बने हुए हैं और उत्पादन भी ज्यादा होता है, उसको क्यों नहीं प्रायोरिटी देते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: तालाब बने हुए हैं और उदयपुर में प्रोडक्शन काफी बढ़ा है और ज्यादा बढ़ सकता है इसलिये सर्वे कराने का महत्वपूर्ण विषय है और वह करना चाहिए, पर जैसा अभी कहा, पहले बहुत बड़ी तादाद में उन जमीन का सर्वे हाथ में लिया गया है जो कि बहुत मेजर प्रोजेक्ट एरिया में हैं और उनमें काफी आदमी लगे हुए हैं और जितने धन का प्रावधान योजनाओं में कर देते हैं, प्रायोरिटी उनमें खास तौर पर राजस्थान कैनाल एरिया की है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें सोइल का सर्वे होना पानी आने से पहले करना जरूरी है। चम्बल का पहले किया और दूसरे जिलों में पहले करना जरूरी था?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: क्या अन्न की समस्या को देख कर आप सोइल सर्वे को बढ़ावेंगे नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा: आप इस साल का बजट भी देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर पर ही लगाया गया है और १५-१६ करोड़ सिंचाई पर है। बिजली पर १२ करोड़ है। यह सब खेती के उत्पादन के लिये ही खर्च किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि खेती के उत्पादन पर सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): सबसे फर्टाइल सोइल कौनसे जिले की है?

श्री नाथूराम मिर्धा: जिलों में अलग अलग जिले की अलग अलग सोइल होती है। इसलिये यह कहना मुश्किल है कि कौनसे जिले की सोइल सबसे अच्छी है।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द: (पीपलदा) प्रश्न सं: २०२।

एक माननीय सदस्य: प्रश्नों में यह २००; २०१ से पहले २०२ छपा है।

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल): उपाध्यक्ष महोदय, तहसील मांगरोल के अकालग्रस्त गांवों का प्रश्न है उसके बारे में आपने पूछा है। मैं इसका जवाब दे रही हूं।

तहसील मांगरोल के अकालग्रस्त गांवों को दी गई सहायता

२००. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) इस वर्ष तहसील मांगरोल के कौन कौन से गांव पानी न बरसने से अकाल-ग्रस्त हैं और सरकार ने उन्हें क्या सहायता प्रदान की है ?

(२) क्या यह सही है कि इन गांवों में दोनों फसलें नहीं हुई हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस तहसील में चम्बल का अन-कमांड एरिया भी है ? यदि हां, तो उनमें कौन कौन से गांव आते हैं ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) पानी न बरसने के कारण तहसील मांगरोल का कोई ग्राम अकालग्रस्त नहीं है, अतः सहायता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(२) यह सही नहीं है।

(३) तहसील मांगरोल में १५८ में से केवल ३४ ग्राम चम्बल के कमाण्ड क्षेत्र से बाहर हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्राणी ने जवाब दिया कि मांगरोल तहसील में कोई गांव अकालग्रस्त नहीं है, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि ऐसे कितने गांव हैं जिनमें पानी नहीं बरसने से वहां पर काल पड़ा है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: मैं आपको बता चुकी हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या गिरदावरी को देखने से मालूम होता है कि कोई गांव अकालग्रस्त नहीं थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं उसके ही आधार पर कहती हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने सरकार को लिख कर भेजा है कि यह खसरा गिरदावरी की गई है वह गलत की गई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल: उसके आधार पर ही मैं कह रही हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: जहां पर पंचायत समितियों ने आपको रिपोर्ट भेजी है कि खसरा गिरदावरी गलत हुई है और अकाल की स्थिति है, वहां पर तो आपको अकाल घोषित करना चाहिये था !

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि ५० परसेन्ट से ज्यादा फसल जहां खराब होती है तब ऐसी स्थिति पैदा होती है, मगर वहां पर आधे से ज्यादा फसल खराब नहीं हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि तहसील मांगरोल में आधे से ज्यादा गांव हैं जिनमें फसलें पानी नहीं बरसने से खराब

Page No. 6

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
हुई हैं। तहसील ने गलत गिरदावरी दी है। मैं यह आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर आधे गांवों में दोनों फसलें नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

पंचायतों की बैठकों में अनुपस्थित रहने से हटाये गये पंच और सरपंच

२०३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले में जनवरी, १९६० से ३१ जून, १९६५ तक किन किन पंचायतों में पंचों को पंचायतों की बैठकों से अनुपस्थित रहने की वजह से हटाया गया ?

(२) कितने उपरोक्त मामलों में पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध एस. डी. ओ. के पास उजरदारियां की गईं व उनका निर्णय क्या दिया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ११ मामलों में उजरदारियां की गईं, ८ मामलों में आवेदन स्वीकार किए गए, १ अस्वीकार किया गया, २ में पंचायतों के नए चुनाव हो जाने के कारण आवेदन खारिज किए गए।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या मंत्री यह महसूस नहीं करते कि जितने केसेज में उजरदारियां पेश कीं, सिवाय १ के स्वीकार की गईं; पंचों को हटाने में गलती पंचायत की थी या एस. डी. ओ. ने अपना आर्बिट्रेरी डिसीजन दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एस. डी. ओ. ने जिन पंचों को हटाया गया उनके आवेदन-पत्र स्वीकार किये तो ऐसा मानना चाहिये कि वह पंचायत की गलती थी। ऐसा मानना चाहिये।

श्री तेजाराम गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जूडिशियली आर्बिट्रेरी पॉवर्स की बात तो दूर रही, वे पंचायतों के रिकार्ड तक को नहीं देखते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो पंच हटाये गये हैं उनका जल्दी से निष्पक्ष रूप से फैसला किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

बीकानेर तक लिफ्ट चैनल

२०४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर के बिरंदवाल हैड वर्क्स से एक हजार क्यूसेक्स क्षमता की एक लिफ्ट चैनल बीकानेर शहर तक लाने का प्रावधान राजस्थान नहर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है ? अगर हां, तो इस प्रावधान को अमल में लाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पोंग बांध के निर्माण के बाद राजस्थान नहर पैरेनियल हो जायेगी ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त नहर के पैरेनियल होने तक लिफ्ट चैनल के निर्माण कार्य को पूरा करने का प्रयास करेगी

(श्री भीमसेन)

ताकि इस योजना का लाभ बीकानेर जैसे अभावग्रस्त क्षेत्र के विकास हेतु शीघ्र प्राप्त हो सके ?

(३) क्या उक्त लिफ्ट चैनल को नागौर तक ले जाने की भी योजना है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) राजस्थान नहर परियोजना के मन्जूर-शुदा १९५७ के तखमीने में किसी भी लिफ्ट चैनल का प्रावधान नहीं था। १९६३ के रिवाइज्ड तखमीने में कुछ भाग को राजस्थान नहर से लिफ्ट द्वारा सिंचाई का प्रावधान है और उसमें १००० क्यूसेक्स की एक लिफ्ट चैनल बिरदावल से बीकानेर तक ले जाने की स्कीम शामिल है। रिवाइज्ड तखमीना अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, विचाराधीन है।

(२) यह सही है कि पोंग बांध के निर्माण के बाद राजस्थान नहर पेरेनियल हो जायगी। उपरोक्त लिफ्ट स्कीम के मन्जूर हो जाने के पश्चात् ही लिफ्ट चैनल का निर्माण-कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

(३) जी हां, इस प्रकार की योजना भी बना ली गई है और वह भी विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि यह टेक-अप नहीं किया जावे ?

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने स्टेट -वर्नमेन्ट के पास कन्सीडरेशन के लिये भेजा है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बीकानेर के लिये एस्टीमेट बनाया गया उसको बने ो वर्ष हो गये ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट है और माननीय सदस्यों को बताया गया है कि सर्वे हुआ है और एस्टीमेट बनाया गया है और राजस्थान सरकार ने बोर्ड के पास भेज दिया है और उस बीच में नागौर लिफ्ट स्कीम को लिया गया है।

श्री भीमसेन : बीकानेर में कितना खर्चा होगा ?

श्री दौलतराम सारण : ९७० लाख का खर्चा होगा।

श्री भीमसेन : क्या राजस्थान नहर परियोजना में इसका प्रोग्राम था ?

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): कतई नहीं था। लिफ्ट बाद में बना। जब यह मामला राजस्थान कैनाल बोर्ड के विचाराधीन आया तो यह हुआ कि यह स्कीम उसके साथ नहीं जोड़ सकते। इसलिये वहां के फाइनल एडवाइजर ने उसको वापिस भेज दिया।

श्री भीमसेन : जब माननीय मंत्री कहते हैं कि कोई स्कीम नहीं थी तो जब रिपोर्ट १९६३ में बनी तो उसमें यह शामिल था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह राजस्थान नहर के साथ संक्शन नहीं हुआ है।

श्री भीमसेन : अब सरकार क्या निर्णय लेती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब सरकार ने काफी अच्छा निर्णय लिया है। काफी, ६।। लाख एकड़ धरती चार पंचायत समितियों को जो २३ करोड़ की योजना बनाई है, कुछ रेट्स को लिफ्ट करके, वहां के पंचायत समिति

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ग्रौर पंचायतों व जिला परिषदों ने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि हम ज्यादा बैटरमेंन्ट लेवी देने को तैयार हैं ग्रौर यह योजना स्वीकार की जाये। राजस्थान सरकार ने इसको स्वीकृत करके पी. डब्ल्यू. डी. में भेजने का निर्णय लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर से गंगापुर तक रोडवेज की बसें

२०५. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर से गंगापुर सीधी सात-ग्राठ बसें प्रति दिन चलती थीं? यदि हां, तो क्या उन्हें एक साथ बन्द करने से यात्रियों को परेशानी नहीं होती है?

(२) क्या यह सही है कि ग्रब गंगापुर ग्राते समय तथा जाते समय यात्रियों को दौसा दो-तीन घण्टे तक ठहरना पड़ता है? इस परेशानी को दूर करने के लिये सरकार क्या विचार रखती है?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) हां, यह सही है कि पहले जयपुर से गंगापुर सीधी ९ बसें रोजाना ग्राती ग्रौर जाती थीं। १९६२ में जयपुर-भरतपुर रूट का राष्ट्रीयकरण हुग्रा। जयपुर से दौसा तक का मार्ग उपरोक्त राष्ट्रीयकरण रूट में ले लिया गया ग्रौर इस प्रकार जयपुर से गंगापुर सीधी सर्विस का ग्रन्त हुग्रा। जयपुर से गंगापुर जाने वाले यात्रियों को राजस्थान रोडवेज कारपोरेशन की जो सर्विसें जयपुर-भरतपुर जाती हैं उसमें बैठना पड़ता है ग्रौर दौसा में उतर कर दूसरी गाड़ी में बैठना पड़ता है।

(२) जी नहीं, जयपुर-भरतपुर, जयपुर-दौसा पर चलने वाली गाड़ियों का समय दौसा में इन गाड़ियों के समय को ध्यान में रखते हुए ही रखा गया है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : पहले ये सीधी बसें चलती थीं, जयपुर से गंगापुर प्राइवेट ९ बसें चलती थी, ग्रब रोडवेज चालू की है तो दौसा तक ही क्यों रखी है, सीधी गंगापुर तक क्यों नहीं रखी?

श्रीमती कमला बेनीवाल : समझ में नहीं ग्राया, दुबारा फरमायें।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : पहले जयपुर से गंगापुर तक ९ प्राइवेट बसेज चलती थीं, उनको बन्द कर दिया ग्रौर रोडवेज को चालू किया, तो इन रोडवेज को दौसा तक ही क्यों रखा गया, गंगापुर तक सीधा इन रोडवेज को क्यों नहीं रखा गया है? इसका क्या कारण है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कारण तो मैं नहीं बता सकती, कॉरपोरेशन वालों ने सोच-विचार कर तय किया था।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ग्राप कारण नहीं बता सकती तो फिर क्या बतायेंगी, कारण ही तो पूछा गया है।

उप-मंत्री, सामान्य-प्रशासन (श्री राम प्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्षजी यह पूछा गया कि ये बसेज सीधी गंगापुर क्यों नहीं जातीं, इसमें निवेदन यह है कि जयपुर से दौसा जाती हैं, कई भरतपुर को जाती हैं, कई ग्रागरा को जाती हैं। दौसा नेशनलाइजेशन के रूट पर है ग्रौर गंगापुर नेशनलाइजेशन के रू

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर नहीं है, इसलिये सीधी गंगापुर नहीं जा सकतीं। दौसा से भी गंगापुर को दिन में काफी गाड़ियां जाती हैं, उनसे गंगापुर जाने वाले चले जाते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पहले ६ प्राइवेट बसें जयपुर से गंगापुर डाइरैक्ट जाती थीं, अब डाइरेक्ट क्यों नहीं चलाते? यह सुविधा तो जनता को देनी चाहिये। जो सुविधा जनता को पहले उपलब्ध था उसको भी आपने छीन लिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुविधा के छीनने का प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीयकरण की योजना को चालू करने का प्रश्न था। भरतपुर और आगरा के रूट पर राष्ट्रीयकरण की योजना को लागू किया गया तो दौसा से यह गाड़ियां जाती हैं। इस रूट में गंगापुर नहीं आता, इसलिये डाइरेक्ट गंगापुर जाने का प्रश्न नहीं है। गंगापुर तक राष्ट्रीयकरण की योजना एक्सटेन्ड हो जायगी तो वहां सीधी जाने लगेगी। १९६७ तक तो राष्ट्रीयकरण की योजना को गंगापुर तक ले जाने का कार्यक्रम नहीं है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या यह सही है कि जयपुर से भरतपुर-आगरा को जाने वाली बसें दौसा की सवारियों को नहीं लेती हैं?

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपने कहा कि ध्यान में रख कर बसों का टाइम रखा गया है जिससे कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो, यह मंत्री महोदय बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं, यात्रियों को वहां पर पड़े रहना पड़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य चाहें तो हर बस का टाइम बता सकता हूं, कई गाड़ियों में तो एक-एक घण्टे का इन्टरवेल भी नहीं है। दौसा से आगे गंगापुर को एक घंटे के भीतर-भीतर गाड़ियां जाती हैं। एक-एक घन्टे के बाद कई बसेज जाती हैं। तो यह जो कहा गया है कि तीन-तीन, चार-चार घंटे यात्रियों को दौसा पर पड़े रहना पड़ता है, यह सही नहीं है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मैं उस रास्ते से आता-जाता हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यात्रियों को वहां पड़े रहना पड़ता है, मंत्री महोदय कहते हैं कि बिल्कुल नहीं ठहरना पड़ता है, आगरा से बसेज आती हैं, उनमें सवारियां लेते नहीं हैं, रात की गाड़ियों से यात्रियों को आना पड़ता है। मंत्री महोदय बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। वहां से इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो मोटर स्टैण्ड वाले इन्क्वायरी नहीं करने देते हैं। जयपुर से दौसा को जब आपकी बसेज प्लाई करती हैं तो जयपुर से गंगापुर प्लाई करने में क्या दिक्कत है?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह दिक्कत माननीय सदस्य ने उठाई है तो क्या सरकार दौसा-गंगापुर रूट को भी नेशनलाइज करने का विचार रखती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अभी जवाब दिया है कि नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम कॉर्पोरेशन ने बनाया है। १९६७ तक की योजना में तो इसको नेशनलाइज करने का कार्यक्रम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : गंगापुर से दौसा तक प्राइवेट बसेज आती हैं तो उनको जयपुर तक क्यों नहीं आने दिया जाता?

श्री रामप्रसाद लढ़ा : इसमें नेशनलाइज्ड रूट का ओवरलैपिंग पड़ता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर से जयपुर तक प्राइवेट बसेज आती हैं ?

श्री रामप्रसाद लढ़ा : इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गंगापुर से जयपुर तक प्राइवेट बसेज के आने में क्या दिक्कत है ?

श्री रामप्रसाद लढ़ा : यह अलग प्रश्न है, ऑफहैंड इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। कानून के प्रावधान का प्रश्न है, इस बारे में मैं ऑफ हैंड कुछ नहीं कह सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी कहा कि गंगापुर से सीधी जयपुर प्राइवेट बस को आने देने में नेशनलाइज्ड रूट का ओवर लैपिंग पड़ता है इसलिये जयपुर से गंगापुर नहीं दे सकते, तो सवाई माधोपुर से जयपुर कैसे आती हैं ? सारे केसेज में यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिये ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जयपुर से सवाई-माधोपुर बस के आने की बात आप कर रहे हैं यह सही नहीं है, सवाई माधोपुर से टोंक आती है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : नहीं, दौसा होती हुई जयपुर आती है, मैं खुद आया हूं ।

श्री रामप्रसाद लढ़ा : सवाई-माधोपुर से जयपुर कोई पक्के रास्ते पर कोई रूट प्लाई नहीं करता, माननीय सदस्य के दिमाग में हो तो वह पक्के रास्ते पर नहीं कच्चे रास्ते पर आती होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाई माधोपुर से जयपुर तक तो पक्का रास्ता है । सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा, जयपुर बस आती है, यह रास्ता पक्का है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : दौसा से सैंथल तक आती है पक्के रूट पर ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

ऑर्डर प्लीज !

बांध का सर्वे

२०६. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कनवास क्षेत्र, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा को सिंचित करने हेतु अरू नदी पर सोमल्या गांव के पास बांध का सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो इस बांध से कौन कौन से गांवों में कितनी कितनी भूमि सिंचित होने की संभावना है ?

(२) क्या यह सही है कि बड़े बांध के अभाव में छोटे छोटे एनीकट व पिकअप वेयर द्वारा इस नदी के पानी को सिंचाई के लिये अधिक उपयोग किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन किन स्थानों पर इस प्रकार के एनीकट्स व चैक डैम आदि बनाने का प्रस्ताव है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां । सोमारिया ग्राम से लगभग २ मील दक्षिण पश्चिम की ओर एक

Page No. 11

(श्री दिनेशराम डांगी)
बांध स्थल का निरीक्षण किया गया है तथा तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाया तो इस कार्य को सर्वे के प्रोग्राम में लिये जाने के लिये कार्यवाही की जायगी।

(२) इन छोटी छोटी योजनाओं पर पंचायत समितियों को विचार करना चाहिये।

श्री कुमारसिंह : सीमल्या का सर्वे कराया है क्या ?

श्री दिनेशराम डांगी : मैंने कहा कि सर्वे नहीं कराया, निरीक्षण करवाया है।

श्री कुमारसिंह : दूसरा, पिक-अप वेयर्स के लिये कहा कि पंचायत समितियों के दायरे में आ जाते हैं, तो क्या उसका सर्वे कराया गया है ?

सिंचाई मंत्री, (श्री नाथूराम मिर्धा) : पंचायत समिति के दायरे की चीज बाहर होने से क्या मतलब है ? २५ हजार तक की योजना पिक-अप वेयर्स में पंचायत समिति खुद हाथ में ले सकती है। २५ हजार के ऊपर की हो तो हमें बतायें।

श्री कुमारसिंह : सर्वे स्टाफ की इतनी कमी है कि वह एरिया सर्वे नहीं हो पाया है। जितने नाले हैं, नदियां हैं, definitely every scheme would be of more than twentyfive thousand atleast.

श्री नाथूराम मिर्धा : सर्वे स्टाफ की कमी वैसे हमारे पास भी है, उनके पास भी है। धन की कमी है, स्टाफ की कमी है, फेज्ड-आउट प्रोग्राम में जितना किया जा सकता है उतना कर रहे हैं।

श्री कुमारसिंह : यों मोर फूड के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वहां स्पेशल स्टाफ भेजा था इस बात को देखने के लिये कि क्या वहां इस प्रकार का प्रबन्ध किया जा सकता है कि जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़े? उन्होंने सर्वे किया है; उन्होंने कहा है कि इरिगेशन की वहां बहुत पोसिबिलिटी है। १६ डीजल-पम्पिंग सेट्स वहां काम कर रहे हैं, अगर वहां परमानेन्ट सर्वे करें तो वहां माइनर इरिगेशन को अत्यधिक डेवलप कर सकते हैं। तो क्या आप वहां सर्वे करवायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कह रहे हैं उसके अनुसार हम ठीक कर रहे हैं और करने की आवश्यकता होगी तो सामर्थ्य के अनुसार वह भी करेंगे। परमानेन्ट सर्वे के लिये सावन-भादों का साइट बताया पर वह इकोनोमिकली ठीक नहीं है इसलिये जो फिजिबल हैं उनको किया है और जो हो सकेगा वह करेंगे।

रेगिस्तान के फैलाव को रोकने की योजना

२०७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में रेगिस्तान के बढ़ाव व फैलाव को रोकने की दृष्टि से किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि योजना आयोग ने एक मरु विकास मंडल स्थापित करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी पूंजी की व्यवस्था की गई है और इसके कार्य-संचालन में क्या प्रगति आई है ?

Page No. 12

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) राज्य में कुल कितना इलाका ऐसा है कि जिसको राज्य सरकार रेगिस्तान मानती है ?

उप-मंत्री, योजना (श्रीमती कमला बेनीवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब देना अभी संभव नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो प्लेन और सिम्पल सवाल है कि राजस्थान में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए क्या योजना है और जो मरु विकास मंडल स्थापित किया है उसके लिए कितनी पूंजी की व्यवस्था की गई है ? यह तो ऐसा प्रश्न है कि स्वयं सरकार को आगे बढ़कर काम करना चाहिए और बताना चाहिए ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह महत्वपूर्ण सवाल है । इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है । इसलिए आप अगले दस तक इंतजार करें तो संतोषप्रद जवाब दिया जावेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास जो जानकारी है वह तो बता दीजिए, बाकी जानकारी बाद में दे दें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं अधूरी जानकारी देना सही नहीं समझती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मंत्री ही अधूरी हैं—डिप्टी मिनिस्टर ।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैं कोशिश करके आपको कुछ संतोष दिला सकूंगा । पहले सवाल के जवाब में यही कहना है कि राजस्थान का काफी बड़ा एरिया रेगिस्तान है । राजस्थान के रेगिस्तान का दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ा है; जैसे यू० पी० पर, पंजाब पर, काश्मीर तक यहां की धूल असर डाल रही है, इसलिए इसको रोकने के बारे में, जैसे आपने कहा, दो नंबर में सवाल पूछा है, योजना आयोग ने राजस्थान, गुजरात पंजाब और यू० पी०. इन सब राज्यों का एक बोर्ड बने और इस समस्या को हल करें इसका बोर्ड निर्णय लिया है और उस बोर्ड के बनने के बाद मीटिंग होगी । क्योंकि चौथी योजना अभी पूरी फाइनल नहीं हुई है इसलिए इस योजना को हल करने के लिए कितने धन का प्रावधान किया जा सकता है, इसको फाइनलाइज नहीं किया है । तीसरा, जो आपने सवाल किया है, उसके जवाब में मुझे यह निवेदन करना है रेगिस्तान को मानने के बारे में, जो ६-७ जिले हैं खास तौर से—जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर. उसके बाद में बीकानेर, पार्ट ऑफ गंगानगर, सीकर, झुंझुनूं ये खास तौर से डेजर्ट इलाके हैं, जिनसे रेत उड़ती है, जिसका असर दूसरे इलाकों पर भी पड़ता है । खास तौर से अगर यहां रोक सकें तो आगे इसका असर कम होगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : राजस्थान के आपने जिले तो बता दिए, लेकिन कुल कितना क्षेत्रफल इस प्रकार का है डेजर्ट एरिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान का एरिया कुल १,३२,००० स्क्वायर माइल्स है । उसमें से तब जिले का करीब करीब सारा हिस्सा, बीकानेर पूरा आएगा, नागौर का आधा, जोधपुर का आधा, बाड़मेर का करीब पूरा है, जैसलमेर का आधे से कुछ ज्यादा ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो हम भी जानते हैं । अब बताइए कि राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर असर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान के डेजर्ट एरिया का क्षेत्रफल कुल मिलाकर ५० हजार स्क्वायर माइल्स है।

श्री भैरोंसिंह : बीकानेर जिले का कितना एरिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साढ़े आठ हजार स्क्वायर माइल्स। और पूछ लीजिए।

श्री भैरोंसिंह : जैसलमेर का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १६ हजार। इसमें से ७-८ हजार स्कवायर माइल्स के करीब वह डेजर्ट के अन्दर नहीं है बल्कि मगरा टाइप एरिया है।

श्री भैरोंसिंह आप बीकानेर जिले की कोलायत तहसील को डेजर्ट मानकर नहीं चल सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो डेजर्ट से अफेक्टेड हैं, जहां रेत उड़ उड़ कर छा गई है, उसको डेजर्ट एरिया से बाहर नहीं निकाल सकते।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि जो शुमार से अफेक्टेड हैं उसको भी डेजर्ट में डेजर्ट करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : योजना आयोग ने इस बोर्ड का गठन किया है। इस काम को वह जब तक शुरू नहीं करता तब तक राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रोग्राम नहीं रखती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह रखा है। सोइल कन्जर्वेशन का प्रोग्राम इन जिलों के अन्दर, खास तौर से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर है, वह पिछले ६ साल से काम कर रहा है; उनका एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है इस डेजर्ट पर कैसे काबू पाया जाय और कौनसे ट्रीज, कौनसा ग्रास और झाड़ियां लगाई जायं जिसकी वजह से यह काम हो। एरिया जोन में कोई रोडसाइड प्लांटेशन का काम, सैंड ड्यून्स फिक्सेशन से एफोरेस्टेशन का काम कई इलाकों में किया है।। पर राजस्थान के जो सीमित साधन हैं, उनके हिसाब से यह काम किया है। बाकी यह बहुत कम है, जितना अभी किया जा सकता है उतना किया है।

[redacted]**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बोर्ड कब तक काम करना प्रारम्भ करेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निश्चित तौर से तो नहीं कह सकता क्योंकि चौथी योजना का पूरा आकार बना नहीं; तब तक यह कहना मुश्किल है कि भारत सरकार इस बोर्ड को आगे चलाने के लिए क्या प्रावधान कर सकेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड का जितना खर्चा होगा उसमें कन्ट्रीब्यूशन्स होंगे या सेन्टर सारा खर्चा बरदाश्त करेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इतने डिटेल्स तो तय नहीं हुए हैं। पर स्टेट्स के जो रिसोर्सेज हैं वे भी योजना आयोग के सामने हैं और स्टेट के रिसोर्सेज का कौनसा हिस्सा, किन योजनाओं का प्रोग्राम जैसे फोरेस्ट या दूसरे सोइल कन्जर्वेशन या सैंड ड्यून्स फिक्सेशन उनका उससे कितना सम्बन्ध हो सकता है, ये सब चीजें अभी तय होनी हैं। पर ज्यादा खर्चा भारत सरकार को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा।

Page No. 14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अब तो मैं समझता हूं कि आप संतुष्ट हो गए होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

किसानों को बीज, खाद व तकावी का वितरण

२०८. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाटन पंचायत समिति, जिला बूंदी के द्वारा किसानों को बीज खाद व तकावी वितरित की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि जो बीज व तकाविया समय पर जमा करवाना चाहिए थीं वे अभी तक भी नहीं करवाई गई हैं ?

(३) यदि हां, तो कौनसी पंचायत में कितना कितना बीज, खाद व तकावी की बकाया है ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

विकास मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) :

(१) जी हां।

(२) बीज व तकावी की कुछ वसूली बकाया है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपकी लिस्ट के अनुसार १९६१-६२ के हजारों मन गल्ला बीज बाकी है उसके बाद भी उनको तकाविया और बीज मिलते रहे हैं; १,१३,९) रु० की तकावी बकाया है। उसको बराबर क्यों बांटते रहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वसूल नहीं हुआ और जिस अधिकारी से यह गलती हुई है उसके खिलाफ इन्क्वायरी और कार्यवाही के लिए हमने लिख दिया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कब से इन्क्वायरी कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से आपका सवाल आया तब मैंने लिख दिया कि इन्क्वायरी की जाय, जिम्मेदारी फिक्स की जाय और जिस अधिकारी की गलती है ...

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप मान कर चलते हैं कि यदि मेरा सवाल नहीं आता तो कोई वसूली नहीं होती और बीज वगैरह चले जाते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने स्वीकार किया कि वसूली नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी, उसके लिए इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं।

श्री कुम्भारसिंह (चैनट) : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों को बहुत ऋण दिए हैं उनकी डिमान्ड लिस्ट नहीं बनाई की है ? इस तरह की बकाया केवल बूंदी जिले में ही नहीं बल्कि सब जिलों में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहें तो जनरल सवाल का जवाब देना मुश्किल है।

श्री कुम्भारसिंह : १९६२-६४ की डिमान्ड लिस्ट नहीं पहुंची है। काश्तकार कहते हैं कि कोई मांगता नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसमें एक प्रश्न है। कई लोग हैं जिनको बीज नहीं मिले। पंचायतों के मार्फत बीज मिलने से सरपंच ने क्या किया है, आप उसकी जांच करें क्योंकि सारे पोलिटिकल मामले हैं। सरपंच ने क्या

Page No. 15

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
पंचायत समिति से, किसान ने तो बीज डाला नहीं जमीन में इसलिए वह वापस देने के लिए तैयार नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने नई बात बता दी। यह आपके सवाल में नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे अलग से सूचना दें, मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा। आपका पोइन्ट इस सवाल से कवर नहीं होता है। यह बल्कि ऐसी बात है जैसे कोई गबन हो गया, आप मुझे ऐसी पंचायतों के सरपंचों के नाम दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पूरी लिस्ट है।

एक माननीय सदस्य : फिर आप बाकी क्या करेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सदन में जब एक माननीय सदस्य कोई बात कहता है कि इस प्रकार की बात है तो उसके अलावा और भी लिखकर देना जरूरी नहीं है। आप इसकी कॉग्नीजेंस ले सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कॉग्नीजेंस लेने के लिए कोई इन्कार नहीं करता, मगर मुझे मामले की डिटेल्स नहीं मिलें तो तब क्या कर सकता हूं ? ५० पंचायत समितियों में से किन किन सरपंचों ने ऐसा किया है ; हरेक की जांच करना मुश्किल है। आप कुछ डिटेल्स दें, बाकी मैं करूंगा।

प्रश्न संख्या २०९

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयपाल कटारा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१०

श्री उमरावसिंह डाबरिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान।

ग्राम गुडली के पास बन्ध बनाने की योजना

२११. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि ग्राम गुडली (गिरवा) के पास जूना पानी का बंध बनाने की योजना है और इसका सर्वे भी हो चुका है ?

(२) इस बंध के लिये कितनी राशि मंजूर हुई है और इस से कितने एकड़ की सिंचाई हो सकेगी ?

(३) क्या सरकार अकाल की स्थिति को देखते हुए इस योजना पर शीघ्र कार्य आरम्भ करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) आवश्यक सर्वेक्षण के पश्चात् यदि यह योजना उपयुक्त पाई गई तो अवश्य विचार किया जावेगा।

श्री जोधसिंह चौहान : सुनाई ही नहीं दिया।

श्री दिनेशराय डांगी : फिर से सुनिये।

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

Page No. 16

(श्री दिनेशराय डांगी)

(३) आवश्यक सर्वेक्षण के पश्चात् यदि यह योजना उपयुक्त पाई गयी तो अवश्य विचार किया जावेगा।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने कहा कि सर्वे नहीं हुआ। लेकिन ७० हजार रुपया मंजूर हो गया था, उपाध्यक्ष महोदय। जिला प्रमुख मेरे क्षेत्र में यह काम नहीं कराना चाहते हैं इसलिये इसको रोक रखा है। उन्होंने इस प्रकार कहा भी है। इसलिए सरकार को इसमें रुपया देना चाहिये। अकाल की भी बड़ी भारी समस्या है इसलिये लोगों को राहत मिलेगी और सिंचाई भी होगी।

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आपने तो कह दिया। हम 'ना' कहां कह रहे हैं?

सर्वे करने वाले होंगे और पैसा होगा तो जरूर करेंगे। सर्वे किए हुए ही काम इतने पड़े हुए हैं जिनका रिटर्न भी काफी आता है तो नये सर्वे कहां से करेंगे, उनका सवाल पहले नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसका सर्वे होने के बाद और अमाउन्ट सेंक्शन होने के बाद इसको ड्रॉप क्यों किया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सर्वे नहीं हुआ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ना। सवाल ही पहली दफा उठाया गया है।

श्री जोधसिंह चौहान : ७० हजार की सेंक्शन हो गई। अफसोस की बात है कि काम नहीं कराते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यकीन मानिये कि यह बात बिल्कुल गलत है। इस बांध का नाम ही पहली दफा हमारे सामने आया है।

श्री जोधसिंह चौहान : ७० हजार रुपया सेंक्शन हो चुका है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिला प्रमुख ने वहां आकर कहा कि जोधसिंह की कॉन्स्टिट्यूएन्सी है इसलिये वहां यह खर्च नहीं किया जावेगा। इस प्रकार का उनका कथन है, इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज।

सान्डेराव नदी पर पुलिया व पक्की रपट

२१२. **श्री मोहनराज** (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) क्या यह सही है कि आबू-जोधपुर सड़क पर केवल सान्डेराव नदी पर पुलिया व पक्की रपट न बनने से वर्षाकाल में इस अत्यन्त व्यस्त सड़क पर यातायात ठप्प हो जाता है?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को मद्दे नजर रखते हुए पिछले ३-४ वर्ष से लगातार प्रतिवर्ष बजट में प्रावधान रखा जाता रहा है, पर कार्य न कराया गया?

(३) क्या राज्य सरकार इस कार्य के महत्व को समझते हुए इस वर्ष इसे पूरा करवाने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां। मीठड़ी नदी

(श्री परसराम मदेरणा)
अधिक वर्षा होने पर यातायात की असुविधा हो जाती है।

(२) केवल वर्ष १९६५-६६ में ४०,००० रु० का प्रावधान है।

(३) अर्थाभाव के कारण यह संभव नहीं है।

श्री मोहनराज : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि ऐसी नदियों पर इस प्रकार की पुलिया बनाने का काम जरूरी है जहां वर्षा काल में आने-जाने में कठिनाइयां हुई हैं और यह राज्य सरकार भी महसूस करती है कि कठिनाइयां होती हैं और दोनों ओर का ट्रैफिक रुक जाता है, ऐसी सूरत में इसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पूछा है वह हाइपोथेटिकल है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि यह बता सकूं कि पहले को इसी की बहुत जरूरत थी, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस नदी पर, सतरावा के आस-पास यह नदी निकलती है, १.६० हजार का प्रोविजन था। कॉज-वे बनाना चाहते थे, नीचे से पानी निकालना चाहते थे। लेकिन फिर हाई लेवल ब्रिज की बात सोची गयी क्योंकि वह उपयुक्त नहीं समझा गया। उसका एस्टीमेट ४.६७ हजार का था। उसके कागजात भेजे गये। १३ करोड़ का प्लान था कोर ऑफ दी प्लान ११।। का ही बाद में रह गया। उस प्रपोर्शन में काम लिया जाने वाला था वह लिया गया। अब इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन इसलिये नहीं दे सकते कि ४० हजार का ही प्रोविजन है। आज यदि टेन्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर इसे केरी फोरवर्ड करने के लिये कैसे सम्भव होगा? राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए और कोई प्रावधान भी नहीं हो सकता, इसलिये इस वर्क को नहीं लिया जा सका।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

बन्या का तालाब की डूब में आयी जमीन का मुआवजा

२१३. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बन्या का तालाब, जिला चित्तौड़गढ़ का कार्य कब पूरा हुआ?

(२) इस तालाब में कितने गांवों के कितने व्यक्तियों की कितनी जमीन डूब में आई?

(३) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों की जमीन डूब में आई है उन्हें न तो बदले में जमीन मिली है और न मुआवजा? यदि नहीं, तो किस किस को जमीन अथवा मुआवजा दिया गया है?

(४) क्या इन्हें मुआवजा मिलने की कोई अवधि निर्धारित है? अगर नहीं, तो क्यों?

(५) भविष्य में कब तक कुल जमीन का मुआवजा अथवा जमीन इनको दी जा सकेगी?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) सन् ५९-६० में।

(२) इस तालाब में पांच गांवों के ७१ व्यक्तियों की ११५४ एकड़ जमीन डूब में आई।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(३) यह सही नहीं है। जिन व्यक्तियों की जमीन डूब में आई है उन्हें जमीन के बदले में जमीन मिल चुकी है तथा मुआवजा लेने वालों को मुआवजा भी दिया जा चुका है।

(४) अतः प्रश्न नहीं उठता।

(५) संबंधित सभी व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या सिशोदियों के सावड़े वालों को मुआवजा दिया जा चुका है?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, उनको दिया जा चुका है। एक आदमी का बाकी था उसको १६ तारीख को दिया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मुझे अधिकार दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या २१४

श्री मथुरेशबिहारी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको प्रेस नहीं करना चाहता।

यह प्रश्न कल पूछा जा चुका है (प्रश्न संख्या २१५)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

पशुपालन सुधार योजना के अन्तर्गत दी गई तकावी

२१६. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां पंचायत समिति के ग्राम फतेहपुर के दो नागरिक श्री सूरजमल शर्मा व श्री गणपतलाल जाटव को कुछ वर्ष पूर्व पशुपालन सुधार योजना (कैटिल ब्रीडिंग फार्म) के अन्तर्गत जो करीब तीन-तीन हजार रुपयों की तकावी दी थी उसका क्या हुआ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने इन रुपयों का सही उपयोग नहीं करके अपने निजी काम में ले लिया?

(३) क्या यह सत्य है कि तकावी का दुरुपयोग किये जाने पर उसी समय वसूल करने का नियम है?

(४) यदि हां, तो अब तक इनसे तकावी की रकम किन कारणों से वसूल नहीं की गई और कब तक वसूल करली जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) सही उपयोग नहीं किया गया है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) वसूली की कार्यवाही जारी है। निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि वसूली कब तक कर ली जावेगी। पंचायत समिति वसूली की कार्यवाही कर रही है।

श्री दयाचन्द सोन : वसूली की यह कार्यवाही कितने दिनों से चल रही है?

Page No. 19

श्री दामोदरलाल व्यास : काफी दिनों से चल रही है। ठीक तारीख तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जब से यह डिटेक्ट हुआ है कि तकावी का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हुआ है वसूली की कार्यवाही उस वक्त से ही चल रही है। पंचायत समिति को दुबारा ताकीद लिख दी है कि फौरन वसूली की कार्यवाही करे।

श्री दयाचन्द सोन : सात आठ साल की की बात हो गयी है। तहसीलदार और बी. डी. ओ. से कहा है। वे सात-आठ साल से नहीं कर रहे हैं। सौ दो सौ रुपया तकावी के लेते हैं उनसे तो आप वसूल कर लेते हैं और दो हजार रुपया लेते हैं तो दूसरे काम में खर्च कर देते हैं उनसे वसूल नहीं करते हैं। आप यह विश्वास दिलायें कि अमुक समय पर वसूली कर ली जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत समिति को लिख दिया जावेगा कि तीन महीने में वसूली कर ले, नहीं तो अटेचमेन्ट वगैरह इश्यू किये जावेंगे।

श्री दयाचन्द सोन : इस रकम के अलावा और भी कोई लोन ले रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। सवाल में भी आपने दूसरे लोन के लिये नहीं पूछा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

रानीवाड़ा-सांचोर पक्की सड़क पर डामर

११७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा-सांचोर पक्की डामर सड़क रानीवाड़ा से दांता तक बीस मील इस साल बनाने की सरकार की योजना है और उसका ठेका भी ठेकेदारों को दे दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इसका निर्माण कार्य धीमा चल रहा है ? अगर हां, तो इतना धीमा निर्माण कार्य होने के क्या क्या कारण हैं। क्या संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ समय पर कार्य न करने के लिये विभाग उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लावेगा? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? उपरोक्त बीस मील की सड़क का निर्माण कार्य कब तक सम्पूर्ण होने का अनुमान है ?

(३) क्या यह सत्य है कि बाकी की सड़क के १० मील के टुकड़े का कार्य भी अगली साल सरकार द्वारा पूरा कर दिया जावेगा ?

(४) क्या यह सत्य है कि इसी सड़क पर ग्राम ताड़ेतर एवं लाछड़ी के दरमियान वर्षा में सड़क पर पानी आने से आवागमन रुक जाता है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस साल सड़क को ठीक करके इस कठिनाई को मिटा देगी ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्य किया जावेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं। मील ०।० से ६।० तक का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मील ६।० से १५।० तथा १५।० से २० मील तक के ठेके हो चुके हैं।

(२) मील ६ से १५ का कार्य धीमा है जिसका कारण अप्रेल, १९६५ में ट्रकों तथा डीजल आइल का अभाव रहा है। आवश्यक-

(श्री परसराम मदेरणा)
तदनुसार ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आशा है २० मील तक का कार्य चतुर्थ योजना में पूर्ण हो जावेगा।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, किन्तु इस वर्ष नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने पहले सवाल में 'जी नहीं' कहा है यह किस आधार पर कहा है? डामर सड़क बनी है और आगे कार्य चालू है।

श्री परसराम मदेरणा : इस साल आपने बीस मील बनाने को कहा। इस साल में यह नहीं हो सकेगी, इसलिये 'जी नहीं कहा' है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ११ मील जो अण्डर कन्स्ट्रक्शन है, ठेकेदार को डीजल नहीं मिलने से यह सड़क रही। उसने तीन महीने तो काम ही नहीं किया। डीजल की शार्टेज आई तो थोड़ी दिक्कत जरूर थी, लेकिन निर्धारित समय में काम पूरा हो जाता तो आगे का काम जल्दी होता। इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : पहले अकाल में और बाद में इन्डो-पाक कॉन्फ्लिक्ट्स सितम्बर में हुए। कुछ पी. डब्ल्यू. डी. की गाड़ियां उस ओर रहीं। डीजल की कमी थी और निर्धारित समय में काम खत्म करना था, फरवरी, १९६९ तक कार्य पूरा करना चाहिये था। नोटिस दिया गया और उसके बारे में नियमानुसार कार्यवाही होगी। हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के अधिकारी वहां पर मौके पर रहते हैं। किसी कान्ट्रेक्टर के सामने कुछ कॉम्प्लिकेशन्स हों, जो जेनुइन हों, तो उस मामले में हम रियायत देते हैं। जो अनफोरसीन कॉम्प्लिकेशन्स हों, हम आशा करते हैं कि जिस रफ्तार से कार्य चल रहा है उससे जल्दी ही पूरा हो जायगा।

इसके अलावा निर्धारित तारीख तक तो काम खत्म कर देना चाहिये था वह पूरा नहीं होता है या किन्हीं वजह से वह काम नहीं कर सकता तो वह पीरीयड माइनस कर लेते हैं। बाकी पीरीयड में यह पाया जाता है कि उसने काम नहीं किया या कर नहीं सकता तो टेन्डर के अन्दर दी हुई शर्तों के अनुसार उनका बीच हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस प्रश्न के पैरा ४ में बताया गया जो दो मील का टुकड़ा है उसके नहीं होने के कारण बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है। वही एक मात्र जो रोड है जो बोर्डर की तरफ जाती है। अगर उसको नहीं बनाते हैं तो सारा कनेक्शन बन्द हो जाता है। क्या इसके बारे में कोई योजना सरकार ने बनाई है, इसको कब तक पूरा कर देंगे?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा-सांचोर सड़क की बात है, और आप सांचोर से होते हुए हड़ोतरा गांव की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम बीस मील के बीच का वर्क नहीं ले सकते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बारे में पहले ही स्पष्ट हो चुका है, यह रूट बन्द नहीं है इसके लिये पहले से ही प्रावधान कर रखा है। आप जानकारी करिये इसके लिये प्रोवीजन रख रखा है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या आप इस रोड को चुनाव के पहले पूरा करवा देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के आधार पर कह सकता हूं, कोई भी प्रोग्राम हाडोतरा के पास बने इस तरह का नहीं। आप जिसके लिये प्रावधान होने का कह रहे हैं मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रावधान नहीं है और पोस मीन में कोई काम लेने की स्थिति में नहीं हूं अर्थ-भाव के कारण। जो कमिटेड वर्क्स के लिये खर्च होने वाला था उसके लिये जहां १.६७ करोड़ का प्रावधान रखा था उसके लिये १ करोड़ की ही स्वीकृति मिली है, तो ऐसी हालत में वे वर्क भी नहीं ले सकते, तो नए वर्क कैसे ले सकेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लास्ट ईयर आश्वासन दिया गया था मिनिस्टर साहब द्वारा यही एक सड़क है सारे जिले में जो बोर्डर की तरफ जाती है। और बोर्डर की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए प्रावधान भी है, ऐसी हालत के अन्दर इस टुकड़े को पूरा नहीं करेंगे तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री महोदय तो गये होंगे, लेकिन मैं भी दसों बार इस सड़क से गुजरा हूं, माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन रेफरेंस टू कान्ट्रेक्ट में दिया थो, जब कि थर्ड प्लान में सडकों के लिए १३ करोड रखा था, लेकिन उसके बजाय केवल ६ करोड़ रखा दिया गया। उस समय हालात दूसरे थे, बदलती हुई हालातों में राज्य सरकार अपने आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ है, उसकी वित्तीय स्थिति नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : डिफेन्स के काम को महत्व दिया जाना चाहिये, उसके हिसाब से इस सड़क का बनना बहुत आवश्यक है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : डिफेन्स रोड्स की इम्पोर्टेंस है और इसकी सर्वे भी हो चुकी है, गुजरात वाले इसको कर भी चुके हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : गुजरात वालों ने अपने बोर्डर तक तो पूरा कर दिया, लेकिन सांचोर के पास सड़क नहीं, यह अफसोस की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

रोड रोलर्स का किराया

२१८. हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह **बताने की कृपा** करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सब-डिवीजन कुशलगढ़ में जो सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनके लिये किसी प्राइवेट कम्पनी के रोड रोलर्स किराये पर मंगाये गये हैं ? यदि हां, तो कितने, कब और किस कम्पनी से ?

(२) क्या यह सही है कि विभागीय रोड रोलर्स उपलब्ध हैं और वे अच्छी हालात में हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(३) किराये पर लिये गये रोड रोलर्स का प्रति माह क्या किराया देना पड़ेगा तथा विभागीय रोड रोलर्स होते हुए भी यह किराये पर क्यों लिये गए हैं ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (**श्री** परसराम मदेरणा) : (१) यह सही है, २ रोड रोलर मास दिसम्बर, १९६५ में रोड

Page No. 22

(श्री परसराम मदेरणा)
इंजीनियरिंग कम्पनी, देहली से किराये पर लिये गये हैं।

(२) केवल १ रोलर्स साधारण हालत में हैं।

(३) ३० रुपये प्रति दिन की दर से किराये पर हैं। विभागीय रोड रोलर्स अपर्याप्त होने तथा कार्य की अधिकता को देखते हुए रोलर किराये पर लिये गये हैं।

श्री हीराभाई : अभी कितनी जगहों पर ये रोड रोलर काम आ रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा, काम काफी था, डिपार्टमेन्ट के पास जो रोलर्स थे वे पर्याप्त नहीं थे, उनसे काम पूरा नहीं हो सकता था, इसलिये रोलर्स किराये पर लिये हैं, वे काम कर रहे हैं।

श्री हीराभाई : अभी कितने स्थानों पर काम चल रहा है? क्या हमारे जो तीन रोलर्स हैं उनसे काम नहीं हो सकता था? मैं जानना चाहता हूं कि काम कितनी जगह चल रहा है; दस जगह पांच जगह या सात जगह?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता कि कितने स्थानों पर काम चल रहा है। यह १०० मील लम्बी सड़क बनाने का काम है। हमारे पास केवल तीन रोलर्स हैं जिनसे इतना काम नहीं हो सकता था और १०० मील की सड़क का काम निर्धारित समय में पूरा करना है इसलिये ये रोलर्स किराये पर लिये गये हैं।

श्री हीराभाई : मैं यही तो जानना चाहता हूं, यदि दो-तीन जगह ही काम चलना था तो अपने यहां के ही रोलर्स काफी थे, अगर दस जगह काम चलता है तो आप बताइये। जब केवल दो जगह ही काम चलाना था तो किराये पर लेने की क्या आवश्यकता है?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने निवेदन किया १०० मील लम्बी सड़क बनाने का काम था, उसके लिये हमारे पास जो तीन रोलर्स हैं वे काफी नहीं हैं। अगर ये काफी थे तो हमें किराये पर लेने की क्या आवश्यकता थी? चूंकि सड़क बहुत लम्बी बनानी थी उसके लिये तीन रोलर्स काफी नहीं थे इसलिये रोलर्स किराये पर लिये गये ताकि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। यह काम समय पर खत्म हो जाय इसलिये सतर्कता बरती है, यह जरूरी था और आवश्यक था इसलिये रोलर्स लिये गये।

श्री हीराभाई : क्या जो विभाग के पास में हैं वे और किराये पर जो लिये गये हैं उन सबसे वर्क हो रहा है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सभी वर्क कर रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : केवल कागजों में ही वर्क कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जो हमारे रोलर्स हैं वे बांसवाड़ा-कुशलगढ सड़क पर, बांसवाड़ा-प्रतापगढ और बांसवाड़ा-कुशलगढ इन पर काम कर रहे हैं। और जो किराये पर लिये हैं वे काम कर रहे हैं कुशलगढ-उदयपुर-बांसवाड़ा-आसपुर रोड पर काम कर रहे हैं।

श्री हीराभाई : कितने दिन तक यह बेकार पड़े थे, इनसे काम आरम्भ नहीं किया?

(श्री हीराभाई)
केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिये किराये के मंगाये गये, किसी कम्पनी को पैसा दिलवाना था। वहां पर आपके रोलर्स कितने दिन पड़े रहे। महीनों तक सड़कों पर पड़े रहते हैं। इस तरह के काले कारनामे करके कांग्रेस को चन्दा दिलवाने के लिये लोगों से किराये पर ले करके हमको पागल बनाना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आदतन इस हाउस के अन्दर यह आरोप लगाते रहते हैं कि जो वह कह रहे हैं वह सच है और जो दूसरे कह रहे हैं वह झूंठ है। हम इस सदन में अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं कि इस ऑगस्ट हाउस के सामने झूंठ या गलत नहीं कहा जाय....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : औरों की तरफ से भी आप जिम्मेदारी ले लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : I am in possession of the House. दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रोलर्स की आवश्यकता नहीं थी। माननीय सदस्य हो कोई जनता की बात रखते हों, ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार को कई बातें देखनी पड़ती हैं और अगर वे चाहें कि रोलर्स को खरीद कर लें तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन राज्य सरकार के ऊपर इम्पीचमेन्ट लगायेंगे कि जिस वर्क को तीसरी पंच वर्षीय योजना में पूरा करना था वह पूरा नहीं किया, इसलिये ये रोलर्स किराये पर लिए गए। इसके अलावा जो राज्य सरकार के पास रोड रोलर्स हैं वह बहुत पुराने हैं, उनमें रिपेयर्स की भी जरूरत पड़ती है और कई दफ़ा वे खराब भी हो जाते हैं। क्योंकि वे नये रोलर्स नहीं हैं इसलिए काम समय पर पूरा नहीं हो सकता था। हमारे पास १०० मील लम्बी सड़क को पूरा करने के लिये थोड़ा समय था इसलिए, डिपार्टमेन्ट के पास रोड रोलर्स नहीं थे और वे किराये पर लिये गये, और राज्य सरकार समझती है कि जो आप इस तरह की झूंठी बात कह रहे हैं यह तो आपकी आदत पड़ गयी है...

श्री हीराभाई : आपकी आदत झूंठ बोलने की पड़ गई है। आप इस तरह से कह कर मुझे नहीं दबा सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अगर आप समझते हैं कि उसका दुरुपयोग हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं कि इस तरह की झूंठ बोलने की आदत पड़ गई है, तो यह उनको कहने का अधिकार नहीं है और सदन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए माननीय उप-मंत्रीजी को ये शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कौन से शब्द ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यही कि आदत पड़ गई है। यह गलत है कहना।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कहता हूं कि आपको आदत पड़ गई है तो आप भी तो मेरे ऊपर चार्ज लगाते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ता है।

Page No. 24

श्री हीराभाई : झूठ बोलने की आपको आदत पड़ी हुई है . . .

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील चाकसू के अकालग्रस्त घोषित गांव

१९७. **श्री मायूलाल करोल** (चाकसू) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने तहसील चाकसू, जिला जयपुर के बहुत से गांवों में अकाल घोषित किया है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इन ग्रामों की जनता को क्या रिलीफ देना चाहती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अकालग्रस्त गांवों में लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है। रिलीफ कार्य ग्राम गोरीरामपुरा में चरखेड़ा में तालाब खुदाई आरम्भ करने की स्वीकृति न० १२१८।२३ आर. ए. रिलीफ। दि० १५-२-६६ को दी है, जिसके लिये पांच हजार रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

सरकारी विभाग में नियुक्तियां

१९९. **श्री रावतराम** (सादुलपुर) : क्या सहकारिता मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् ६५ में सहकारी विभाग के लिए इन्सपेक्टर्स व असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स की नियुक्तियां हुईं ? यदि हां, तो क्रमशः कितने स्थानों के लिए ?

(२) उक्त स्थानों के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी दरख्वास्तें आईं और कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया ? कृपया यह भी बतावें कि इस जाति के हिस्से में कितने स्थान सुरक्षित थे ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९६५ में निरीक्षक व सहायक निरीक्षकों की नियुक्तियां क्रमशः ३८ व ४१३ की गईं।

(२) इन स्थानों के लिए अनुसूचित व जन जाति के उम्मीदवारों से ३६८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से ५२ उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई। अनुसूचित व जन जाति के उम्मीदवारों के लिए ५६ स्थान सुरक्षित थे।

पंचायत समिति के अध्यापकों के नियुक्ति स्थान

२०२. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में अन्य जिलों के अध्यापक काफी संख्या में हैं ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(२) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों को अपने अपने जिलों में ही रखे जाने के लिए राज्य सरकार के आदेश हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

डूंगरपुर जिले की सहकारी समितियों में पाया गया गबन

२०९. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-सु०) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डूंगरपुर जिले में कितनी ग्राम सहकारी व कृषि सहकारी समितियां हैं ?

(२) इन समितियों में से किस किस समिति में कितनी कितनी राशि का गबन पाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) गबन की गई रकम की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(१) डूंगरपुर जिले में २७९ ग्राम सहकारी व ७ कृषि सहकारी समितियां हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) गबन के मामले में की गई कार्यवाही के बारे में सूची में उल्लेख कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर के विभागीय लॉक में मन्दिरों के जेवरात

२१०. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बरेडा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान बनने के बाद देवस्थान विभाग ने राज्य के कितने मन्दिरों से ५० तोला से ज्यादा सोने का जेवर जयपुर में विभागीय डबल लॉक में रखा है ?

(२) देवस्थान विभाग द्वारा राज्य के कितने मन्दिरों से हीरे व जवाहरात के जेवर कितनी कितनी कीमत के जयपुर में विभागीय डबल लॉक में रखे गए हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान बनने के बाद देवस्थान विभाग ने १० मन्दिरों से ५० तोले से अधिक सोने के जेवर जयपुर में विभागीय डबललॉक में रखवाए हैं।

(२) देवस्थान विभाग द्वारा राज्य के १४ मन्दिरों के हीरे-जवाहरात जड़ाऊ जेवर १,३७,२६२.८३ की कीमत के विभागीय डबललॉक में रखवाए गए हैं।

डी० एम० एन्ड एच० ओ० दौसा के कार्यालय का स्थानान्तरण

२१४. **श्री मथुरेश बिहारी माथुर** (चांदीकुई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या दौसा में स्थित डी० एम० एन्ड एच० ओ० का दफ्तर दौसा से हटा कर जयपुर में कायम करने का कोई निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

Page No. 26

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(२) क्या यह सही है कि वह ऑफिस पहले जयपुर में ही स्थित था और रूरल एरिया में यह दफ्तर होना चाहिए, इस नीति से यह ऑफिस दौसा में कायम किया गया था? यदि हां, तो दौसा में यह दफ्तर कब से है और अब क्यों बदला जा रहा है?

उत्तर

(१) जी हां, प्रशासकीय कारणों से।

(२) जी हां। परन्तु रूरल एरिया में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय हो, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। यह दफ्तर दौसा में दिनांक २-९-१९५९ से चल रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अध्यापकों की नियुक्ति

४२. **श्री दयानन्द सोन** (बारां-सु.) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) पंचायत समिति अटरू, जिला कोटा में सन् ६२ से लेकर ६५ तक कितने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति हुई?

(२) इनमें से कितने अनुसूचित जाति के थे व कितने दूसरे?

उत्तर

(१) ६५

(२) अनुसूचित जाति के ५ व अन्य ६०

ग्राम पंचायत तिलांजू (मालपुरा) में विकास कार्य

४३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तिलांजू पंचायत समिति, मालपुरा में कोई ग्राम सेवक न होने से पंचायत क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं होता है? क्या सरकार इस पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम सेवक का मुख्यावास कलमण्डा में है जो समय समय पर अपने कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचातय क्षेत्र तिलांजू का भी भ्रमण करता है। अतः ग्राम पंचायत तिलांजू के लिए अलग ग्राम सेवक रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता?

कृषि सहकारी समितियों को ऋण

४४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) पाली जिले की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा वर्ष १९६१ से १९६४ तक कितनी राशि कृषि सहकारी समितियों को ऋण अथवा अनुदान के रूप में वितरित की गई है? सूचना पंचायत समिति वार देन की कृपा करें।

(२) किन किन कृषि सहकारी समितियों ने उक्त राशि का उपयोग निर्धारित अवधि में नहीं किया है और उनके विरुद्ध क्या कायवाही की गई है?

(सामुदायिक विकास मंत्री)

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिन कृषि सहकारी समितियों ने रकम का उपयोग नहीं किया है उनकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है। उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की जा रही है ?

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पीपलू वृहत् बहूद्देशीय समिति लि० को ऋण एवं उसकी वसूली

४५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पीपलू वृहत् बहूद्देशीय समिति लिमिटेड को कोऑपरेटिव बैंक टौंक से दिनांक २-११-६० को कितना कर्जा मिला था और उसकी वसूली किस प्रकार व कब की गई ? क्या यह सही है कि वसूली न करके पंचायत के कोष में रुपये जमा कराये गये और पीपलू पंचायत के नाम से रोकड़ में जमा किये गये और बाद में गलती मालूम होने पर रोकड के पन्ने बदले गये ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त समिति की ऑडिट रिपोर्ट सन् १९६०-६१ में यह साफ अंकित है कि वसूली नहीं करके पंचायत कोष से रुपये जमा कराये व सदस्यों से बाद में असल व ब्याज के अलावा ८००) रुपये श्री कल्याण तेली ने ज्यादा वसूल किये ?

उत्तर

(१) पीपलू वृहत् बहूद्देशीय सहकारी समिति लि० को कोआपरेटिव बैंक टौंक से दिनांक २-११-६० को कोई कर्जा नहीं मिला।

वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी हां।

(१२.५ म.प.)

प्राक्कलन समिति के २१वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी (सभापति, प्राक्कलन समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ के सोलहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान नहर परियोजना विषयक अभिस्तावों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

(१२.६ म.प.)

आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कल अपने भाषण की भूमिका ही बांध रहा था और समय समाप्त हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी लम्बी भूमिका बांध दी थी।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : वह तो भूमिका ही थी। असल बात तो कही ही नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष का आदेश यह है कि दूसरे किसी की बहस चालू नहीं होगी।

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो साधारण वाद-विवाद कल से शुरू हुआ है और जो बजट हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत किया है उसको मैंने देखा। जो भाषण माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में दिया उसे सुना और पढ़ा है। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा इस सरकार से और वित्त-मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जो भी बजट आज तक १८ साल के अर्से से इस राज्य विधान सभा में इस कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने प्रस्तुत किये हैं . . .

श्री गोकलचन्द (कठूमर-सु.) : १८ साल से नहीं, १३ साल से।

श्री जयनारायण सालोदिया : १३ साल से जो भी बजट प्रस्तुत किये हैं उनमें सबमें घाटा दिखाकर जनता पर टैक्सों पर टैक्स लगाये हैं। मैं सरकार से और माननीय वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह टैक्सों की बाढ़, यह टैक्सों का आन्दोलन, यह टैक्सों का रामबाण चूर्ण आप कब तक अमल में लाते रहेंगे? आखिर एक सीमा निर्धारित कीजिए, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि यहां तक टैक्स लगायेंगे। लेकिन आप तो बिल्कुल आंख मींच कर इस तरह के टैक्स हर बजट में, टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं और इस तरह की बातें जनता के लिए बहुत ही दिक्कत पूर्ण हैं। जनता की टैक्स देने की क्षमता के बिल्कुल परे की बात है। आप यह कहेंगे कि जो टैक्स हम लगाते हैं जनता राजी खुशी से उनको देती है। मैं कहता हूं कि आपको जनता की जानकारी नहीं है। क्योंकि आप ज्यादातर जनता में जाते नहीं हैं। हम लोग जो जनता में रहते हैं, रिक्शाओं में घूमते हैं और पैदल चलते हैं·······

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): कितने महीनों और सालों से?

श्री **जयनारायण सालोदिया** : सारी उम्र से। मैं यह गारन्टी के साथ कहता हूं मैं सारी उम्र से जनता में रहा हूं, जनता में हूं, और जनता में रहूंगा। मैं आपकी तरह जनता से ऊपर उठ कर, एयर-कन्डीशन्ड कमरों में बैठकर प्लान बनाने वालों में से नहीं हूं। मैं सारी जनता की भावनाओं की कद्र करने वाला आदमी हूं

श्री बालकृष्ण कौल : अगर करते तो वहां नहीं बैठते।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय वित्त मन्त्री जी को मैं इसके लिए एक मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूं कि यह तो जनता से पूछिये जिसने आपके और कांग्रेसी उम्मीदवार से मुझे २० हजार वोट ज्यादा दिये हैं। मैं आपकी मेहरबानी से यहां नहीं बैठा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इसलिये कि पहले कांग्रेस में बैठे थे।

श्री जयनारायण सालोदिया : तब तो मैं बेकार बैठा रहा, जूते पॉलिश करता रहा और आपकी पगचम्पी करता रहा। लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह सारी जनता का रास्ता है जिस जनता ने आपके १० साल के उम्मीदवार

(श्री जयनारायण सालोदिया)

के मुकाबिले में मुझे २० हजार वोट ज्यादा दिये । आपकी तरह २०-३० से जीतने वाला नहीं हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : बहुत काबिल इन्सान हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जहां तक काबलियत का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी भी इन्टरव्यू में गया हूं, किसी भी काम करने की कसौटी में आपके किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य से मेरा मुकाबिला करा दो । कौल साहब चाहे बैठे रहें, मक्खियां मारते रहें क्योंकि वह वित्त मंत्री जी हैं इसलिये योग्य हैं; मैं इस थ्योरी में विश्वास करने वाला नहीं हूं । आपके निरक्षर भट्टाचार्य मंत्री बैठे हुए हैं उनसे मैं ज्यादा योग्यता रखता हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी क्वालीफिकेशन्स क्या है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके चौधरी कुम्भाराम से ज्यादा है और कांग्रेस अध्यक्ष का नाम कामराज है उनसे ज्यादा । यही मेरे लिए कहना काफी है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारे कौल साहब से ज्यादा है क्या ?

श्री जयनारायण सालोदिया : कौल साहब को तो खैर मैं समझता ही नहीं हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार' जयपुर) : और पूछो सवाल ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं बजट संबंध में कुछ बातें सदन में प्रस्तुत कर रहा था ।

इससे पूर्व कि मैं अपना भाषण प्रारम्भ करूं मुझे खेद के साथ माननीय उपाध्यक्षजी, आपसे निवेदन करना पड़ता है कि हमारे सदन के कुछ माननीय सदस्य, जिनको सदन से सरकार की तरफ से निकाला गया है, मैं उन माननीय सदस्यों की कमी महसूस करता हूं और उनकी यहां गैर-हाजरी की मुझे बहुत चिन्ता और दुख है ।

मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में पुनः विचार करें और एक स्वस्थ परम्परा का निर्माण करें ।

इसके साथ साथ माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी सरकार ने जो टैक्स लगाये हैं उन पर आऊं या एक एक विभाग का दिग्दर्शन सदन को कराऊं, इससे पूर्व हमारी सीमाओं पर गये दिनों पाकिस्तान के आक्रमण से हमारे जवानों ने, हमारी पुलिस ने, राजस्थान की जनता ने सब तरह का भेदभाव भुलाकर जिस सहयोग का परिचय दिया है उसके लिये मैं हमारे फौजी, आर्मी, पुलिस के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

इसके साथ साथ माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार को बधाई न दे कर और यह उलाहना या इस तरह की बात कहना चाहता हूं कि जिस फौज ने या पुलिस ने और जनता ने सारे भेदभाव भुलाकर जिस समय जो संगठन का, राष्ट्रीयता का और देशप्रेम का परिचय दिया वह सराहनीय है । लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया ? सरकार ने अपनी तरफ से जो पार्ट अदा करना चाहिये था, जो ऐसी एमर्जेंसी में काम करना चाहिए था, वह नहीं किया । यही एक मात्र कारण है कि हम हिन्दुस्तान

(श्री जयनारायण सालोदिया)

के मुकाबले में जहां वे लोग गौरव से अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं वहां राजस्थानियों का सिर यहां की कांग्रेस सरकार ने हमेशा हमेशा के लिये इतिहास में झुका दिया।

हम जहां भी जाते हैं लोग हमारी तरफ उंगलियां उठाते हैं कि ये राजस्थान के लोग हैं जिनके पूर्वजों की गौरव-गाथा से जहां इतिहास गौरवान्वित था वहां आज के इन राजस्थान के लोगों की वजह से हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई में अगर हिन्दुस्तान का ज्यादा हिस्सा कहीं खोना पड़ा, अगर हिन्दुस्तान की ज्यादा जमीन कहीं गई है, पाकिस्तान ने दबाई है और हिन्दुस्तान की ज्यादा चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है तो वह राजस्थान क्षेत्र ही है। हमें इन सारी बातों की जानकारी मिलने से दुख हुआ। लेकिन में....

श्री दलपतसिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, just for the information of the House इस तरह की गलत अफवाहों से हमें बचना चाहिये। मुझे अच्छी तरह से उन क्षेत्रों के बारे में पता है। तमाम राजस्थान के बहादुरों ने जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिये थे उससे उन्होंने अपनी पुरानी परम्परा को कायम ही नहीं रखा उसे और गौरवान्वित किया है। ऐसी स्थिति में राजस्थानियों को नीचा देखने और किसी प्रकार का दुख अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है।. माननीय सदस्य द्वारा इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि::

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : ये भांडों के गीत हैं। कोई भड़वा बोल रहा है।

श्री दलपतसिंह : आप डिपार्टमेन्ट को क्रिटिसाइज करिये, सरकार को क्रिटिसाइज करिये, किसी व्यक्ति ने कुछ किया हो, उसको क्रिटिसाइज करें, पर राजस्थान के वीरों ने जिस बहादुरी से दुश्मन के दांत खट्टे किये है उस बारे में हमें गर्व अनुभव करना चाहिये और बड़े संयम से बोलना चाहिये। राजस्थान के इन बहादुरों ने अपनी वीरतापूर्ण गाथाओं से राजस्थान का ही नहीं, सारे देश का नाम ऊपर उठाया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जहां तक हमारे वीरों के शौर्य भरे और गौरव पूर्ण वीरता भरे कार्यों का संबंध है हमें उसके लिये पूरा पूरा गर्व अनुभव करना चाहिये। उन शूरवीरों ने जो बलिदान और त्याग किया है वे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होंगे। उनकी उस कुर्बानी को त्याग और बलिदान को कोई नहीं भूल सकता, आने वाली हजारों हजार पीढियां नहीं भूल सकतीं। पर प्रश्न यह है कि हमारे उन बहादुरों की इतनी शानदार कुर्बानियों के बावजूद भी जो सैट-बैक हुए उसके लिये हमारी यह सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है।

श्री दलपतसिंह : आप जो कहते हैं, (I agree with it) तो यह सरकार क्या कर रही है, इसके क्या कारनामे रहे, उनको आप क्रिटिसाइज करिये। वह जरूर करिये, हम सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलपतसिंहजी का सुझाव ठीक है और मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य इसी प्रकार से अपने भाषण में अपने भाव व्यक्त करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्षजी, जिन दिनों पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, मैं बाड़मेर क्षेत्र में गया था। मैंने वहां के रहने वाले लोगों से सम्पर्क स्थापित किया है। यह हो सकता है कि मैंने अपना कार्यक्रम सरकार के अखबारों को नहीं भेजा हो, अपनी फोटो नहीं छपवाई हो। पर मैं यह बात अपने अनुभव और आंखों देखे तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी फोटो कौन छापे, छपे तब तो।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने वहां देखा कि सडकों का नितान्त अभाव है। जितनी और जैसी सड़कें वहां सीमा की दृष्टि से होनी चाहिये, नहीं थीं या जैसी हालत में होनी चाहिये थी वैसी नहीं थीं, जो थीं भी वे। अगर आप मुझ से उन सडकों के बारे में पूछना चाहें तो मैं उनका नाम ले लेकर गिना सकता हूं। मेरे पास वह लिस्ट है कि कहां सड़कों का अभाव है और कहां ये खराब हालत में हैं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : जो माननीय सदस्य फरमा रहे हैं क्या वे डेजर्ट वार फेयर की टैकटिक्स को भी जानते हैं?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जैसे माननीय सदस्य रनिंग टैक्स को जानते हैं वैसे ही ये डैजर्ट टैक्स को जानते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जिस सड़क से मोटर, ट्रक आसानी से नहीं जा सके, उसको मैं खराब सड़क समझता हूं। माननीय सदस्य न मालूम क्या समझते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्रीजी श्री लालबहादुरजी शास्त्री ने "जय जवान" और "जय किसान" का नारा देश को दिया। इस नारे को इस कांग्रेसी शासन ने कितना चरितार्थ किया है इसके संबंध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। अभी कल या परसों मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि हमने बकरियां काटना इसलिये शुरू किया है कि हमारे फौज के जवानों को गोश्त की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सरकार की इस तरह की मनोवृत्ति से परेशान हूं। हमारी यह सरकार जवानों के लिये कितनी चिन्तित है, उनकी कितनी शुभचिन्तक है कि उनको बकरों के मांस के बजाय बकरियों का मांस देने की बात सोचती है; उनको भीख में मांगा हुआ पी. एल. ४८० का गेहूं खिलाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मारवाडी में कहावत है कि "जैसा खावे धान वैसा आवे ज्ञान, जैसा पीवे पानी वैसी आवे बानी"। तो जहां हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्रीजी ने इस फौज को 'जय' का नारा दिया उसको आप इस स्तर पर ला रहे हैं कि उनको उन बकरियों का मांस खिलाया जाता है और वह मांगा हुआ भीख का अन्न दिया जाता है। और फिर हम उनकी पौष्टिकता की बात करते हैं?

उसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के लिए भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने सबसे अच्छा तरीका यह सीखा है कि जैसे अंग्रेजों के लिए कहावत चरितार्थ थी कि फूट डालो और राज करो, इसी तरह से इनके लिए भी एक कहावत चरितार्थ है कि झूठ बोलो और राज करो। लोगों को बहकाओ, इस तरह के झूठे आश्वा-

(श्री जयनारायण सालोदिया)
सन दो, झूठे भाषण दो, झूठे सब्जबाग दिखाओ, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करो और इस तरह से झूठ बोलो और राज करो। माननीय उपाध्यक्षजी, किसानों के लिए जय का नारा दिया है, लेकिन उन्हीं किसानों पर हमारी सरकार ने यह बोझा डाला है। उन्हीं किसानों पर जो यह बजट प्रस्तुत हुआ है उससे उन्हीं पर टैक्स लगे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है, अगर सबसे ज्यादा टैक्स का भार किसी व्यक्ति पर पड़ने वाला है तो वह किसानों पर है। माननीय वित्त मंत्री का बजट ऐसा हो कि उसी सरकार के प्रधान मंत्री तो नारा दें कि किसान की जय हो, लेकिन उसी के प्रान्तीय स्तर पर आकर उनके वित्त मंत्री इस तरह का बजट पेश करें, जो टैक्स लगे उनका ज्यादा से ज्यादा असर किसानों पर हो! उस गरीब किसान पर हो, जो यहां आकर के आपके सामने अपनी आवाज नहीं सुना सकता। जो परेशान है, उसकी हालत परेशान है लेकिन वह यहां आकर के अपनी आवाज को प्रस्तुत नहीं कर सकता है और यदि किसी तरह से किन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा आपके कानों में उनकी आवाज पहुंचाई जाती है तो आपके बहरे कान और आपकी अंधी आंखें उन सब पर विचार करने को तैयार नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जानवरों पर टैक्स लगा है, जिसके विवाद स्वरूप हमारे कुछ साथियों को सदन से निकाला, उसका एक ही कारण था। यह माननीय वित्त मंत्रीजी मानते होंगे कि जानवर सबसे ज्यादा किसानों के पास हैं। जानवरों की बिक्री, उनके बेचने और लेने का काम सबसे ज्यादा किसान करते हैं। अगर आप जानवरों पर टैक्स लगायेंगे तो उसका ९९ प्रतिशत असर किसानों पर पड़ेगा। तो उस सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा टैक्स आपने पिलाई पर लगाया है। वह भी सीधा किसानों पर लगता है। घी और तेल पर टैक्स लगाया है वह सीधा किसानों पर लगता है। जितने भी टैक्स आपने लगाये हैं वे सीधे किसानों पर लगते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आबादी ज्यादातर किसानों की है, इसलिए आप चाहे लोकसभा के द्वारा टैक्स लगायें, चाहे विधान सभा के द्वारा टैक्स लगायें, आप चाहे पंचायत समिति के द्वारा टैक्स लगायें और चाहे म्युनिसिपैलिटि के द्वारा टैक्स लगायें, इन सबका असर येन केन प्रकारेण, प्रत्यक्ष रूप से उस किसान पर ही ज्यादा पड़ता है, लेकिन वह तो फिर भी इस तरह के हिस्सों में थोड़ा थोड़ा बंट जाता है, लेकिन जो टैक्स इस बजट के द्वारा लगाया गया है इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। इस टैक्स के लगाने के एक साल बाद ही आप उन किसानों से वोट लेने वाले हैं, उनके पास आप वोटों की भीख मांगने वाले हैं। उन जिन्सों पर टैक्स लगाया है, जिससे सीधा किसान प्रभावित हो। तो उस तरह के टैक्स वापस लेने में ही मैं मानता हूं कि उस सारी भावनाओं को आप कार्य रूप में परिणत कर सकेंगे·····

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री); तो जीत जायेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो आपकी किस्मत पर है, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : आप तो मुख्य मंत्री बनेंगे अबके।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्षजी, जो टैक्स माननीय वित्त मंत्री

(श्री जयनारायण सालोदिया)

महोदय ने घी पर, तेल पर और उस तेल पर जो ग्रामीण तेली अपनी घाणी और बैल के द्वारा निकाल कर अपना जीवन-निर्वाह करता है जिसको हम गृह उद्योग की परिभाषा में बोलते हैं। उस तेल पर भी और उस घी पर भी आपने टैक्स लगाया है। माननीय उपाध्यक्षजी, जितने भी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किए, उनमें हर साल उनको नए टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती है और वह इसलिए पड़ती है जरूरत, वह इसलिए नहीं कि उनको टैक्स लगाने की इसलिए सूझती हो कि प्रान्त का जो विकास का काम है, उसमें इनको दिक्कत होती हो। इसलिए वे टैक्स नहीं लगाते हैं कि जनता की बहबूदी के लिए जितना रुपया चाहिए, उनको उसमें कोई कमी महसूस होती हो बल्कि इसलिए टैक्स लगाते हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, कि उस टैक्स की रकम के द्वारा, उस जनता से, उस किसान से, उस मजदूर से, और उस भूखे शिड्यूल्ड कास्ट के लोग से, यह टैक्स वसूल करें और उस टैक्स की रकम से यह मंत्रिमण्डल में वृद्धि करें। उनकी गाड़ियों में वृद्धि करें। एयर कण्डीशनर्स खरीदे जायं, और इस तरह की जो भोग विलास की सामग्री हैं, उसमें यह टैक्स के पैसे खर्च करते हैं। हम उस समय उस भावना के साथ टैक्स का समर्थन भी कर सकते हैं कि जो टैक्स जनता से वसूल किया जाता है वह जनता के हित के कामों में खर्च हो। लेकिन इस सरकार का तो बिल्कुल उल्टा तरीका है। जनता से टैक्स वसूल किया जाता है, इस नाम से कि हमारी विकास की योजनाएं ठीक हो रही हैं, हम विकास करना चाहते हैं, हम राजस्थान को १८ सालों से बनाए हुए हैं और अब स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन उस टैक्स के पैसे से जैसा मैंने बताया अभी कि गई बार चार मंत्री मंत्रिमण्डल में नए लिए गए, उसमें खर्चा करते हैं। उनकी व्यवस्था करने में खर्चा करते हैं। मंत्रियों की गाड़ियों में खर्च करते हैं, जो गाड़ियां हर रोज बाजारों में पान लेने के लिए, बीडी लेने के लिए, सिनेमा के सामने खडी रहती हैं। आप कहीं पर भी राजस्थान स्टेट रोडवेज और राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज की गाड़ियों को देख सकते हैं। जो इन कामों में उस टैक्स के पैसे को खर्च करते हैं, उससे हमें बहुत दुख होता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, अनाज पर जो बिक्री कर लगाया था सरकार ने तो हम यह उम्मीद करते थे कि सरकार इस मामले में सोचेगी और अनाज जैसे खाद्य पदार्थ पर जिसका कि हर आदमी से सम्बन्ध है उससे वह टैक्स वापस लेगी, लेकिन उसे वापस नहीं लेकर के और उसकी बजाय किसान कैसे ज्यादा परेशान हों, कैसे उनके इन्सपेक्टर्स के चक्कर में आयें, उसकी व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में की है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसमें ३.७ करोड़ का घाटा दिखाया है और उसको तीन तरह से पूरा करने का सुझाव दिया है। एक सुझाव यह दिया है कि केन्द्रीय सरकार १.१० करोड़ के टैक्स लगायेगी और वह हम राजस्थान वालों को मिलेगा। वह टैक्स भी किसी तरह से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमें ही देना पड़ेगा। दूसरा सुझाव दिया है बजट में कि १.१२ करोड़ के जो नए टैक्स सोचे टैक्स राजस्थान की जनता पर लगाये हैं उसका असर भी राजस्थान की जनता पर होगा पड़ेगा। तीसरा सुझाव यह दिया है कि हम मितव्ययता करेंगे कुछ।

Page No. 34

(श्री जयनारायण सालोदिया)

माननीय उपाध्यक्षजी, हम इस सरकार की मितव्ययता से भी अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारी सरकार कैसी मितव्ययी है, कैसी इनमें मितव्ययता की परिपाटी है, क्या उसके मायने रखते हैं? अगर ये मितव्ययता सीखेंगे तो वहां से कि सबसे पहले दफ्तरों से किस को कम करना चाहेंगे, चपरासियों को। उधर से ही शुरुआत करेंगे। पहले चपरासी कम करेंगे, फिर बाबुओं को कम करेंगे और यहीं इनकी मितव्ययता खत्म हो जाती है, आगे चलती नहीं है। आगे आई० सी० एस० और आर० ए० एस० से बात करने की इन में हिम्मत नहीं है। उनकी कमी करने का सुझाव देने की हिम्मत नहीं है, ये तो उनकी जी हुजूरी करते हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं नहीं कहना चाहता हूं इस तरह की बात, लेकिन फिर भी जो सही बात है मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन कर देना चाहता हूं। अगर आज कोई शासन करता है, राजस्थान पर अगर किसी का शासन है तो वह इन्हीं आइ० सी० एस० और आर० ए० एस० के लोगों का है।

श्री बालकृष्ण कौल : आई० ए० एस० ?

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आपका मुगालता है, यह आपका भ्रम है कि आप शासन कर रहे हैं। आपके टेलिफोन से एकाध ट्रान्सफर हो जाते हैं, एकाध आदमी की नियुक्ति हो जाती है, एकाध काम, आपके भाई-भतीजों और रिश्तेदारों का हो जाता है उसी से आप सन्तुष्ट हो जाते हैं, लेकिन राज्य करने की असली ताकत आप लोगों के हाथ में नहीं है, यह मेरी मान्यता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, राज्य कर्मचारियों के लिए इस बजट में कोई मंहगाई का प्रावधान नहीं है कि जो होना चाहिए था। एक तरफ टैक्स-आन-टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगाकर इस तरह से उन लोगों के लिए इस बढ़ती हुई मंहगाई में परेशानियां पैदा कर देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उनके लिए यह भी नहीं सोचते कि इनकी आय एक क्लर्क की, एक अध्यापक की, एक पटवारी की, एक सिपाही की क्या मुसीबत उससे होती होगी। इन दिनों में जब कि इस तरह से सारी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। इस तरह की बात आपको सोचनी चाहिए। जिन लोगों के बूते पर जैसा कि मैंने कहा आप राज्य चलाते हैं और उन्हीं लोगों को इस तरह से नाराज रखना चाहते हैं या उनकी परेशानियां बढ़ाना चाहते हैं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि उनकी नाराजी या राजी पर निर्भर रहें, लेकिन इनसानियत के नाते सोचें इसके लिए। जब हम हजारों रुपयों से काम नहीं चला सकते हैं तो एक अध्यापक का १००) रु० से कैसे काम चलता होगा, एक सिपाही पुलिस का उसका कैसे काम चलता होगा, थानेदार और तहसीलदार का कैसे काम चलता होगा, एक दफ्तर के बाबू का कैसे काम चलता होगा ? कभी उनके बच्चों की तरफ भी आपने ध्यान दिया कि एक आदमी को इतने रुपये देते हैं तो उसके बच्चे भी होने चाहिए, उसके मां-बाप भी होने चाहिएं। वह इतने रुपयों में क्या क्या खरीद सकता है ? इसके ऊपर भी आप परेशानी बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि भंडार खोलेंगे, जिसमें सब चीजें उपलब्ध करायेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार में एक प्रकार की ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो रही है और वह इस तरह से है कि हर चीज पर कन्ट्रोल करके, हर चीज को सीमित दायरे में रख कर

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जनता को ज्यादा से ज्यादा लाइन में खड़े होने की आदत डाली जाय। मैं वित्त मंत्री महोदय से, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आप कितनी लाइनें पैदा करेंगे? गेहूं की दुकान पर जाये तो लाइन में खडा रहे एक दिन, चना लेने जाये तो दूकान पर लाइन में खडा रहे एक दिन, शक्कर लेने जाये तो एक आदमी लाइन में खडा रहे, दूध लेने जाय तो एक आदमी लाइन में खडा रहे, दवा लेने जाये तो एक आदमी लाइन में खडा रहे और अब आप यह मजबूरी भी पैदा करना चाहते हैं कि आपके उपभोक्ता भंडारों में वह लाइन में खडा रहे और दफ्तर की छुट्टी करके सब चीजों के लिए लाइन लगायेगा। आपको सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बहुमत है जो भी टैक्स लगायेंगे पास होगा, जो भी कानून हम बनाना चाहेंगे वह पास होगा, लेकिन कानून बनाने से पहले, टैक्स लगाने से पहले यह सोचना चाहिए कि आया किन लोगों पर उसका कैसा असर पडेगा, जिन पर असर पडेगा उनकी टैक्स देने की हिम्मत है या नहीं, आया इस कानून से किन लोगों पर कैसा असर पडेगा। कानून जनता की हिफाजत के लिए होता है, कानून जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए होता है; लेकिन आपने जितने भी कानून बनाये हैं उनसे जनता को ज्यादा परेशान होना पडा है। आप कानूनों के द्वारा मशीनरी नियत कर देते हैं। न मालूम कितने इन्सपेक्टर आपने पैदा कर दिये हैं--- फूड इन्सपेक्टर, खाद इन्सपेक्टर, दूध इन्सपेक्टर, को-ऑपरेटिव इन्सपेक्टर--- न मालूम कितने इन्सपेक्टर हैं मुझे जानकारी नहीं है और आपको भी जानकारी नहीं होगी कि आपके किन किन कानूनों के अन्दर कितने कितने इन्सपेक्टर्स हैं?

एक माननीय सदस्य : ४५।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्षजी, इसी के साथ साथ अब मैं कुछ विभागीय बातें सदन में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पंचायत डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्षजी, कुछ चन्द बातें निवेदन कर देना चाहता हूं। यह विभाग कुछ ही दिनों से स्थापित हुआ है, और जैसा कि मैंने कुछ दिन पूर्व यह बताया था कि इस विभाग को फलीभूत होने से पूर्व ही ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : विभाग की बात तो डिमाण्ड पर कहें तो अच्छा हो।

श्री जयनारायण सालोदिया : डिमाण्ड पर भी निवेदन कर दूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो जरूरी बातें कर लें।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं पंचायत डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में चन्द बातें निवेदन करके यह बता देना चाहता हूं सरकार को, मैं तफसील में न जाकर यह बता देना चाहता हूं सरकार को कि यह जो पंचायतों से जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है उससे जनता को जितना फायदा होना चाहिए था उतना नहीं होकर जनता में ज्यादा फूट डाली है, ज्यादा विभाजन हुआ है, और जिन जिन विभागों का बजट हमने पंचायत समिति स्तर पर दिया है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। मैं विभाग की, इस पंचायत डिपार्टमेंट की, खास खास

(श्री जयनारायण सालोदिया)
बातें अगर मुझे मौका मिला तो उस टाइम पर कहूंगा जैसा कि मंत्री महोदय ने फर्माया है, लेकिन जो सामूहिक बातें हैं वे निवेदन कर देना चाहता हूं। जब पंचायतों का चुनाव होता है तो हमारी झोंपडी-झोंपडी में, गांव गांव में इस तरह का कलह का वातावरण बन जाता है। इसलिए इस चुनाव की पद्धति के सम्बन्ध में सरकार को कोई न कोई ठोस विचार करना चाहिए। चुनाव के बाद जो बीज, वह जो अंकुर, वह जो जहर हमारे गांव, हमारी ढाणियों में छोड जाता है तीन साल तक उसके आधार पर मुकदमे होते हैं, जमीनों के अलाटमेंट के झगडे होते हैं। उसी आधार पर सामाजिक और राजनैतिक झगडे चलते रहते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं चुनाव के सम्बन्ध में यह सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव जो पंचायत और पंचायत समितियों के होते हैं वे निष्पक्ष नहीं होते हैं। वे दलगत और राजनैतिक आधार पर होते हैं। मेरे क्षेत्र के लिये मैं पूर्ण जिम्मेद. . ी कह सकता हूं कि जितने भी चुनाव पंचायतों और पंचायत समितियों के हुए हैं उनमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि एक तरफ तो विरोधी दल के आदमी हैं और दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी है, इन दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है। हमारे वहां पंचायतों के चुनाव हुए तो उसमें पटवारियों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया, मास्टरों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया, तहसीलदार और थानेदार ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया, और इस तरह का वातावरण वहां पैदा हो गया। आया यह महसूस होता था जैसा कि मैंने बताया; कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल में न होकर विरोधी दल और राज्य सरकार में हो रहा है। इसकी समय समय पर माननीय जिलाधीश महोदय को इत्तिला दी, माननीय उपाध्यक्षजी, लेकिन वहां तक भी वही दलगत राजनीति से सोचने की मनोवृत्ति थी। लोगों को, वोटरों को डांटा गया, उनको प्रलोभन दिये गये, उनको उडा कर ले जाया गया, महीने महीने तक कैद रखा गया, वहां उनके खाने-पीने की व्यवस्था की गई। इस तरह की चुनाव प्रणाली में हम कैसे महसूस करें कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं। यह तो पक्षपात की, राजनीतिक उपयोग की, राज्य के उपयोग की बिल्कुल पराकाष्ठा है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस तरह के चुनाव हम राजस्थान में कराते रहे, यह पद्धति लागू रखी तो कभी मजबूरन सोचना पडेगा जिसकी अभी शुरुआत ही हुई है। चुनाव में गोलियां चलेंगी, कत्ल होंगी, वोटरों को कत्ल किया जायगा और गवर्नमेन्ट के लिये उस पर काबू पाना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करता हूं कि जनता के हित में, प्रजातंत्र के हित में, पंचायत राज और डीसेन्ट्रलाइजेशन के हित में कोई तरीका निकालें जिसके लिये हमारा सहयोग रहेगा; ऐसा तरीका निकालें जिससे जनता इन सारी बातों से बचें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चंद बातें और निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं विभाग पर तो यदि टाइम मिला तो फिर बोलूंगा जैसा कि मंत्रीजी ने कहा। अब मैं बाडमेर गया तो मुझे जोधपुर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां मैंने जो देखा, स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला तो उन्होंने बताया कि जोधपुर में एक इस तरह का साम्राज्यवाद छा

Page No. 37

श्री जयनारायण सालोदिया)
हा हूं, चाहे आप इसे साम्राज्यवाद कहें, चाहे माथुरवाद कहें, इस तरह की लहर है जोधपुर में वहां जितने भी ऑफिसर्स हैं, उपाध्यक्षजी, जिनके संबंध में वहां के लोगों की खराब प्रतिक्रिया है लेकिन इस सरकार ने उनको सारी बातों की जानकारी होते हुए भी कुछ नहीं किया है। मैं इस निर्णय पर पहुंच चुका हूं कि शायद मंत्रि-मण्डल पर भी मिर्धा साहब, मिर्धा साहब नहीं माथुर साहब हावी हैं· · · ·

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मिर्धा साहब भी कम हावी नहीं हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : और उनके कमन मंत्रि-मंडल ठोस निर्णय नहीं ले सकता। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनका नाम है गिरिजाप्रसादजी, जो वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वहां उन्होंने डिफेन्स की जीप से पेट्रोल चुराया और पेट्रोल चुराते हुए वहां के सी. आई. डी. के ऑफिसर्स ने उनको रंगे हाथों पकडा, और वहीं जब वे पेट्रोल चुरा रहे थे तब उनको पकडा· · ·

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर आप छोटी छोटी बातों पर आ गये।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह छोटी बात नहीं है, बडी बात है। डिफेन्स की जीप से सिटी मजिस्ट्रेट पेट्रोल चुराते पकडा गये, उसे आप छोटी बात समझते हैं? वहां लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गये और उन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को पकडा मय पेट्रोल के पीपे के, उनको और उनके लडके को पकडा। जहां तक मुझे जानकारी मिली है अब शायद उनको मोअत्तिल किया है। लेकिन कब मोअत्तिल किया, जब मैंने इस बारे में प्रश्न दिया; उस प्रश्न के संदर्भ में यह बात हुई। अब जैसा कि मालूम हुआ है उनको मोअत्तिल किया है। उनके संबंध में कई पर्चे निकले जोधपुर में, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह तो मैंने एक माथुर साहब का किस्सा बताया है, लेकिन जोधपुर में जितने भी माथुर हैं उनकी लिस्ट आपके समक्ष पढ कर सुनाना चाहता हूं· · ·

श्री उपाध्यक्ष: लिस्ट नहीं पढी जाये तो अच्छा है।

श्री जयनारायण सालोदिया: ५-१० आदमी हैं, किस किस पोस्ट पर किस तरह माथुर हैं· · · ·

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कट मोशन्स पर बोल दें, जनरल डिबेट के समय ये बातें नहीं आनी चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : जनरल डिबेट के समय ही ये बातें आनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्षजी एक माथुर का किस्सा मैंने सुनाया; अब दूसरे माथुर जो जोधपुर की राजनीति पर हावी हैं, माथुर-साहब के इशारे पर जनता को परेशान करते हैं उनके नाम बताता हूं।

म्युनिसिपल कमिश्नर रामचन्द्रजी माथुर, जो माथुर साहब के बहनोई हैं, रेवेन्यु ऑफिसर, गंगादासजी माथुर जो माथुर साहब के मामू हैं, इंजीनियर श्यामसुन्दरजी माथुर जो माथुर साहब के छोटे भाई के ससुर हैं, प्यारेलालजी माथुर, हेल्थ ऑफिसर· · ·

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): यह किसने लिस्ट दी है आपको? माथुर

Page No. 38

(श्री नाथूराम मिर्धा).
नौकरी में हैं, पढे लिखे हैं । आप कहते हैं हावी हो गये, किस पर हावी होकर बैठे हैं ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इनके नाम सुन कर आप तिलमिलाते क्यों हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हाउस का डिकोरम है, इसकी सुन्दरता को आप एन्जर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा ?

श्री मानसिंह महार : जो डिकोरम नहीं रखते थे उनको निकाल दिया, अब काहे का दुख पा रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अब आप उनकी जगह ले रहे हैं क्या ?

श्री जयनारायण सालोदिया : प्यारेलालजी जो हैल्थ के इन्जार्ज हैं उनके संबंध में मैं विशेष तौर पर एक बात निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूं । जो हैल्थ इन्सपेक्टर हैं प्यारेलालजी उनकी खुद की हैल्थ खराब है, उनके आधे शरीर पर लकवा है, न पूरे चल सकते हैं; न फिर सकते हैं, वे किसकी वजह से है ? वे माथुर साहब की बदौलत हैं । इस तरह की कुनबापरस्ती और पक्षपात है राजस्थान में ! इसके बाद पुखराजजी माथुर हैं, जो सी. आई. डी. के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : तो क्या करें ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मंत्रीजी ने फरमाया कि क्या करें । इसका एक मात्र उपाय यह है, हम यह नहीं कहते कि माथुरों को डिस्चार्ज करिये, या नौकर नहीं रखें, लेकिन जैसा मालपुरा में दामोदरजी के पसन्द के ही आदमी रखे हैं उसी तरह का वातावरण जोधपुर में बना रखा है, मथुरादास के रिश्तेदारों को और उनके पसन्द के आदमियों को वहां पर लगा रखा है । मैं कहूंगा कि मेरे पास फैक्ट्स हैं उनके कुनबापरस्ती के खिलाफ । कोई उनका मामू है, कोई उनका बहनोई है, कोई उनके भाई का ससुर है, सब माथुर जोधपुर में ही इकट्ठे हो रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माथुर हैं वे जनता की सेवा कर रहे हैं । राज्य कर्मचारी है वहां नहीं होंगे तो दूसरी जगह होंगे । लोग माथुर साहब की वजह से ही नौकर हैं ऐसी बात नहीं है । कोई ३० साल से नौकर है, कोई २५ साल से नौकर है ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गंगादासजी, माथुर साहब के मामू हैं कितने पीढी में मामू हैं ? मैं जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं कह सकता हूं कि गंगादासजी और प्यारेलालजी माथुर साहब के रिश्तेदार नहीं हैं । पहले भी कम्युनिस्ट सदस्यों ने माथुर के नाम पर हवा फैलाई थी, वह बात गलत थी उसी तरह से यह बात भी गलत है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरी नाम से कोई नाराजगी नहीं है, यह मैंने पहले निवेदन किया है; लेकिन यह विचारधारा गलत है, यह एक पिक्चर हाउस के सामने रखना चाहता हूं

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि माथुर शिड्यूल्ड कास्ट में हैं या शिड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं या वे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, यह तो बताना

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं इस ... के पक्षपातपूर्ण रवैये पर एक दिग्दर्शन कराना चाहता हूं

Page No. 39

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलते हुए पौन घंटे से ज्यादा समय हो गया है, और लोग भी बोलना चाहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: उनको भी समय मिलेगा। मैं हमारे अलॉटेड टाइम में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन कर दूं कि यह माननीय सदस्य की मर्जी पर है, जो पार्टी को समय अलॉट हुआ है उसमें से एक सदस्य कितना टाइम ले, यह उनके ध्यान रखने की बात है। आगे टाइम तंग पड़ेगा तो ऐतराज नहीं कर सकेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया: मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट बोल कर अपना भाषण समाप्त करने वाला हूं।

जैसा मैंने बताया, जो जोधपुर का उदाहरण इस सदन के सामने रखा उसी तरह से एक माननीय सदस्य, जो मंत्रिमण्डल के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं-वरिष्ठ सदस्य तो नहीं हैं, बड़ा वे तिकड़मबाज सदस्य हैं। हो सकते हैं वे बेईमानी करने में उस्ताद हो सकते हैं वे झूठ बोलने में उस्ताद हो सकते हैं। यदि उसी योग्यता, उसी मापदण्ड के आधार पर मंत्रिमण्डल में उनकी कमी को महसूस करते हुए उनको लिया गया है। मुझे इससे कोई दुःख भी नहीं है। जब वे मंत्री थे और हमसे राजी थे तो हमें गांव में कोई नहीं रख सकता था और अब वे नाराज हो जायेंगे तो कोई हमारी जागीर नहीं छीनने वाले हैं। लेकिन जो मेरी बात है वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अब तो कोई विकास की बात कहें, बजट के बारे में।

श्री जयनारायण सालोदिया: मालपुरा में जितने सरकारी मुलाजिम हैं वे सब इस तरह से यन-केन-प्रकारेण उनसे सम्बन्धित हैं, किसी का सम्बन्ध उनके द्वारा उनका धन्धा चलाने से हो सकता है, किसी का सम्बन्ध उनके जातीय होने से हो सकता है, किसी का सम्बन्ध उनके साथ रमी खेलने से हो सकता है और किन्हीं का सम्बन्ध उनके और और तरह के कामों से हो सकता है। लेकिन जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं आज टोंक डिस्ट्रिक्ट में उनका किसी न किसी तरह से उनसे सम्बन्ध है और इसी वजह से चाहे वे काम करें या बेकार बैठे रहें, लेकिन उनको यह अधिकार है, यह उनका प्रिविलेज है कि वे टोंक डिस्ट्रिक्ट में रहें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हम समय समय पर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम सरकार से यह कहना चाहेंगे, अगर वह अपने रवैये में, अपने तरीके में फर्क नहीं करेगी, अगर वह अपने सोचने के रवैये में फर्क नहीं लायेगी तो जो नजारा टोंक डिस्ट्रिक्ट में माननीय रेवेन्यू मंत्री की हैसियत से माननीय दामोदरलाल व्यास को देखने को मिला, वह आप सबको देखने को मिल सकता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप यह चाहते हैं कि कुछ महीने और इन कुर्सियों पर बैठे रहें तो आपको अपने सोचने के तरीके में और अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वहां पर जो एस. डी. एम. हैं वे आठ साल से, माननीय उपाध्यक्षजी, वहां पर हैं।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जो वहां पर तहसीलदार हैं, श्री गेंदालालजी तहसीलदार, वे वहां आठ साल से हैं। हमने उनका ट्रान्सफर कराने के लिये बहुत कोशिश की लेकिन उनका ट्रान्सफर कैसे हो सकता है? वे व्यासजी के बिल्कुल नजदीकी दोस्तों में से हैं। इसलिये जब उनका ट्रान्सफर तहसीलदार की हैसियत से हो गया तो उनको बी. डी. ओ. बना कर मालपुरा में रखा गया। माननीय उपाध्यक्षजी, इसी तरह से हमारे टोंक में जो एस. डी. एम. साहब हैं उनको आठ साल या सात साल से कम अर्सा वहां पर नहीं हुआ है। इसलिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो मनोवृत्ति मंत्रिमण्डल के सदस्यों की है, उन्होंने अपनी मर्जी के पात्र, अपने गुर्गे, हर जगह अपने ऐसे मोहरे फिट कर रखे हैं और वह उनके इशारे पर, उनके टेलीफोन पर हर तरह से जनता में आतंक पैदा करते हैं और जनता को परेशान करते हैं, और उनके ये जो भी मर्जीदान हैं उनको राजस्थान के बजट से गलत तरीकों से मदद करते हैं। यह जो आपकी मनोवृत्ति है, यह जो आपकी धारणा है, इस धारणा को और इस मनोवृत्ति को पूरा करने के लिये आप उस मूक जनता पर, उस असहाय जनता पर टैक्स लगाना चाहते हैं, यह कहां का आपका न्याय है? यह कौनसा वाजिब तरीका है? और उस टैक्स के पैसे से, जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बतलाया, उनको आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप मदद करना चाहते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि जो हमने टैक्स लगाये हैं वे वाजिब हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इन शब्दों के साथ में इन सब टैक्सों का विरोध करते हुए माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे यह टैक्स वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शीशराम ओला!

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट १९६६-६७ का हाउस के समक्ष माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बजट को अच्छी तरह से देखने से यह साफ प्रतीत होता है कि इस बजट में कोई इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है जिससे साधारण जनता को कष्ट होता हो या जिससे आम जनता प्रभावित होती हो। फिर भी इस बजट के माध्यम से और लोगों को कुछ लाभ हो सकते थे और इस बजट को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता इसे बनाते समय तो शायद जिन लोगों को इससे लाभ हुआ है उससे अधिक लोगों को इससे लाभ होता। इस दृष्टि से मैं अपने विचार इस हाउस के समक्ष प्रगट करना चाहूंगा। देखने में आता है कि राजाओं का जब वक्त था, एक राज्य उस वक्त भी उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलता था जो लोग उनके नजदीक रहते उनके नगर में रहते थे, अथवा बड़े बड़े शहरों में रहते थे, आज का बजट बनाने वाले अधिकारी और उस वक्त का बजट बनाने वाले अधिकारी मेरे ख्याल से वही हैं अथवा उनके रिश्तेदार अथवा उनके बेटों में से हैं। बजट बनाने वाले व्यक्ति हैं उनको बजट बनाते वक्त सलाह देने वाले जो व्यक्ति होने चाहिये और जो इस प्रकार से जनता के हित-अहित की बात को सोच सकते हैं वे लोग तो बजट बनाते वक्त बिल्कुल नहीं बैठते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिये जो लोग इस बजट से सहूलियतें प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज हम देखते

(श्री शीशराम ओला)

किसानों और शहरों के लोगों के बीच में कितना अन्तर है ? एक साधारण मजदूर जो शहर में मजदूरी करता है, किसी तीसरे आदमी की मजदूरी करता है, वह मजदूर आज किसान से कितने गुना अच्छा है। वह मजदूर आज जलूस के जरिये, अपनी बुलन्द आवाज के जरिये, अपनी शक्ति के जरिये सरकार से जो चाहे, जिस प्रकार की मजदूरी चाहे, जिस प्रकार की सहूलियतें चाहे, वह सारी मनवा लेता है और उसकी बात पर हमारी सरकार और हमारी सरकार के अधिकारी भी अधिक ध्यान इसलिये देते हैं क्योंकि वह उनके जुलूस से और उनकी आवाज से, उनके नाम से घबरा जाते हैं। डरते हैं। लेकिन आज किसान के पास यह सारी शक्ति नहीं है। किसान को मतलब है अपनी खेती से और अपने काम से। न तो आज किसान इकट्ठा ही हो सकता है और न एक होकर वह अपनी आवाज उठा सकता है और न-उसमें इस प्रकार की भावना है क्योंकि किसान अलग अलग गांवों में रहते हैं, जिनके पास न तो कोई कम्युनिकेशन के किसी प्रकार के साधन हैं और न खबरों को जानने के अखबारों के उनके पास साधन हैं। वह क्या करें ? वह बेचारे महीने में एक आध बार शहर आते हैं और शहर का वातावरण देखते हैं और फिर शहर से दूर, दुनियां भर से अलग गांव में जाकर काम करते हैं।

हम देखते हैं कि बिजली मिलती है तो शहर को मिलती है। शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध होता है तो शहरों के लिये और कस्बों के लिये होता है, या उन लोगों के लिये होता है जो लोग इकट्ठा रहना जानते हैं, जो आवाज को बुलन्द करना जानते हैं। आज हम देखते हैं कि चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पीटल सहूलियत अगर है तो वह सब उन लोगों के लिये है जो लोग शहरों में रहते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर गांवों में नहीं जाता। अगर कहीं कोई डिस्पेंसरी गांव में खोल दी है, डिस्पेंसरी खोलने की गलती सरकार ने की है और डिस्पेंसरी खोल दी गई है तो या तो डिस्पेंसरी खाली पड़ी है अथवा उनमें कोई डाक्टर नहीं मिलता है। अगर कोई डाक्टर मिलता भी है तो वह मिलता है जो सबसे रद्दी होता है और निकम्मा होता है। ऐसे डाक्टर को गांव की डिस्पेंसरी में भेजा जाता है। बड़े बड़े और अच्छे डाक्टर शहरों में रहते हैं और उनसे लाभ शहर के लोगों को होता है।

(१. म. प.)

इसी प्रकार से यहां पर बिजली अगर एक मिनट के लिये भी फेल हो जाती है तो पॉवर हाउस के सभी अधिकारी इस बात के लिये व्यवस्था करेंगे कि बिजली जल्दी से जल्दी ठीक हो जावे और उसी समय वह बिजली ठीक हो जाती है। वहां गांवों में अव्वल तो किसानों को बिजली मिलती ही नहीं और अगर बिजली कुओं आदि पर मिलती है तो अगर वहां पर बिजली खराब हो जाती है तो वह तीन तीन दिन तक ठीक नहीं होती चाहे कुए पर बिजली नहीं होने से फसलों को पानी नहीं मिले और फसलें खराब हो रही हों। जब बिजली नहीं होती है तो कुओं से पानी नहीं निकल सकता है और किसी ऐसी अवस्था में जब तीन दिन तक बिजली खराब है तो उस किसान को तो नुकसान हो जाता है और उसकी खड़ी फसल खराब हो जाती है उसको कोई सुनने वाला नहीं। उस गरीब का तो तीन दिन में या चार दिन में

(श्री शीशराम ओला)
चार हजार की फसल का नुकसान हो जावेगा। मगर उस महकमे के अधिकारी इस बात को नहीं जानते कि किसान को इससे कितना नुकसान हो जाता है। इसलिये हम कहते हैं कि बिजली की आपकी यह हालत है। ग्रामीणों के लिये शिक्षा की यह हालत है जो आपसे छिपी नहीं है। यहां पर विज्ञान की कक्षाएं और इन्जीनियरिंग की कक्षाएं खुली होती हैं और मेडिकल कॉलेज भी होता है इसलिये शहर वालों को उनमें जाकर एडमिशन लेने की सुविधा मिलती है और उन लोगों को प्राथमिकता मिलती है जो लोग यहां पर अधिकारी हैं या जिसका कोई प्रभाव होता है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गांवों के लोग उन शहर वालों के बराबर आवेंगे कैसे? उनके लिये उच्च शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया गया है। उनके लिये तो अक्षर ज्ञान की शिक्षा का ही प्रबन्ध किया गया है। वैज्ञानिक शिक्षा के लिये कोई उनके लिये गांवों में कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके अलावा अगर उनको वैज्ञानिक शिक्षा के लिये अवसर भी मिले तो वह इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस प्रकार का खर्चा उसके लिये होता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार से शेड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये सरकार ने वजीफे की व्यवस्था की है, उसी प्रकार मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण लोगों के लिये भी व्यवस्था की जाए ग्रामों में रहने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह हरिजन हो, चाहे वह किसान हो या और कोई भी व्यक्ति हो उन सब लोगों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था हो। इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं हो बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उनके लिये सुरक्षित स्थान रखे जावें। उनके लिये इन्जीनियरिंग कॉलेज और वैज्ञानिक शिक्षण के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायें और उन सुरक्षित स्थानों पर रूरल एरियाज के लोगों को ही लिया जावे। उन रूरल एरिया के सुरक्षित स्थानों पर शहर के लोगों को मौका नहीं दिया जावे। यदि हमने ग्रामीण लोगों के लिये इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की तो मैं यह आपसे कहूंगा कि पीछे वाले लोग पीछे रह जावेंगे और आगे वाले लोग और आगे चले जावेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मैंने जो शिक्षा पर निवेदन किया है, हमारी सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान देगी।

होस्पीटलों के बारे में भी मेरी यही मान्यता है कि इसमें भी उसी प्रकार की व्यवस्था हो, जैसा मैंने ऊपर बताया है। स्टेंडी लोन की व्यवस्था है वह रूरल एरिया के लिये हो और उनके लिये मैडिकल कॉलेज में स्थान सुरक्षित हों। उनकी जगह कोई दूसरा नहीं आवे। आज हम देखते हैं कि गांवों में डॉक्टर लोग नहीं आते हैं। गांवों में लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं उनको लोग नहीं समझते। अगर सरकार जैसा मैंने बताया उस प्रकार कार्य करेगी तो गांवों के लोग जो जनता की तकलीफों को जानते हैं, वे जनता की सेवा भी कर सकेंगे और सरकार की यह दिक्कत है कि गांवों में डॉक्टर आदि नहीं आते हैं वह भी दूर हो सकेगी। इसलिये इस प्रकार के आदमियों को हमने लिया तो सरकार की जो बदनामी होती है उससे भी सरकार वंचित होगी और कार्य भी ठीक तरह से होता रहेगा क्योंकि वह किसान के घर से आया है वह किसानों की दिक्कतों को जानता है। वह सरकार के

(श्री शीशराम ओला)

प्रति वफादार रहेगा और गांवों का भला करेगा और सरकार की इच्छाओं और बुराइयों को वहां के जो पटवारी, एस.डी. एम. कलैक्टर, तहसीलदार, थानेदार, इन्जीनियर, डॉक्टर आदि के कामों के जरिये जनता आंकती है। यदि वे ठीक ढंग से काम करते हैं तो सरकार का सिर भी इससे ऊंचा होगा। अगर वे किसानों और गांव की जनता को तकलीफ देते हैं तो वह सारी बदनामी सरकार पर आ कर पड़ती है। सरकार की बदनामी होती है। लोग यह कहते हैं कि यह सरकार ऐसी है, इस सरकार के अधिकारी इस प्रकार के काम करते हैं। और जनता को तकलीफ देते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इससे सरकार को तीन-चार तरह के लाभ मिलेंगे। इसके लिये मैं माननीय मन्त्रीजी से उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि सामुहिक तौर से इस पर विचार करके इस प्रणाली को लागू करें।

अब मैं किसानों की दिक्कतों पर आता हूं। किसानों को जब बीज फसल पर बोने के लिये जरूरत होती है तो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनको बीज नहीं देता और कहता है कि जनवरी में देंगे। जनवरी में और फरवरी में तो कटाई का समय शुरू हो जाता है। किसान अच्छे बीजों की तलाश में रहता है जिससे वह अच्छे बीजों से अच्छी फसल हासिल कर सके। इसलिये किसान की एक आंख सरकार की तरफ होती है और एक आंख और एक कान खेत की तरफ होता है। जब वह अखबारों में सुनता है कि फलां किसम का बीज अच्छा होता है और पंचायत डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि अमुक बीज अच्छा है तो वह किसान उन बीजों का लाभ उठाने के लिये उनको लेना चाहता है और इस बात की चेष्टा में लगा रहता है कि उसको अच्छे बीज मिलें तो वह खेती करे। बीजों के लिये जब पंचायतों के प्रधानों की तरफ से जिला परिषदों के प्रमुखों की तरफ से या सरपंचों की तरफ से डी० ओ० लेटर लिखे जाते हैं तो विकास विभाग के कमिश्नर श्री आर० डी० माथुर लिखते हैं कि बीज नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि जब डिपार्टमेंट वाले किसानों को बीज समय पर नहीं दे सकते तो वे किसानों के साथ क्या मदद कर रहे हैं? जब किसानों के बीज बोने का समय निकल जावेगा और उस समय उनको अगर बीज मिलेंगे तो वह उनके किस काम के और उनको लेगा कौन? इसलिये किसान इन अच्छे बीजों के झगड़ों में रह जाता है और उसको बीज नहीं मिलने से वह अपनी पुरानी तरीके की फसल भी अच्छी नहीं कर पाता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अच्छे बीजों के लिये प्रत्येक जिले के हेड क्वार्टर में सरकार की तरफ से बीज के फार्म खोले जावें। और उस जिले के किसानों को वहां से जोतने के लिये बीज दिये जावें ताकि उनको समय पर बीज मिल सके। इसके अलावा यह भी देख लिया जावे कि उस जिले की भूमि को किस प्रकार के बीज की जरूरत है और पहले इस बात को वहां की भूमि में जोत कर मालूम कर लिया जावे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हम इस प्रकार से बीजों के लिये जिले वाइज प्रबन्ध कर दें तो यह बीजों का लाभ किसानों को मिल सकता है। यदि किसान ने ज्यादा अन्न उत्पन्न किया तो उससे यह ज्यादा लाभ देश को ही होगा।

दूसरी बात यह है कि किसानों को सस्ती बिजली मिलने का प्रबन्ध होना चाहिये।

(श्री शीशराम ओला)
पहली बात तो यह है कि किसानों को पहले तो बिजली मिलती ही नहीं है और अगर मिलती है तो रेट से नहीं मिलती जो इन्डस्ट्रीज को मिलती है। किसानों को आज बिजली मिलती है वह १२ पैसे यूनिट मिलती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ी इन्डस्ट्री तो कृषि की इन्डस्ट्री है क्योंकि इस इन्डस्ट्री के बगैर हम लोग भी जिन्दे नहीं रह सकते और न दूसरी इन्डस्ट्रीज ही जिन्दा रह सकती हैं। अगर बिजली सस्ती होगी तो कुओं से पानी निकाल सकेंगे और उससे अनाज और दूसरी चीजें जैसे रूई, तिल, बिनौले आदि पैदा होंगे और वे इन्डस्ट्री में काम आवेंगे क्योंकि सारा का सारा रॉ (Raw) मेटीरियल देने वाला किसान है और कृषि इन्डस्ट्री है। इसलिये हम इतनी बड़ी इन्डस्ट्री को भुला कर चलें और दूसरी इन्डस्ट्रीज को उससे ज्यादा सहूलियतें दें, यह न हमारे लिये और न सरकार के लिये शोभादायक है और न ही हमारे देश के आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से ठीक है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समस्त बिजली अनाज पैदा करने के लिये किसानों को दीजिये, क्या मजाल है कि अनाज की समस्या हमारे देश के सामने खड़ी रह सके। हिन्दुस्तान की आजादी को कायम रखने के लिये, हिन्दुस्तान की इज्जत को बचाने के लिये, हिन्दुस्तान के सम्मान को दुनिया में कायम रखने के लिये अगर हम डिफेन्स फण्ड इकट्ठे कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि अनाज की समस्या को हमेशा के लिये खत्म करने के लिये कृषि की उपज को बढ़ाने के लिये फंड्स इकट्ठे नहीं कर सकते। बस एक बार आप हमें यह कह दीजिये कि जितना रुपया लगे, जिस जिस इलाके के लोग इकट्ठा करेंगे उससे दुगुना पैसा सरकार अपनी ओर से देकर उस इलाके के लिये बिजली लगाने का प्रबन्ध करेगी। इस तरह का प्रोग्राम आप लोगों के सामने रखिये, इससे जो एक बड़ी भारी समस्या आज हमारे सामने अनाज की कमी की है वह समस्या हमेशा के लिये खत्म हो जायगी। कहने के लिये हमारे विरोधी भाई कह देते हैं कि पी० एल० ४८० के द्वारा भीख मांग कर सरकार अनाज लाती है, ठीक है बुराई सभी करते हैं पर ऐसा कहने वाले ही लोग इसका सबसे पहले तथा सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। अगर वे लोग काम में नहीं लेते तो हम उनको मानते। आज हमारे पास कितनी भूमि बेकार पड़ी है, निश्चित योजना बद्ध तरीके से अगर हम काम करें तो आधे हिन्दुस्तान को तो अकेला राजस्थान ही अनाज दे सकता है। यदि आप एक निश्चित योजना बद्ध तरीके से काम करें, किसानों के लिये बिजली उपलब्ध करा दें, कृषि के लिये पानी का अच्छा प्रबन्ध कर दें, ठीक ढंग से अच्छे बीज की किसानों के लिये व्यवस्था कर दें, अच्छे खाद का सुव्यवस्थित ढंग से वितरण किसानों में कर दें तो यह अनाज की समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है।

(विराम)

(कुछ माननीय सदस्यों के लिये खड़े होने पर)

अभी तो मैं बोल रहा हूं। कृषि के मामले में जो कुछ आज सरकार करती है मैं समझता हूं इससे ज्यादा तो एक पाटड़ा गो नाम का जानवर है वह करता है, सरकार मदद नहीं करती पर पाटड़ा गो कृषि के मामले

(श्री शीशराम ओला)

में किसान को बहुत मदद करता है। वैसे वह बहुत विषैला जानवर है, यदि किसी को खा जाय तो वह मर जाय पर खेती के दुश्मन जितने जानवर हैं उन जानवरों को पाटड़ा गो खा जाता है। किसानों का सबसे बड़ा मददगार है तो सरकार और सरकार के कृषि अधिकारियों के मुकाबले पाटड़ा गो ज्यादा मददगार है।

अब मैं थोड़ा राहत कार्यों के बारे में आपको अर्ज करना चाहूंगा। मैं ऐसे जिले से आता हूं जो रेगिस्तानी इलाका है, जो झुंझुनूं जिला है उस जिले में मिट्टी ज्यादा है, रेतीला इलाका है, मार्च के बाद मई, जून तक वहां मिट्टी उड़ा करती है। जो राहत कार्य आई साल फेमीन रिलीफ के जरिये वहां कराये जाते हैं वे इधर तो कराये जाते हैं और उधर भयंकर रूप से मिट्टी के उड़ने के कारण बरबाद हो जाते हैं। हमने फैमीन कोड बनाया है, अकाल राहत कार्य किस प्रकार किये जायें इसके लिये कानून बनाया है। मैं नहीं समझता कि किसी कानून में किसी प्रकार की गलत व्यवस्था हो तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। उसको सुधारा जा सकता है। हमारे झुंझुनूं इलाके के समान ही चूरू और सीकर का इलाका भी रेतीला इलाका है पर मैं झुंझुनूं के लिये ही अर्ज करूं। वहां के सब कार्यकर्ताओं ने, हमने दिमाग बनाया और यह सोचा कि जो पैसा अकाल राहत कार्यों के लिये खर्च किया जाता है, जो पैसा अकाल राहत कार्यों के लिये सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, उतना पैसा न दे कर उससे कुछ कम पैसा दे दें और वहां कुएं बनाने के लिये एक से डेढ़ हजार रुपया तक की सहायता किसानों को दे दी जाये। इससे एक तरफ तो अकाल पीड़ित लोगों को काम देने का सरकार का मकसद है वह पूरा हो जायेगा और दूसरी तरफ मजदूरों को काम देने के लिये सरकार राहत कार्यों में पैसा लगाती है उस पैसे से कुआ बनेगा और शेष स्वयं अपने खर्च से ईंट, चूना, पत्थर आदि की स्वयं व्यवस्था करेगा और डेढ़ हजार रुपये में १०, १५ मजदूर दो महीने के लिये रिजर्व हो जायेंगे, दो महीने के लिये उन मजदूरों को काम मिल जायेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से मजदूरों को काम भी मिल जायेगा और उधर कई कुएं तैयार हो जायेंगे और इस प्रकार अकाल की समस्या हमेशा के लिये हल हो जायेगी। इस सम्बन्ध में सरकार ने शायद कभी सोचा नहीं है। तो मैं समझता हूं झुंझुनूं जिले में अकाल राहत कार्यों के लिये जितना पैसा सरकार को खर्चना है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाये कि जो किसान वॉलंटेरिली कुआं बनाना चाहता है, उसको डेढ़ हजार रुपये की आर्थिक सहायता की मदद दे दी जाये तो निश्चित रूप से अकाल की समस्या को सुलझाने में बड़ी भारी सहायता मिलेगी उधर इस रेगिस्तान की रेती उड़ उड़ कर यू० पी० तक को डेजर्ट बनाती जा रही है, यहां की मिट्टी उड़ उड़ कर यू० पी० और पंजाब तक की जमीन को बेकार बनाती है, हवाएं इस इलाके की डेढ़-डेढ़, दो-दो फीट मिट्टी को यू० पी० और पंजाब तक उड़ा कर ले जाती हैं, इस प्रकार की व्यवस्था से यह समस्या भी काफी हल हो सकती है कि राहत कार्यों के लिये जो पैसा सरकार लगाती है वह पैसा किसानों को कुए बनाने के लिये फ्री सहायता के रूप में दे दे। इस प्रकार अगर ६ लाख रुपया सरकार ने दिया तो

(श्री शीशराम ओला)

उस रकम से ३०० कुएं तैयार हो जायेंगे। इससे मजदूरों को अकाल के समय में मजदूरी भी मिल जायेगी, किसान भी खुशहाल होगा, अनाज की समस्या भी हल होगी और हमेशा के लिये अकाल की समस्या को हल करने में बड़ी भारी सहायता मिलेगी।

आज सुनने को मिलता है कि घग्घर नदी में बाढ आती है और दिल्ली की तरफ से नाला नम्बर ६, नाला नं. २, नाला नं. ८ आदि नजफगढ आदि को पानी में बहाया हुआ है, घग्घर में बाढ आ जाती है तो किसान काश्त नहीं कर सकते, भयंकर नुकसान हो जाता है। एक तरफ पानी ज्यादा आने से बड़े नुकसान में जाते हैं, हम कहते हैं कि बाढ आ गई, बाढ राहत कार्यों के लिये मदद की जाये। दूसरी तरफ हमारी काफी जमीन बेकार पड़ी रहती है, वह पानी अगर सिंचाई के अभाव में पड़ी हुई उस झुन्झुनू जिले की जमीन में दे दिया जाये तो हमारे यहां अनाज की काफी पैदावार बढ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेन्ट हैं जिनसे कोई फायदा नहीं, उन डिपार्टमेन्ट्स में कटौती कीजिये और इरिगेशन, बिजली आदि की सुविधाएं किसानों को देकर किसानों को और प्रोत्साहन देने के लिये इसी बजट के तहत सहायता दीजिये, इससे आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी और टैक्स के लिये जो आपकी आलोचनाऐं होती हैं, वह भी बात समाप्त हो जायेगी। वर्ना आज जो मंत्रिमंडल है वह भी कुछ नहीं कर सकता, यदि दूसरा मंत्री-मण्डल कभी आया तो वह भी कुछ नहीं कर सकेगा जब तक कि बेसिक इन्कम राजस्थान की आपकी नहीं बढायेंगे तब तक कोई भी समस्या राजस्थान की हल होने वाली नहीं है।

आज हम सर्विसेज के बारे में देखते हैं। एज्यूकेशनल सर्विसेज, इन्जीनियरिंग सर्विसेज, पी. डब्लू. डी. की सर्विसेज हैं या और दूसरी सर्विसेज हैं वे सभी कहते हैं कि हमारी सर्विसेज, सर्विसेज की गारन्टी सर्विसेज का वेतन आदि स्तर ऑल इन्डिया सर्विसेज के बराबर का होना चाहिये।

आज हमारे अधिकारी ऑल इन्डिया सर्विसेज में जाना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हम राज्य के आधीन रहें और राज्य के प्रति उत्तरदायित्व पूरा करें। एक अधिकारी की बदली होती है पंचायत विभाग में वह सोचता है कि मैं कहां आ गया। मेरे पास तो फोन था, बंगला था, शहर में था, कहां मैं गांव में आ गया। तो २-४ काम ऐसे गलत करता है जिनसे उसकी शिकायत होती है उसका नतीजा यह होता है कि वापस उसको शहर में लाया जाता है क्योंकि बदली करने वाले अधिकारी भी वैसा ही दिमाग रखते हैं। पंचायत विभाग से उसको लेना नहीं है। विकास विभाग की अपनी सर्विस नहीं है, उसकी रुची नहीं है विकास विभाग में काम करने की। इसलिए मेरा सुझाव है कि सर्विसेज में ४० या ५० प्रतिशत ऐसे लोग हों जो लोग गांव के रहने वाले हैं, जो रूरल एरियाज के हों ताकि वे लोग आपके प्रशासन में ज्यादा रुचि ले सकें और ज्यादा सेवा कर सकें और गांव वालों की भी ज्यादा सेवा कर सकें।

आपको पंचायत विभाग की अलग सर्विस करनी चाहिए; जैसे मेडीकल इन्जी-

(श्री शीशराम ओला)

नियरिंग आदि । मेडीकल वाला जैसे दूसरे विभाग में नहीं जा सकता, इन्जीनियरिंग वाला दूसरे विभाग में नहीं जा सकता इसी प्रकार से कृषि विभाग, पंचायत विभाग, ऐसे, अलग-अलग डिपार्टमेन्टवाइज सर्विसेज कर दें। बाकी नहीं तो एक विभाग में गड़बड़ी की फिर वह दूसरे में गया, तीसरे में गया तो उससे उसका क्या बिगड़ा ? और विभाग की अलग सर्विस होगी अधिकारी को भी सोचना पड़ेगा कि इस विभाग में अगर जमकर काम नहीं करेंगे तो लोग टिकने नहीं देंगे । इससे प्रशासन में सुधार आएगा, उस विभाग में सुधार आएगा। अब क्या होता है कि उसकी बदली होती है तो वह विभाग सफर करता है और काम जो सुचारु रूप से होना चाहिए वह नहीं होता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी में और भी बोलेंगे ।

श्री शीशराम ओला : मैं पांच मिनट और लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट !

श्री शीशराम ओला : तीन मिनट । झुंझुनू जिला एक प्रकार से फौजी जिला है, जब कोई लड़ाई होती है तो यह स्वाभाविक है कि वहां कई लोगों का नुकसान होता है । १९६२ में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था उस समय जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके लिए सरकार ने घोषणा की थी कि उनको जमीन मिलेगी, और दूसरी प्रकार की सब सहूलियतें सरकार के जरिए दी जायेंगी । आर्थिक सहायता तो उनको समय पर मिल गई लेकिन राजस्व विभाग की मेहरवानी से जो १९६२ में वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके जमीनों के केसेज अभी तक भी पेंडिंग हैं । उनकी विधवाएं इतनी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, जब उनके पति जीवित थे तो उनकी आमदनी ठीक तरह से होती थी लेकिन उनकी आमदनी कम हो गई । उनको आर्थिक नुकसान हुआ और उधर काम करने वाले नहीं रहे तो उनको आज तक जमीन नहीं मिल पाई है; जो लाभ १९६२ में मिलना चाहिए था वह १९६६ तक भी नहीं मिल पाया है । यह मेहरवानी राजस्व विभाग के अधिकारियों की है । यही हालात पाकिस्तान में से लड़ाई में वीरगति को प्राप्त लोगों की है । उनको भी आज तक, एक को भी जमीन नहीं मिली है । आप देखिए यह सरकार उन बहादुरों के परिवारों के प्रति कितनी उदासीन है ।

राजस्थान अलग अलग रियासतों से बना है और हर रियासत में अलग अलग व्यवस्था थी । विभिन्न तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों को एक वेतन स्तर पर फिक्सेशन द्वारा लाया गया । जो लोग कम तनख्वाह पाते थे उनको पीछे के एरियर्स मिले हैं फिक्सेशन हुआ है । मगर झुंझुनू जिले के किसान के साथ यह समानता नहीं । झुंझूनू एक ऐसा जिला है चूरू जिसके साथ है, सीकर जिसके साथ है, अलवर जिसके साथ है, पंजाब जिसके साथ है । वहां देखते हैं तो लगान चार आने ६ पैसे बीघा है और झुंझुनू में १६) रु० बीघा तक लगान है । इससे और कोई अधिक अत्याचार झुंझुनू जिले के लोगों के साथ क्या हो सकता है? लेकिन सरकार ने सोचा नहीं । वहां के लोगों से भी दूसरे जिलों के लगान के बराबर लगान लेनी चाहिए, और इस प्रकार लगान कम करना चाहिए ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहां जो बजट इस वक्त पेश किया गया है वह सोच विचार कर पेश किया गया है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, यह बजट जो पेश हुआ है वह उसी प्रकार बिना विचार किये पेश किया गया है जिस प्रकार हरेक वर्ष पेश होता आ रहा है। गत तीन चार वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं कि हर वक्त सरकार सप्लीमेंटरी डिमांड्स लेकर आती है। बजट से अधिक खर्चा होने के कारण विधान सभा के सामने सप्लीमेंटरी बजट लेकर आती है और इस साल भी सरकार सप्लीमेंटरी डिमांड्स लेकर नहीं आयेगी, यह मैं नहीं समझता।

जहां तक टैक्स का सवाल है, जितने भी टैक्स लगाये गये हैं वे सारे के सारे गरीब लोगों पर, साधारण लोगों पर, किसानों पर और गांव में रहने वाले लोगों पर प्रभाव करने वाले हैं जो कि उचित नहीं हैं। किसान की जहां तक हालत है, उसके साथ सरकार ने जो व्यवहार किया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकार ने किसी प्रकार भी किसान का पोषण नहीं किया। यह मानने लायक बात नहीं है। अदालतों में देखिये तो किसान को परेशान किया जाता है। खेती के कार्य में देख लीजिये, नौकरियों में देख लीजिये, शिक्षा में देख लीजिये तो कहीं भी किसान को स्थान नहीं है। गांव के अन्दर सड़कों को देख लीजिये तो गांवों में सड़कों की कमी है, स्कूलों का अभाव है। सरकारी नौकरियां भी गांव वालों को मिली हैं, ऐसा देखने में नहीं आता राजस्थान में। किसानों के मुकदमें के फैसले समय पर नहीं होते। किसानों को हर तरह से परेशान किया जाता है। मैं पंचायत समितियों के बारे में बताना चाहता हूं। अटरू, लाडपुरा और कुछ और पंचायत समितियों ने अभियान चालू किया कि अधिक गन्ना उपजाओ। सरकार ने काफी लोन दिया, काफी गन्ना किसानों द्वारा लगाया गया क्योंकि किसानों से कहा गया कि सरकार वहां एक शुगर मिल लगायेगी। तो काफी महंगे भावों पर किसान लोग गन्ना लाये। सरकार का आश्वासन था कि जब २०० या २५० एकड़ भूमि पर गन्ना पैदा होगा तो वहां एक शुगर मिल खोली जायेगी। लेकिन आज ३०० एकड़ गन्ने के वहां मौजूद हैं तो लोगों ने सरकार से मांग की कि शुगर मिल खोली जाये ताकि वहां पर किसान गन्ने को ठीक दाम पर बेच सकें और सरकार से जो लोन लिया है वह वापिस कर सकें और जिस मक्सद से सरकार ने गन्ने के फसल लगवाये हैं वह भी पूरा हो सके। इससे उन लोगों की माली हालत भी सुधरेगी। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अभी मथुरा दास जी माथुर कोटा पधारे थे तो जिला परिषद ने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा वहां पर एक शुगर मिल खोला जाये। लेकिन वहां पर सरकार ने इस बात को ठुकराया है, राजी नहीं हुई सरकार वहां पर। उसके बाद मिर्धा साहब वहां पधारे, हमने उनके सामने भी मांग रखी कि किसी प्रकार कृषि के फंड से कोई सेन्कशन देकर आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे शुगर मिल कायम हो सके और जितनी संस्थायें उनको गन्ना पेरने के क्रशर और बैलों से चलने वाली मशीनें मिल सकें तो उससे वे गुड़ बना सकें लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। नतीजा यह हुआ कि वहां का गन्ना सूखने जा रहा है। प्राइवेट शुगर फैक्टरियां खुली हैं, उनमें काफी सस्ता

(कु० श्री महेन्द्र सिंह)

गन्ना लिया जा रहा है। दो रुपया मन बीज लाकर बोया था आज उस किसान को उस गन्ने का भाव आठ आना और दस आना मन मिल रहा है। जब कि आप देखिये कि यहां तक हालत है कि उस गन्ने की कटाई और छिलाई उस किसान को आठ आना देनी पड़ती है। वे भी उसको नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार वहां का गन्ना सूख रहा है और किसान बड़ा परेशान है।

नहर की हालत यह है कि नहर में पानी नहीं है। इससे फसल सूखने जा रही है। अप्रेल से जून तक इसको ड्राई नहर करने की बात हो रही है। सीपेज को बन्द करने के लिये वह नहर बन्द की जा रही है। यदि इस नहर को अप्रेल से लेकर जून तक बंद कर देंगे तो जितनी पैदावार आज खड़ी है, बाग-बगीचे, साग-सब्जियां जो किसानों ने अपने उपयोग आदि के लिये लगाये हैं उनका क्या हाल होगा? उस नहर के भरोसे जितने बाग-बगीचे, साग-सब्जियां किसानों ने लगायी हैं उनका क्या होगा? उस नहर को बन्द करने के साथ साथ क्या सरकार यह हिम्मत रखती है कि इस नहर को बन्द करने के कारण किसानों के बाग-बगीचे साग-सब्जियां आदि फसलें जो खड़ी हैं वे सूख जाने पर उनको डेमरेज दे देगी? क्या सरकार तैयार है? सरकार देने के लिये तैयार नहीं है और किसान को ही सब्र करना पड़ेगा और सरकार खेद प्रकट करेगी। लेकिन किसान को तो अपने बच्चों का पालना मुश्किल हो रहा है।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कहता हूं। पहले यह कहा गया कि उन्नत फर्टी-लाइजर काम में लाइये; सुपर फोस्फेट, आदि। कोटा डिवीजन में फर्टीलाइजर नहीं था। सुपरफोस्फेट के लिये पंचायतों में गये, पंचायत समितियों के पास गये, बी० डी० ओ० को कहा, डी० ओ० एस० को एप्रोच किया, उनके ऑफिस में पहुंचे लेकिन यह जवाब मिला कि सुपरफोस्फेट नहीं मिल सकता। इससे भी प्रोडक्शन गिरा। कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर पानी पहुंचा हो। कई मीलों तक पानी पहुंचा ही नहीं। सिर्फ गया वहां भी एक पानी मुश्किल से गया। दूसरा पानी नही पहुंचा। कई खेत ऐसे हैं वहां पर पानी भी नहीं पहुंचा। माइनर की यह हालत है कि जितना क्यूबिक फीट पानी जाना चाहिए उतना नहीं जाता। उदाहरण के लिये बताऊं कि ढाबर, ३५० क्यू० फीट पानी चलना चाहिये लेकिन उसका बैंक लेवल इतना नीचे हो गया कि ३२५ क्यू० फीट भी नहीं झेल सकती और ३५० को छोड़ने का मतलब यह हुआ कि ओवर लेपिंग होगा, और ब्रीच होगा। पूरा पानी नहीं छोड़ सकते, टेल पर पानी नहीं पहुंच सकता।

सरकार ने घी और तेल पर भी टैक्स लगाया है। यात्री कर बढ़ाया है। गांव वालों को मिलता क्या है? घी भी गांव वाले बहुत कम खाते हैं, अधिकतर बेच कर अपने परिवार का पोषण करने में लगे रहते हैं। अधिकतर उनको खाने के लिये तेल मिलता है। उससे सब्जी बना कर परिवार को खिलाते हैं। तेल के ऊपर भी, यह शर्म की बात है, हमारे कौल साहब ने टैक्स लगाया। कौल साहब चाहते हैं कि गांव वाले सूखी रोटी खायें। कौल साहब चाहते हैं कि उनको घी भी न मिले और तेल भी खाने को न मिले। कौल साहब चाहते हैं कि गांव

(कु० श्री महेन्द्र सिंह)

वाले मोटर में बैठे नहीं। जान-बूझ कर, गांव वालों को वैसे ही कोई शौक नहीं होता है कि मोटर में बैठें और टैक्स दें। तारीख पेशी होगी तब ही बीच का आदमी बस में सफर करता है लेकिन उस सफर को भी कौल साहब रोकना चाहते हैं। उन्होंने सवाया टैक्स बढा दिया। एक रुपये में चार आना यात्रा करने वाले को सरकार को देना पड़ेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस गांव वाले के पास खाने के लिये पैसा नहीं है, बच्चों को पालने के लिये पैसा नहीं है, एक रुपये में से चार आना सरकार को टैक्स देकर तारीख पेशी पर जाये। कस्बे से आवश्यक सामान खरीद कर लावेगा उस पर अलग टैक्स देगा यह तो उससे नहीं होगा। इस प्रकार इन टैक्सों से गांव के लोगों का जीवन-यापन अस्त-व्यस्त हो जावेगा।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का ताल्लुक है, सरकार ने यह प्रावधान किया है कि सरकार उनके लिये कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोलेगी। यह स्टोर्स शहरों-कस्बों तक ही खुल पायेंगे। तहसील लेवल पर, पटवार हैडक्वार्टर पर, कानूनगो हैडक्वार्टर पर, मिडल स्कूल के अध्यापक रहते हैं, वेटरनरी के डाक्टर और स्टाफ रहता है, वहां पर आप ये कन्ज्यूमर स्टोर्स नहीं खोल सकते और न माल ही सप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार और लोग सरकार के भुलावे में आ सकते हैं उस तरह से सरकारी कर्मचारी सरकार के भुलावे में आने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों को जो शहरों और कस्बों में रहते हैं उन लोगों को लाभ दे सकते हैं लेकिन गांव में रहने वालों को लाभ नहीं दे सकते।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): पहले ही वहां संख्या उनकी कम है। खर्चा कम है।

कु० श्री महेन्द्रसिंह: खर्चा कम नहीं है, बन्धा हुआ देते हैं। ६०) रु० देते हैं उतना ही मिलेगा। दूसरे लोग तो चाहे कैसे ही मजदूरी करके भी गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारी तो दूसरी कोई नौकरी या काम नहीं कर सकता है, उसकी तो इनकम बंधी हुई है। उसके सामने और कोई जरिया नहीं है। एक आदमी बंधी हुई रकम लेता है उसको किसी प्रकार पालन-पोषण करना होगा अपने परिवार का। जहां तक मंहगाई का सवाल है वह दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। जिसको दो सौ रुपया तनख्वाह मिलती है वह ईमानदारी से काम करते हुए अपने परिवार का भली प्रकार पालन-पोषण नहीं कर सकता, अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकता। आप यह चाहते हैं कि वह ईमानदारी से काम करे और उस वेतन में अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर सकता, जो आप देते हैं, कन्ज्यूमर स्टोर भी उसके पास मदद के लिये नहीं पहुंच सकते हैं तो उसका पालन-पोषण कैसे होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो टैक्स घी पर, तेल पर, यात्री कर आदि आपने लगाये हैं जिससे किसान और गरीब आदमी पर इसका इम्पेक्ट अधिक होगा, कम तनख्वाह वालों पर इसका अधिक इम्पेक्ट होगा उसको वापिस लें और सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढावें, उनके वेतन में वृद्धि करें; बजाय कन्ज्यूमर स्टोर्स के।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्षजी, इसके पहले कि वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस

(श्रीमती सुमित्रा)

पर मैं अपने विचार प्रकट करूं, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री महोदय को लगातार पांच साल तक बजट प्रस्तुत करने के उपलक्ष में मुबारकबाद देना चाहती हूं, क्योंकि आप राजस्थान के इतिहास में दूसरे वित्त मंत्री हैं जिन्हें लगातार पांच वर्ष तक बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिलता रहा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि उन्होंने पांच साल के अर्से में सदन के माननीय सदस्यों को उर्दू का काफी ज्ञान बढ़ाया है। उपाध्यक्षजी, इसके पहले कि मैं बजट के बारे में अपने विचार व्यक्त करूं मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि हमारे पिछले दो स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों के लिये जिस प्रकार का सम्बोधन माननीय वित्त मंत्री महोदय ने किया है, मैं समझती हूं, वह सम्मान-जनक नहीं है।

ऐसा लगता है जैसे मोतीलालजी नेहरू भाषण दे रहे हों या पूज्य बापू भाषण दे रहे हों। "श्री" लगाना तो दूर रहा 'जी' लगाना भी आवश्यक नहीं समझा गया। 'जी' ये क्यों लगाते, ये उनसे बड़े हैं; अनुभवी और ज्ञानी हैं, क्योंकि लगातार पांच वर्षों से राजस्थान के वित्त मंत्री जो रहे हैं।

बजट की और सब बातों को बारीकी से देखने के बजाय मैं सदन के सामने यह कहना चाहती हूं कि सदन में प्रस्तुत इस १९६६-६७ के बजट को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि कांग्रेस सरकार की क्या घोषित नीतियां हैं ? मैं समझती हूं कि हमारी सरकार की जो मूलभूत नीति हैं वह है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्राप्त करने के लिये हमारा यह बजट कहां तक सहायक हो सकता है ? मैं समझती हूं समाजवादी दृष्टिकोण से चलने वाली सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि जो तबका नीचा है, गरीब है, जो शोषित है उनको ऊंचा उठाया जाये, यह बात होनी चाहिये; जिसको वित्त मंत्री महोदय ने भाषण में भी स्वीकार किया है :

"बजट की तंग कैफियत में सरकार के लिये मुमकिन नहीं है कि समाज के धनहीन वर्गों की हालत सुधारने के वास्ते कोई नई स्कीम चालू करे।"

इस सारे बजट में गरीबों की हालत को सुधारने की बात नहीं, कोई योजना का प्राव-धान नहीं इसलिये इस बजट को समाजवादी बजट तो नहीं कहा जा सकता।

मैं यह भी मानती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था वाली सरकार को यदि योजनाबद्ध दृष्टिकोण से बढ़ना है तो उसके लिये टैक्स भी लगाने पड़ेंगे। जो लोग गरीब और शोषित हैं उन पर भी यदि कर लगाने की आवश्यकता हो तो वह उनके सामर्थ्य के हिसाब से लगने चाहिये।

वैसे वित्त मंत्री महोदय ने प्रारम्भ में ही स्वीकार किया है कि इस साल का बजट खास अहमियत रखता है। खास अहमियत के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वह खास अहमियत का दृष्टिकोण यह है कि आगे आने वाला चुनाव लड़ना है। वह अहमियत इस दृष्टिकोण से नहीं रखता है कि चालू साल में बजट में किसी प्रकार का टैक्स न लगाया हो। चालू साल के बजट की जिस तरह

(श्रीमति सुमित्रा)

की अपेक्षा और आशा हम रखते थे वह उसके अनुकूल न होकर मूलभूत जो हमारी नीति है, हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा यह बजट कहां तक अपने आपको योग्य सिद्ध कर पायेगा, यह विचारणीय प्रश्न है।

वैसे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोग यह महसूस करते हैं, सदन में बार बार कांग्रेस की तरफ के सदस्यों की भी यह आवाज रही है कि हमारी कुछ मौलिक और मूलभूत नीतियां ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन होना आवश्यक है। आज गरीब को ऊंचा उठाने की बात तो की जाती है लेकिन आज गरीब और उच्चश्रेणी के लोगों की आय में कितनी असमानता है उसको दूर करने की बात की जाती है लेकिन उसको दूर करना और गरीबों को ऊंचा उठाने के लिये सहूलियतें देने का जहां तक सवाल है वह इस बजट में कहीं नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार से ऋण वही ले सकता है जिसके पास ऋण को चुकाने के लिये या कर्जा लेने के लिये उसकी निज की कुछ न कुछ व्यक्तिगत चल या अचल सम्पत्ति हो। जिसके पास (Surity) के लिए, पक्का मकान हो या उसके पास जमीन रहन रखने के लिये हो वही अपनी जमीन का डेवलपमेन्ट करने के लिये सरकार से ऋण प्राप्त कर सकता है। जिसके पास घर की जमीन नहीं है, जिसके पास घर का पक्का मकान नहीं है उसको यह सरकार एक रुपया तक ऋण देने के लिये तैयार नहीं है। मैं सरकार से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि जिसकी क्षमता है उसको ही अधिक बढाने की बात की जाये तो वह समाजवादी सरकार के लिये शोभा नहीं देती। किसी पूंजीवादी सरकार के लिये यह बात शोभा देने वाली हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो कर्ज किसानों को दिया जाता है भूमि के विकास के लिये और अन्य कार्यों के लिये उस ऋण या कर्जे को वापिस ठीक समय पर उसके द्वारा न देने की हालत में उस पर पी. डी. आर. की कार्यवाही करके उसको वसूल किया जाता है। जब कि किसी पूंजीपति से या इन्डस्ट्रियलिस्ट से या किसी भी बड़े आदमी से पी. डी. आर. के तहत किसी प्रकार से कोई वसूली आज तक नहीं हुई है, यदि किसी बडे पूंजीपति से या ठेकेदार से इस प्रकार से वसूली की गई हो तो माननीय वित्त मंत्री अपने भाषण के दौरान बतायेंगे कि कर्जे की वसूली के बारे में पी. डी. आर. के तहत वसूली करने में किसी भी बडे और छोटे के साथ भेदभाव नहीं बरता गया, किसी भी उद्योगपति अथवा ठेकेदार को एग्जेम्प्शन नहीं दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो मूल और अन्तिम लक्ष्य है उसके लिये मैं कहना चाहूंगी कहीं हम भटक तो नहीं गये हैं। आज जो सरकार अपने आपको लोक कल्याणकारी सरकार कहलाने का दावा करती है उस सरकार को शराब की आय जो सात करोड़ रुपये के लगभग है उसका लालच नहीं करना चाहिये। सरकार इस सात करोड की आमदनी के लिये इन्सान को हैवान बनाती है, उसको ऐसा काम करने के लिये मजबूर करती है जिसमें वह इन्सानियत खो

Page No. 53

(श्रीमती सुमित्रा)

बैठता है । उसमें केवल धन की ही बरबादी नहीं जो, चीज चारित्रिक व नैतिक पतन करने वाली है, जिससे समाज भ्रष्ट होता है । उस चीज को रख कर आप राज्य की आय बढाना चाहते हैं ।

माननीय वित्त मंत्री महोदय इस वर्ष के बजट में यदि राजस्थान को नई बात देते तो राजस्थान के लोग यह महसूस करते कि इस समाजवादी बजट में नई बात नई चीज राजस्थान की जनता को दी गई है । मैं समझती हूं कि यदि शराब की आय को आप बिल्कुल बन्द करके शराब-बन्दी कर देते तो भी हमें कोई अफसोस नहीं होता । उसके बजाय सात करोड के नये कर जनता देने के लिये राजी हो जाती । कोई तो इस प्रकार की नई बात की होती राजस्थान की जनता के लिये ।

एक तरफ तो आप अपने आपको पूज्य बापू का अनुयायी कहते हैं, आप बारबार घोषणा करते हैं कि स्वर्गीय पंडितजी और लालबहादुरजी शास्त्री के पद-चिन्हों पर चलते हैं । कोई तो आप इस प्रकार का कदम उठाते जिससे जनता को विश्वास हो सके कि यह समाजवादी सरकार है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कहां गंगला तेली और कहां राजा भोज ।

श्रीमती सुमित्रा : और पूज्य बापू के चरणों की अनुयायी सरकार है । मैं समझती हूं, ऐसा आपने बजट में कुछ नहीं किया ।

इसके साथ साथ आप एक तरफ यह भी महसूस करते हैं और स्वयं ने आपने अपने भाषण में भी कहा है कि पंडितजी ऐसा मानते थे कि हमारे गांव ऊंचे उठेंगे तो हम भी ऊंचे उठेंगे और यदि हमारे गांव नीचे गिरेंगे तो हम भी नीचे गिरेंगे । आपको यह मालूम है कि आज गांवों में जो लोग रहते हैं उनमें ८० प्रतिशत किसान रहते हैं । किसानों के बारे में, कृषि उत्पादन के बढाने के बारे में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है । सोचती तो मैं यह थी और राजस्थान के लोग भी यह अनुमान लगाते थे कि यह अन्तिम वर्ष है बजट प्रस्तुत करने का, आगे चुनाव आने वाले हैं अतएव वित्त मंत्री महोदय कोई क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे । बजट में गांवों में रहने वाले किसानों को इस बात की सहूलियत देते कि जिनके पास पांच बीघा जमीन है या इससे कम है उनसे कोई लगान नहीं लिया जायेगा ।

आपने ऐसा कुछ नहीं किया । पांच बीघा का भी लगान आपने नहीं छोडा । सोचते जब कि हम दस बीघा की थे । जो किसान पांच बीघा काश्त करता है, जिसकी आर्थिक जोत नहीं है, जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिये ख़ामख्वाह के लालच में फंस कर रात-दिन उस धरती के छोटे से टुकडे पर कठोर श्रम करता है, हम तो चाहते थे कि आप उसको लगान से मुक्त कर देते । पर ऐसा करना तो दूर रहा, उल्टे आपने क्या किया ? उस गरीब पर एक तरफ घी का टैक्स लगा दिया, उसके पशुओं पर बिक्री कर लगा दिया । माननीय वित्त-मन्त्रीजी, मैं बहुत नम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि गांव का किसान है वह घी भी बेचता है क्योंकि वह दो, चार, पांच गायें या बकरियां या भैंस रख लेता है, घी पैदा करता है, घी बेचता है। वह सरसों

(श्रीमती सुमित्रा)
बोता है, सरसों पैदा करता है, उसका तेल बनाता है। घानी लगाकर तेल भी निकालता है उसे बेचता भी है। उसके लिये हिसाब रखना मुमकिन नहीं है। ऐसी स्थिति में उन अनपढ लोगों को आपके विभाग वाले खामख्वाह परेशान करेंगे, कहेंगे कि तुमने तेल निकाला है सरसों बेची है, पशु बेचें हैं, घी बेचा है लाओ हमारा सेलसटैक्स। कुछ बकरियां बेची हैं तो लाओ सेलसटैक्स। मैं कहती हूं कि वित्त मन्त्रीजी! विरोधी पक्ष के लोग जो कहते थे, वह करके दिखा दिया। पिछले चुनावों के दिनों में विरोधी पक्ष के लोग कहा करते थे कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बन जावेगी तो लोग तुम पर न जाने ये कितने लाग-बाग और टैक्स लगावेंगे, ये सामन्तों से भी अधिक लाग-बाग और टैक्सों की भरमार कर देंगे। आज वह सच साबित हो रहा है, हमारे वित्त मन्त्रीजी ने उनकी बात को सच करके दिखा दिया है। आज वे गांव के गरीब लोग आपके इस सारे खेल को नहीं समझ सकते। वे अनपढ हैं। शहर के लोग तो काफी ज्ञानी हैं, वे सब समझ लेते हैं, स्कूल हैं वहां, कॉलेज हैं, माध्यमिक शालाएं काफी चलती हैं, वहां का तो आदमी पढा लिखा है और अगर कोई नहीं भी है तो आपकी इस विधान सभा में आकर और यहां की चर्चा को सुन कर काफी अक्ल सीख लेता है।

पर राजस्थान के आन्तरिक अंचलों में बसने वाले सुदूर गांवों में रहने वाले उन अनपढ गांव के लोगों को, किसान, को, मजदूर को, न आपके बजट की जानकारी होती है, न आपके टैक्सों के बारे में वे जान पाते हैं और न आप की इन रात-दिन लगने वाली लाग-बागों को समझ सकते हैं। इनकी किसी की भी ठीक जानकारी उनको नहीं होती है। ऐसी हालत में आपके विभाग के लोग खामख्वाह में उनको परेशान करेंगे, खामख्वाह में उनको दिक्कत करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इन नये लगने वाले टैक्सों के बारे में आप एक बार फिर ठंडे दिल और दिमाग से सोचें और यह देखें कि इस तरह के टैक्स लगाना इस समाजवादी समाज व्यवस्था के लिये, इस लोक कल्याणकारी सरकार के लिये कहां तक वाजिब है?

माननीय उपाध्यक्षजी, कहीं सदन के माननीय सदस्य मेरी मन्शा को गलत न समझ लें कि समाजवादी सरकार बिना टैक्स लगाये भी चल सकती है। जिस सरकार को योजनाबद्ध विकास करना है, जिस सरकार को जनता की बेकारी बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी दूर करनी है, जिस सरकार को जनता को सुखी और समृद्ध बनाना है तो जब हम एक तरफ सारे इन विकास की बात करते हैं मांग भी करते हैं तो इसके लिये सरकार को कहीं न कहीं से पैसा तो जुटाना ही पड़ेगा तो और यह पैसा सरकार के पास या तो टैक्सों के द्वारा आवेगा या लगान आदि के द्वारा, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। पर सिद्धान्त इस टैक्स लगाने का भी इस समाजवादी समाज व्यवस्था में यह है कि उन्हीं से ये टैक्स लिये जायें जो कर देने में सक्षम हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): ऐसा ही कोई अच्छा सा सुझाव आपकी ओर से आ जावे तो अच्छा है कि फिर ऐसी किस चीज पर टैक्स लगाया जावे, आप कोई सुझाव इस तरह का दें और नया रास्ता बतावें।

Page No. 55

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वे जरा एक-दो आइटम्स बतादें तो अच्छा है। हम जिन पर लगावें, उनके लिये इस तरह कह दिया जाता है, तो फिर आप भी तो कुछ बता दें।

श्रीमती सुमित्रा : आप महरबानी करके बीच में मुझे डिस्टर्ब न करें। आप खामख्वाह मेरे विचार-प्रवाह को तोडते हैं, यह गलत तरीका है। आप जब बोलते हैं और आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो हम तो आपके प्रोटेक्शन की बात कहते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं बोल रही हूं, तो मुझे इस तरह डिस्टर्ब न किया जाय, इसके लिये मैं आपके द्वारा प्रोटेक्शन सीक करती हूं, मुझे इस तरह से बीच में टोका न जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय व्यवस्थित रहेंगे।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रही थी कि माननीय वित्त मन्त्री जी इस पर फिर से गौर करें।

माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कहा है कि हमको इस वर्ष बजट बनाते समय १३ करोड़ का घाटा है, जो भारत सरकार से कर्जे के रूप में लेना पडेगा और इसका सबब उन्होंने लडाई और अकाल बताया।

लडाई जो हुई, उसके लिये हमारी विवशता थी। वैसे तो हमारा भारत देश एक शान्तिप्रिय देश है और राजस्थान तो इसमें भी अपनी गौरवमयी परम्परा कायम करना चाहता है, पर यह लडाई तो हमें विवश होकर लडनी पडी।

पर दूसरा कारण जो बताया, वह अकाल है। इस बारे में मैं कई बार पहले भी इस सदन में निवेदन कर चुकी हूं और फिर निवेदन करना चाहती हूं कि अकाल के बारे में हमें कोई न कोई स्थायी हल सोचना पडेगा, ढूंढना पडेगा।

१३ करोड रुपयों का आप कर्जा ले रहे हैं, आप इसके साथ ओर भी थोडा कर्जा अधिक मांग सकते हैं। मेरा खयाल है ६१-६२ में आपने रिजर्व बैंक से २० करोड़ रुपया कर्जे के रूप में लिया था और पिछले तीन सालों में उसे चुका दिया। इसी तरह से इस अकाल के स्थायी हल को खोजने और उसे क्रियान्वित करने के लिए आपको कर्जा लेना चाहिए और उस कर्जे को लेकर ऐसे जिलों को जिनमें लगातार वर्षों से लगातार अकाल पडता रहता है ऐसे जिलों के लिए कोई स्थायी हल के लिए लेना चाहिए। वर्ना तो आप सालों साल इसी तरह से एक ही तरह का खर्चा अकाल के लिए करते रहेंगे। क्योंकि यह मानवतावादी दृष्टिकोण है इस लिए इस खर्चे के बिना आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता है तो यही कि आप इसका कोई स्थायी हल खोजें। फिर अकाल राहत का काम करना, समाजवादी समाज को चलाने वाली जन कल्याणकारी राज का पुनीत कर्त्तव्य है। जब नागरिकों पर संकट पडे, प्रकृति का प्रकोप हो तो उस समय सरकार मदद करे अपनी जनता की, यह उसका पुनीत कर्त्तव्य है। तो मैं समझती हूं कि इस तरह से बार बार अकाल-राहत पर खर्चा होता गया और इसकी वजह से हमारे बजट में घाटा पड़ता गया और इसी कारण कर्जा लेना पडता है। बार बार आप यही बात दोहराते हैं और इसके होने के बाद भी और हर साल

(श्रीमती सुमित्रा)

दोहराते रहने के बाद भी आपका ध्यान इसके स्थायी हल की तरफ नहीं जाता, यह आश्चर्य की बात है। आप इसके लिए स्थायी हल का इन्तजाम नहीं करते हैं, मैं समझती हूं कि यह आपके अपने कर्तव्य से विमुख होने जैसी बात है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो १३ करोड का कर्जा उन्होंने लिया है मैं समझती हूं उसको खर्च करने के लिए उनको तीन चार जगह सिलेक्ट कर लेनी चाहिए और उन जिलों को सिलेक्ट करना चाहिए जो जिले स्माल सेविंग्ज में आगे रहे हैं, फोजों में अपने जवान भेजने में आगे रहे हैं, और डिफेन्स फण्ड इकट्ठा करने में सबसे पहली पंक्ति में रहे हैं। ऐसे तीन चार जिलों को सिलेक्ट करके १३-१४ करोड का जो लोन है, उसको वहां कोई न कोई सिंचाई का स्थायी प्रबन्ध करने के लिए दे देना चाहिए, ताकि बार बार इस सरकार के सामने यह अकाल की समस्या न आ सके।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऐसे कौनसे जिले हैं, नाम थोडे बता दीजियेगा न ?

श्रीमती सुमित्रा : आप जानते हैं। इन में झुंझुनू जिला भी है। यह मैं कहने से कोई संकोच नहीं करूंगी। स्माल सेविंग में, फौज में जाने में और डिफेन्स फण्ड आदि में यह जिला आगे रहा है, यह आप सब जानते हैं। सरकार जानती है, आप क्या करेंगे जान कर ? तो वह जिला अकालग्रस्त रहता है। उसका स्थायी हल होना चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसके लिए तो सरकार को पत्र लिख देतीं आप। यही बहुत था। यहां बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : माननीय सदस्य व्यवस्थित रहें।

एक माननीय सदस्य : आप चेयर पर नहीं हैं इस समय।

श्रीमती सुमित्रा : आप बीच में इस तरह से डिस्टर्ब न करें तो ठीक रहेगा।

तो उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि अकाल का स्थायी हल सरकार को करना चाहिये।

इसके बाद स्वयं वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के अन्त में कही है कि जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वह सारे समुदाय पर लागू होती है और उसके पहले वे कह चुके हैं कि इसकी असलियत और सही मन्शा बयान कर देना मुनासिब है। कभी कभी यह अन्देशा जाहिर किया जाता है गोया आगे की पीढी पर कर्जो का बोझा लादा जा रहा है या सरकार की लगातार कर्जेदारी राज्य की बरबादी का सबब बनती जा रही है।

फिर कहा है ऐसा लगता है कि व्यक्ति बूते से बाहर ज्यादा कर्जा करता है, बूते से ज्यादा कर्जा कर रहा है तो यह उसके दिवालियापन की निशानी है, लेकिन सरकार जब खर्च करती है कि विकास के कामों में खर्च करती है तो उस बात को इस तरह नहीं लेना चाहिये। उसकी तुलना करते हुए अन्त में उन्होंने यह भी माना है कि सरकारी कर्ज वह पैमाना है जिससे यह नापा जाता है कि लोगों का अपनी सरकार पर कितना भरोसा है।

मैं मानती हूं और जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जिस की योजना करनी

(श्रीमती सुमित्रा)

है, योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिये कर्ज भी लेना पडेगा टैक्स भी लगाने पडेंगे लेकिन माननीय वित्त मन्त्रीजी खुद उलझ गये हैं इन शब्दों में गलत अर्थ उन्होंने लगा लिया है और अन्त में आते आते वे कह गये हैं कि जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वही सारे समुदाय पर भी होती है। तो यह कहकर खुद ने ही अपनी पहली बात का कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। हालांकि हम तो इस बात से कि जो बात व्यक्ति पर लागू होती है वह सरकार पर लागू नहीं होती। योजना-बद्ध प्रभावित हो गये थे कन्विन्स भी हो गये थे विकास के लिये कर्जा लेना पडता है। पर वित्त मन्त्रीजी खुद उलझ कर कह गये। इसका मतलब यह है कि हम कर्जे से डूबते जा रहे हैं। इस तरह से अपनी हैसियत से ज्यादा कर्जा लेना वाजिब नहीं है और इस बात को स्वयं ने अपने शब्दों में स्वीकार कर लिया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे कम से कम दो-चार मिनट का समय तो दिया जाये। बीच में कई दफा तो विघ्न ही पहुंचा दिया था।

अपने भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने किफायत सारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि हमने २ करोड ८४ लाख की किफायत की है। मैं पूछना चाहती हूं कि उन्होंने वह मद बताए होते, जिनमें उन्होंने किफायत की है। यह जो बजट भाषण है और इसके अन्त में आपने खुद ने माना है कि इसके आंकडों में न उलझें। उन्होंने अपने भाषण के अन्त में कहा है, "अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि सिर्फ बजट के आंकडों में किसी राज्य की कारगुजारियों और कामयाबियों की सही व पूरी तस्वीर नुमाया नहीं होती। बजट तो इस तस्वीर का महज एक पहलू होता है। राजस्थान की जीती-जागती तस्वीर तभी नजर आ सकती है जब पिछले दस-बारह बरसों के तामीरी कामों का जायजा लिया जाये।" मैं भी स्वीकार इसको करती हूं कि बजट में जो आंकडे हैं भ्रम में डालने वाले हैं। राजस्थान की तामीरी का जहां तक सवाल है, मैं स्वयं आज भी और पहले भी इस सदन में स्वीकार कर चुकी हूं कि पिछले दस बारह सालों से राजस्थान ने आशातीत प्रगति की है। राजस्थान के अन्दर नई स्कूलें बनी हैं, नई सडकें बनी हैं, नए चिकित्सालय बने हैं और भी न जाने कितनी तरह की बडी बडी चीजों का निर्माण हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद हमने आज भी जनता के अन्दर एक मायूसी और सरकार के प्रति एक अविश्वास और दृढ देखा है। उसका कारण मैं समझती हूं कि हमारे राज्य में फैली हुई महगाई व बेरोजगारी है। दिन प्रति दिन बढते हुए टैक्स इन सब ने हमारी जनता को बिल्कुल निर्जीव और बिल्कुल निरुत्साहित बना दिया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे मैं इसको कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अभी दो-तीन दिन पहले महाराजकुमार भवानीसिंह जी की निकासी थी। मैंने उसको देखा और देखने के बाद मैंने महसूस किया कि इतना सब विकास करने के बावजूद भी, राजस्थान सरकार के इतना विकास इत्यादि सब कुछ करने के बावजूद भी कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी और अविश्वास जनता के अन्दर इस प्रकार का होता जा रहा है कि जिसकी वजह से इतनी भीड, इतना उत्साह वहां पर लोगों में देखा गया कि जिससे मैं सोचती

(श्रीमती सुमित्रा)

हैं हमको ठंडे दिल से इसको सोचना चाहिए कि हमारी बुनियादी नीतियों में क्या कसर है, क्या कमी है कि जिसकी वजह से हम जनता में वह विश्वास पैदा नहीं कर पाये जो कि १८ साल के अर्से में पैदा हो जाना चाहिए था।

माननीय उपाध्यक्षजी, किफायतसारी के नाम पर छोटे छोटे कर्मचारियों की छटनी कर दी जावे, चपरासियों को हटा दिया जावे और जो बडे सीनियर स्केल वाले आई० ए० एस० ऑफिसर्स का आप कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी मुझे खयाल है कि सुप्रिम कोर्ट में एक फैसला था राजस्थान के कुछ आई० ए० एस० सीनीयर ऑफिसर्स का, उसमें वे ऑफिसर्स वहाँ पर जीते। उनके जीतने पर दो ऑफिसर्स को ईमानदारी से देखा जाये तो उनके लिए रिवर्ट करना चाहिए था। उनके नीचे वाले ऑफिसर्स को उनके केस जीतने के बाद जिनका रिवर्शन करना चाहिए था वह तो किया नहीं और जो दो जीत कर आये थे, उनके लिए भी नई पोस्टें क्रिएट कर दी गई तो जहां २५०० रुपये का सवाल है, वहां तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं और ५० रुपये पाने वाले चपरासियों को और छोटे छोटे नोकरों को यदि गवर्नमेन्ट कम करदे तो मैं समझती हूं कि वह किफायतसारी की श्रेणी में नहीं आता, इसको इस परिभाषा के नीचे नहीं गिनना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह भी कहा है कि बिक्री कर की चोरी के सुराख बन्द करने की कोशिश की जायगी इसके बारे में मुझे निवेदन करना यह है कि पहले क्या इस तरह के सुराख छोड रखे थे, जिससे चोरियां कर लेते थे और आज सुराख बन्द करने की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले तो चोरी की गुंजाइश छोड रखी थी और अब उसको बन्द करने की बात करते हैं।

साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे यह भी निवेदन करना है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी प्रांत हैं, उन प्रांतों के तुलनात्मक आंकडे देखें तो मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगी कि जो राजस्थान के अन्दर लगने वाला भू-राजस्व कर है वह आसाम के बाद में दूसरे नम्बर पर है। एक तरफ तो किसानों को ऊंचा उठाने की बात करें गावों को आगे बढाने की बात करें और फिर, भू-राजस्व कर के आंकडे देखें तो भारत की सब स्टेट्स के मुकाबिले में आसाम के बाद में राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा कर लगता है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहती हूं कि राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति जो कर लगता है वह कुल राजस्व कर, सब चीजों पर आबकारी कर और सब कर मिलाकर वह महाराष्ट्र और पंजाब के बाद बाकी प्रान्तों के मुकाबिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा है। यह मैं उन आंकडों के आधार पर कह रही हूं जो कि बजट के साथ में पुस्तिका मिली है और प्रति व्यक्ति के ऊपर जो हमारा व्यय होता है उसके आंकडे मैं आपको बताऊंगी तो आपको जानकर बडी निराशा होगी। जहां तक एक तरफ राजस्व कर और बाकी और कर जहां हमारे प्रान्त की जनता सबसे अधिक देती है। वहां पर प्रति व्यक्ति व्यय हमारे राज्य के अन्दर जो किया जा रहा है वह बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बाद सबसे नीचे है। मैं माननीय उपाध्यक्षजी, इसके द्वारा यह कहना चाहती हूं कि यदि

(श्रीमती सुमित्रा)

राज्य सरकार राजस्थान के विकास के लिए किसी भी तरह का किसान पर, मजदूर पर, छोटी और सारी जनता पर यदि इस तरह के टैक्स लगाती है और उसकी टैक्स की जो रेट है वह यदि सबसे ऊंची है तो मैं समझती हूं कि सरकार का यह भी पुनीत कर्त्तव्य है कि प्रति व्यक्ति पर किया जाने वाला व्यय भी ऊंचा होना चाहिये। एक तरफ जहां व्यय पर हमारी राजस्थान सरकार का नीचे से तीसरा नम्बर है वहां प्रति व्यक्ति कर में हमारी स्टेट का ऊपर से दूसरा नम्बर है मैं समझती हूं कि यह कोई संतोषजनक हालत नहीं है और इसके बारे में सोचना चाहिये और हमें टैक्सेशन पॉलिसी के ऊपर फिर से सोचना चाहिये कि इन सब के अन्दर कहां गलती है और कहां कोई नये टैक्स तजवीज किये जा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी सरकार का लक्ष्य लोकतन्त्रीय समाज की स्थापना का लक्ष्य है। इस लोकतन्त्रीय समाजवादी समाज का जो बजट रखा गया है हमें देखना है कि यह १९६६-६७ का जो बजट है उस भूमिका के अन्दर कहां तक फिट-इन होता है। इस सब को देखने के बाद मैं समझती हूं कि इस बजट को उस दृष्टिकोण से देखने के बाद सदन यह मुनासिब समझता है कि वह समाजवादी समाज की व्यवस्था के लिये इस बजट से समाज के गरीब तबके को कोई राहत मिली है तो मैं समझती हूं कि मैं ही नहीं बल्कि सारा सदन वित्तमन्त्री जी के इस बजट का स्वागत करेगा। लेकिन उन शोषित और गरीबों को उठाने के लिये इसमें कई बात नहीं हैं बल्कि बजट बनाते समय तो जोर लगता नये टक्स लगाने में, इसलिये नोटीफिकेशन के द्वारा जो नये कर लगाये हैं, मैं समझती हूं कि यह टैक्सेशन की पॉलिसी के आधार पर वाजिब नहीं है, हमारी सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक नहीं है। इसलिये इन बातों को पुनः सोचकर टैक्सों को सरकार वापिस ले ले। यही मुझे कहना था।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

श्री **उपाध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्री मुक्तिलाल मोदी : (कोटपुतली) उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री **उपाध्यक्ष**: आपका भी नम्बर आ जायेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी: आ कब जायेगा ? कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि पहले गवर्नर के भाषण पर भी नहीं बोला था।

श्री **उपाध्यक्ष**: आप कृपया स्थान ग्रहण करें, आपका भी नम्बर आ जायेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी: मुझे भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री **उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज ! आपका नम्बर आयेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी: कोई टाइम की भी तो पाबन्दी होनी चाहिए।

श्री **उपाध्यक्ष**: टाइम की पाबन्दी भी हो जायेगी।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक साधारण सी जानकारी ले

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

लूं। अगर श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत के बाद उनको बोलना है तो मैं एक घंटे के लिए जा आऊं आपकी आज्ञा से।

श्री **उपाध्यक्ष** : We have to give respect to the ladies.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : (वित्त मन्त्री के बाहर जाने का उपक्रम करने पर-उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण के दौरान वित्त मन्त्रीजी बैठे तो अच्छा हो, क्योंकि खास करके मुझे आपसे ही कुछ निवेदन करना है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : आपको जो कहना है वह कहते जाइये, यहां सब नोट हो रहा है।

श्री दुर्गालाल बादहार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्षजी आप तो लेडीज को प्रिफरेन्स दे रहे हैं, मगर वित्त मन्त्रीजी नहीं दे रहे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना बजट पर भाषण प्रारम्भ करने से पहले एक आपत्ति प्रस्तुत करना चाहती हूं और वह मेरी आपत्ति है, वित्त मंत्रीजी के भाषण में कहे हुए शब्दों पर। वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में जो हमारे माननीय प्रधान मंत्रियों के बारे में अशिष्टता से सम्बोधन किया है, उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मुझे घोर आपत्ति है। आपने अपने भाषण में "जवाहरलाल नेहरू की मौत" और "लालबहादुर शास्त्री का अन्तकाल" जैसे कोई रास्ते चलते हुए आदमी के लिए सम्बोधन किया गया हो, कहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां की संस्कृति है, यह कहां की सभ्यता है, कहां की तहजीब है। जिन महान् व्यक्तियों के, जिन हमारे देश के प्रधान मंत्रियों के लिए जो हमारे देश की श्रद्धा के पात्र हैं, केवल भारत के ही नहीं, संसार की मानव जाति के दिलों पर भी जिन्होंने हुकूमत की है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और वह भी उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के एक वित्त मंत्री के द्वारा और वह भी अपनी प्राइवेट लाइफ में नहीं, सदन के आंगन में एक राज्य का बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए, इससे बढ कर घोर आपत्ति की बात मैं समझती हूं कि हो नहीं सकती। राज्य की ओर से, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे मंत्री हों, चाहे प्रधान मंत्री हों, किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति को, एक अदना व्यक्ति की तरह सम्बोधन करना और उसके लिये भी पहले 'श्री' लगायेंगे, लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय ने न 'माननीय' शब्द लगाना ठीक समझा, न स्वर्गीय शब्द का सम्बोधन करना ठीक समझा और न ही साधारण सा 'श्री' लगाना ही उचित समझा। जैसा आपने कहा 'श्रीमन्' कहने की तो उनको आवश्यकता ही क्या थी! उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में जब अपना भाषण दें, तब इस बात पर पश्चाताप जाहिर करें। भले ही वे क्षमा-याचना न करें, पर अफसोस जाहिर करें, जो उन्होंने अभद्रतापूर्ण शब्द कहे हैं उनके लिए। इसको मैं हमारे राष्ट्र की तोहीन समझती हूं और मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि इस सम्बन्ध में उन्हें जो कुछ कहना हो अपने भाषण में कहना चाहिए। हमारे माननीय नेताओं को जो इस प्रकार से सम्बोधित किया गया है, मैं उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट पर चन्द शब्द निवेदन करूंगी। वित्त मंत्रीजी ने जो बजट हमारे सामने रखा है, उसे हमने गौर से सुना और गौर से पढा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यह बजट जो रखा गया है निष्प्राण है, लाइफलेस है, जीवनहीन है। न इसमें जीवन है, न कोई गति है, न कोई प्रेरणा है और न ही कोई स्पन्दन है। मैं समझती हूं कि हमारा सदन इस मुर्दा, जीवन-हीन बजट का पोस्टमार्टम करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो हमारे सामने रखा गया है, मैं यह कह सकती हूं कि इन पांच वर्षों में, पांच वर्ष ही नहीं बल्कि आजादी के बाद हमारे १८ सालों के बजटों में इतना नॉन-प्रोग्रेसिव बजट कोई नहीं रखा गया। इस बजट में किसी प्रकार की आशा नहीं है। हमारे भविष्य का जो पिक्चर दिया गया है वह ग्लमी पिक्चर है, निराशाजनक तस्वीर है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में कहीं यह संकेत नहीं किया गया है कि राज्य किस तरह विकास की ओर बढेगा। कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है जो यह बताए कि हमारे राज्य के सामने जो मुश्किलातें आ रही हैं उन मुश्किलों का वह मुकाबला किस रूप से करेंगे और क्या वे करेंगे? हालांकि वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण के अन्त में बडे जोर का नारा लगाया और उन्होंने शायद इसे अपने शेर में फरमाया "अहले हिम्मत मंजिले मकसद तक आ ही गये।'

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, आबकारी एवं कर): "मंजिले मकसूद"! "Maqsood is very near to Maksad"

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैंने इस मकसूद के माने यह समझे कि मंजिल तक पहुंच गए।

श्रीमती सुमित्रा : मतलब तो यही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मुझे क्षमा करें, मैं यह उर्दू जुबान को पूरी तरह समझ नहीं सकी, लेकिन मैं समझती हूं कि इसका मतलब यही है कि हम मंजिले मकसद तक पहुंच ही गए। लेकिन वित्त मंत्रीजी की यह शायरी की लाइनें उनके भाषण की कॉपी में छप कर ही रह गईं, इस भाषण की स्याही में डूब कर ही रह गईं; लेकिन वह राजस्थान की जनता के कानों तक नहीं पहुंच सकीं। उनके दिलों में पहुंचना तो दूर रहा लेकिन उनके कानों को भी नहीं छू सकीं और फिर वह कानों में घुस कैसे सकती थीं, जबकि कहने वाले की जबान में ही फर्मनेस न हो, उनके दिल में सच्चाई और ईमानदारी न हो। राजस्थान की जनता के दिलों तक अपनी बात पहुंचाने के लिये पहले उनके स्वयं के मन में ईमानदारी से काम करने की चाहना होनी चाहिए तभी वह जनता के दिलों तक पहुंच सकती है। आपने जो मंजिले मकसूद का जिक्र किया है तो मंजिले मकसूद ऐसे हासिल नहीं होती है, यह वित्त मंत्रीजी को जानना चाहिए। मंजिले मकसद तक पहुंचने का तरीका कुछ और ही होता है, मंजिले मकसद पर पहुंचने का जरिया कुछ और ही होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मंजिले मस्जिद तक।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मंजिले मकसूद तक जभी पहुंचा जा सकता है जब उन्होंने अपने बजट में कोई ऐसी बातों का प्रावधान किया होता कि जिसके मार्फत सरकार प्रान्त में बडे २ कारखानों का प्रावधान करती, जिससे जनता को रोजगार मिलता, जिससे हमारी बेरोजगारी दूर होती। ऐसे कुछ

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

उद्योगों की व्यवस्था की होती कि जिनके करने से हमारी जनता की प्रोस्पेरिटी और बहबूदी बढती । आपने ऐसा कोई प्रावधान किया जिससे सिंचाई की व्यवस्था होती, बांध बांधे होते जो अन्न के उत्पादन में सहायक होते और जिसके सहारे हम अपने देश की अन्न की कमी का मुकाबला कर सकते। जो बिजली का क्राइसिस हमारे ऊपर आया हुआ है, उससे राहत पाने के लिए अगर कोई व्यवस्था की होती तो हम समझ सकते थे कि मंजिले मकसूद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन में आपसे फिर दोहराना चाहती हूं कि यह जो बजट रखा गया है वह मोस्ट नौन-प्रोगेसिव बजट रखा गया है। हमारा प्लानिंग कैसे सक्सेज फुल हो सकता है जब कि हमारे कमिटेड खर्चे ही पूरे नहीं पडते ? इस समय मंजिले मकसूद तक पहुंचने की बात तो दूर रही, अभी तो ऐसा लगता है कि उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जैसे हम थक कर सडक पर बैठ गए हैं। हार कर और निराश होकर जैसे बैठ गए हैं और मंजिल दूर है, मकसूद दूर है, नजर नहीं आ रहा है। उसकी ओर हम तृष्णा की नजर से देख रहे हैं पर कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है, कोई सडक दिखाई नहीं दे रही है कि जिस पर चल कर मंजिले मकसूद तक जो घाटियां हैं उन घाटियों को पार कर उसके पास पहुंच जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने हमारे कर्जे के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ३३३ करोड का कर्जा राज्य सरकार पर है । मैं समझती हूं कि यह कोई खास बात नहीं है। मैं ऐसा मानती हूं कि ३३३ करोड का जो कर्जा है वह राज्य के लिए कोई बडी बात नहीं है। जो आज हमारे राज्य की स्थिति है, जो आज हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी जिन जरूरतों को हमें पूरा करना है उनको देखते हुए यह कर्जा कोई बहुत बडा नहीं है। जब हम प्लानिंग करना चाहते हैं, हम अपनी जनता को आगे बढाना चाहते हैं, पर-कैपिटा इन्कम बढाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कर्ज लेना ही पडेगा। संसार के अन्दर जितने बडे बडे देश हैं, उन पर भी उनकी हैसियत के अनुरूप बडे बडे कर्ज हैं। बहुत से लोग इस पॉलिसी पर आक्षेप करते हैं, खास कर हमारे सामने बैठने वाले उस पार्टी के माननीय सदस्य इस नीति का विरोध करते हैं और वे कहते हैं कि या यों कहिए कि "जेते पांव पसारिए तेंती लाम्बी सोर ।" लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस नीति की कायल नहीं हूं, मैं इस नीति को नहीं मानती कि जितनी लम्बी सोड है उतना ही पांव पसारना चाहिए, बल्कि मैं इस नीति को मानती हूं कि जितना लम्बा हमारा पांव हो, उतनी ही लम्बी सोड तैयार हो जाय। राजस्थान की जनता को जिन आरामों की जरूरत है, जिस विकास की जरूरत है उतना उनको दिया जाय। उसके लिए लोन भी लेना पडेगा और लोन लिया जावे। लोन लेने का एक ध्येय है और उस ध्येय के लिए लोन लिया जाय। लेकिन अगर हम उस लोन को लेकर उसका सदुपयोग नहीं करते है, अगर लोन को लेकर हम विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढते हैं तो वह लोन लेना सार्थक नहीं हो सकता। लोन लेने का ध्येय यही है कि हम राजस्थान को विकास के मार्ग पर आगे ले जावें, विकास की बडी बडी स्कीमें बडे बडे बांध भाखरा बांध जैसे बनें तभी हम अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(२.१८ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

अगर हम जनता की गरीबी को मिटा सकें, अगर हम समस्याओं पर पार पा सकें तो कर्ज लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन यदि इसके विपरीत में हम कर्जा लेकर उसका उपयोग न कर सकें, उसे बुरी तरह से खर्च करें, हम अपनी जनता को राहत नहीं पहुंचा सकें, हम अपना उत्पादन न बढा सकें, हम अपनी पर-कैपिटा इन्कम न बढा सकें, हमारे सामने जो मुश्किलें हैं, उनको हल न कर सकें, तो मैं यह कहूंगी कि वह कर्जा लेना सुहावनी बात न होकर आत्मघाती होता है। अगर हम अपना पेट भरने के लिए, पी० एल० ४८० प्राप्त करने के लिए झोली पसार कर दुनिया में घूमें और करोडों रुपये जहाजों के किराये पर खर्च करें और करोडों रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च करें तो इसका मतलब यह होगा कि वह कर्जा आत्मघाती है।

हमारे वित्त मंत्रीजी को, हमारी सरकार को इस नजर से सोचना है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। हमारे एक-एक पैसे का सदुपयोग हमारे जीवन की वाइटेलिटी की एक-एक बूंद की तरह चला जाना चाहिए, लेकिन आज अफसोस के साथ हम यह देख रहे हैं कि जिस प्रकार का बजट हमारे सामने रखा गया है, उसमें यह पाते हैं कि हमारे प्लान्स पिछुडते जाते हैं और कर्ज बढता जा रहा है। यह हमारे सामने गम्भीर समस्या है। हम इस चीज को आसानी से नहीं ले सकते हैं। आप कर्ज लें लेकिन एक-एक कौडी का सही युटिलाइजेशन किया जाना चाहिए; यह हमारा धर्म हो जाता है।

वित्त मंत्रीजी ने साथ ही साथ एक मार्के की बात कही.........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) वित्त: मंत्रीजी कहां गये हैं?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: कि कर्जा लेने का पैमाना है

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): पेशाब करने गये हैं। अभी आ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री आबकारी एवं कर): अभी गये ही हैं छुट्टी लेकर।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, इस बात को तो हम भी कहना चाहते हैं और ट्रेजरी बेन्चेज से कहूंगा कि एक सम्माननीय सदस्या ने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट के बाद आज इस सदन के साथ इस तरह का व्यवहार करें, यह बडी गलत बात है। मेरे खयाल से उनको रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिये थी, मैं उनसे ही प्रोटेस्ट करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा रिजेन्टमेन्ट उनसे होना चाहिए कि आज कम से कम यह मौका तो नहीं देते। एक दफा तो बजट का काम पडता है और यह उम्मीद करते हैं कि वे सुनें यदि उनकी तस्वीर ही रख दें तो उससे ही बात कर लेंगे। सवाल यह है कि कहा जाता है कि गवर्नमेन्ट बैठी हुई है तो हर कोई ही गवर्नमेन्ट बना हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य को इतना चेरिटेबल होना चाहिए। उनको सिर्फ ५ मिनट ही हुए हैं हाउस से गये हुए। वे पानी पीने गये हैं, यह कह कर कि वापिस आ रहे हैं।

Page No. 64

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे यह कह कर गये हैं कि आप बैठे हुए हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा: और क्या कहें ?

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह समझते हैं कि जिस काम के लिए गये हैं वे कह कर जायें आपको ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आसन ने यह व्यवस्था की है सम्माननीय सदस्य सदन में व्यवस्थित बैठें । यह आपको याद दिला दूं ।

श्री भैरोंसिंह : किस बात के लिये ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, एक बात बडे मार्के की कही है उन्होंने कि कर्जा एक पैमाना है जिससे सरकार के ऊपर कितना भरोसा है, वह नापा जाता है; जनता का सरकार पर कितना भरोसा है । यह मैं मानती हूं कि यह एक पैमाना है, लेकिन उन्होंने इसको इस नजर से देखा कि नहीं कि आज तक सरकार ने जितने लोन अलॉट किये हैं उसमें यहां की जनता का कितना कन्ट्रीब्यूशन है ? मेरा मतलब है आम जनता से वह जनता जो बाजारों में दुकान करती है, वह जनता जो खेतों में काम करती है, वह जनता जो मजदूरी का काम करती है । उनका कितना कन्ट्रीब्यूशन है ? आज तक हमने जितने लोन अलॉट किये हैं, उसमें हमें सहयोग मिला है बडे बडे पूंजीपतियों का या बडी कम्पनी वालों का, हम इसको पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते हैं । यह सरकार पर भरोसा नापने का पैमाना नहीं है । सरकार पर भरोसा नापने का पैमाना तो वह है जब कि आम जनता अपने पसीने की कमाई से सरकार के कार्यों के लिए कर्जा देगी, और वह यह सोचकर देगी कि हमारा दिया हुआ एक-एक पैसा हमारे लिए कम्फर्ट लेकर आयेगा, हमारा दिया हुआ एक-एक पैसा हमें मकानों के रूप में मिलेगा, हमारा दिया हुआ एक-एक पैसा हमारे बच्चों की फीस के काम में आयेगा, हमारी दी हुई एक-एक कोडी हमें चिकित्सा के रूप में वापिस मिलेगी; हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जिस दिन यह भरोसा सरकार पर जनता का होगा तो हमारी तवारीख में एक माइल स्टोन होगा । हमें उस दिन की प्रतीक्षा करना है । लेकिन अफसोस है कि अभी जिस पैमाने का जिक्र किया गया है उसके पास भी अभी हमारी सरकार नहीं पहुंच पाई है ।

इसके साथ ही एक बात वित्त मंत्रीजी ने फरमाई है और बडे फख्र के साथ फरमाई कि ३२ करोड के टैक्स लगाने का हमने जो वायदा किया है, उस वायदे को पूरा कर दिया है । बहुत ही फख्र के साथ उन्होंने फरमाया है । मैं यह मानती हूं कि उन्होंने ३२ करोड के टैक्स लगाने के अपने वायदे को निभाया, लेकिन उससे कुछ लाख ज्यादा ही लगाया है । लेकिन, वित्त मंत्रीजी ! यह फख्र का सवाल नहीं है । फख्र का सवाल तो तब होता जब कि आप कहते कि हमने नॉन-टैक्स रेवेन्यू ३२ करोड बढा ली है । उस वक्त हम मानते कि आप फख्र कर सकते हैं । फख्र तो तब करते, जब वित्त मंत्रीजी यह फरमाते कि हमने नई सिंचाई योजनाएं, नये तालाब, नये कुए बनाकर ३२ करोड का अधिक अन्न उपजाया है । इस पर उनके फख्र करने के साथ साथ राजस्थान की दो करोड की जनता भी फख्र करती । फख्र तो तब होता जब हमारे वित्त मंत्री जी यह कहते कि जो

Page No. 65

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

अनगिनत धनराशि हमारी रत्न-गर्भा भूमि में छिपी हुई है उसको माइन्स के जरिये खुदवाकर बाहर भेजते और ३२ करोड की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। उस वक्त उनके साथ साथ सारा हिन्दुस्तान फख्र करता है। लेकिन आपने टैक्स लगाये। आपके पास टैक्स लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। देश का विकास तो तभी माना जायेगा जब कि नोन-टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हो। टैक्स लगाना आसान काम है। कभी इधर का टैक्स उधर डाल देते हैं और हर साल टैक्स बढाते जा रहे हैं। चाहे बजट में स्पष्ट उल्लेख न हो, लेकिन इस वर्ष १ करोड १२ लाख के टैक्स लगाये हैं। वे टैक्स ऐसे लगाये हैं जो हमारे उत्पादन के काम में बाधा पहुंचा सकते हैं चाहे वह नोन-सीरियल्स पर ही हों लेकिन कृषि पर उसका असर पडता है। इधर भारत सरकार के द्वारा डीजल पर टैक्स लगाया गया है, वह कृषि पर पडता है। हम पर बार बार टैक्स लगाकर उसको कहां पर खर्च करते हैं यह हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपने मुंह से स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि ज्यादातर खर्चा नोन-प्लान पर लग रहा है; इसका मतलब यह है कि आपने जो खर्चा किया है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादे से ज्यादा खर्चा किया है यानि एडमिनिस्ट्रेशन या फालतू खर्च किया है जिनमें इन्वेस्टमेन्ट करने में रिटर्न नहीं मिलता है, जिनका खर्च का पता नहीं रहता है। वह फालतू खर्च रहा है, बेकार खर्च रहा है। अब वह जमाना नहीं रहा, जब कि कुछ वर्षों पहले कहा करते थे कि टैक्स लगाओ और आनन्द मनाओ –

"मरदां माया मांणलो लै लै उधाराह।

रोवदडा रहे जावसी वापडा वोहराह॥"

अब वह सवाल पैदा होने का नहीं है। जनता आज एक-एक पैसे का हिसाब मांगती है, अपने खून-पसीना की कमाई के एक-एक पैसे का हिसाब मांगती है। उसको देना पडेगा।

आपने जो खर्चा बढाया है तो सोशियल सर्विसेज को आगे नहीं बढाया है। स्कूल के लिए जहां लाइन थी वह वहां बन्द है। अस्पतालों की जहां लाइन थी वह वहीं की वहीं है। आपने खर्च बढाया है इधर-उधर की बातों पर जिनको आज जनता ज्यादा बरदाश्त नहीं कर सकेगी। अगर मंत्रि-मण्डल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारे राज्य में एक ऐसा क्राइसिस आयेगा कि जिसको सम्हालना आपके लिए और हमारे लिए मुश्किल हो जायेगा।

इधर हमारे सामने एक सवाल है बिजली की क्राइसिस का। आज बिजली का क्राइसिस जिस ढंग से हमारे बीच उठा है वह हमारे सामने है। उसके लिए आप क्या ऑल्टर्नेटिव सोचते हैं।

(सभापति महोदय द्वारा घंटी बजाने के उपक्रम पर)

अभी मैं दो मिनिट और बोल लेती हूं। आप घंटी मत बजाइये।

एक माननीय सदस्य: आप भी तो बार बार बजाती हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: आज स्थिति यह हो रही है कि ऐसे ही हमारे राज्य में उद्योगों की बहुत कमी है। पिछले वर्ष में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रयत्न करके कुछ उद्योग खुलवाये; तो आज उद्योगों की क्या हालत है? छोटे-छोटे उद्योगों पर ताले लगे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

हुए हैं और बड़े बड़े जो उद्योग हैं वे अपना रिट्रेन्चमेन्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे भी भयंकर परिस्थिति एक ओर है कि जो नये नये उद्योग हमारे यहां खुल रहे थे, राजस्थान में तो आज बिजली की क्राइसिस की वजह से उसने साख खो दी है और बाहर से उद्योगपति यहां आते हुए झिझक रहे हैं। उन्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा, जैसा कि बाल-बियरिंग और फाउन्ड्री लगाने की तजवीज थी जिसमें कि एक हजार किलोवाट बिजली की जरूरत थी लेकिन अब वे उस प्लान्ट को कलकत्ते ले जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। यह हमारे सामने भयंकर स्थिति है। अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो न तो हम विकास ही कर सकेंगे और न जनता का जीवन-स्तर बढ़ा सकेंगे; हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

आपने कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोलने का जो वायदा किया है, ये कैसे होंगे, क्या होंगे, इसकी रूपरेखा बार बार पूछने पर भी नहीं बतलाई गई है। पहला सवाल तो यह है कि लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में यह आशंका है कि आया ये कन्ज्यूमर्स स्टोर्स सफल भी होंगे या नहीं, क्योंकि आजतक राज्य की जनता के हित में राज्य की ओर से जो भी काम किया गया है उसमें पैसा बरबाद ही हुआ है। रुपये व्यय हो जाते हैं लेकिन वास्तविक दृष्टि से लाभ नहीं होता। कन्ज्यूमर्स स्टोर कैसे होंगे, उनमें क्या क्या चीजें होंगी, उनका प्राइस लेवल क्या होगा; हम इन बातों को जानना चाहते हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी, हालांकि इस समय वे गैर हाजिर हैं, फिर भी वे कहते हैं कि मेरे पास कान हैं सब बातें मेरे पास आ जाती हैं, इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि पिछले पांच सालों में जितने बजट रखे गये हैं उन सब में यह नोन-प्रोग्रेसिव बजट है। इससे राज्य की प्रोग्रेस स्टेन्ड स्टिल हो जाती है। अब भी हो सके तो नोन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करें। इस बजट का स्वागत मैं किसी भी तरह से नहीं कर सकती।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य का ६६-६७ का बजट वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है उसके मुत्तलिक मैं अर्ज करूंगा। मैं शुरूआत इस प्रकार से कर रहा हूं कि उम्मीद करता हूं कि उसके आशय को समझ कर उससे सबक लेने की कोशिश करेंगे। रहीम जी ने कहा है:
"एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय,
रहिमन माली सींचे मूल को फूले फले अघाय।"

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार प्रोग्रेसिव होने का दावा करती है, मंत्री महोदय सबसे पहले जाते है तो फाउन्डेशन स्टोन रखते हैं। कोई इमारत होती है तो कहते हैं कि नींव का पत्थर रखने के लिये फलां मंत्री महोदय आ रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जानकर, सबसे पहले फाउन्डेशन तैयार किया जाय, इसको वे मानते हैं। लेकिन आज राजस्थान राज्य का फाउन्डेशन है गांव, विलेजेज! सिटीज एन्ड टाउन्स राजस्थान में कुल १४५ हैं और गांवों की संख्या ३२,२४० है। जो गांव आबाद हैं वे ३२,२४० हैं और उन इम्पोर्टेन्ट गांवों की आपने अवहेलना की है।

(२.३२ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

Page No. 67

(श्री अब्दुलजब्बार)

यह कहते हुए दुःख होता है कि इन गांवों की फाउन्डेशन आपने तैयार नहीं की है। राजस्थान में कुल १४५ शहर और कस्बे हैं। राजस्थान राज्य द्वारा बनाये गये बजट में जितना पैसा शहरों के लिये प्रदान किया जाता है उतना गांवों के लिये नहीं रखा जाता। इससे मेरा यह दावा है कि राजस्थान सरकार और उसके स्पेशलिस्ट दुनिया भर की कोशिश कर लें तो भी वे गांवों में बिजली नहीं ला सकते इस स्पीड से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक गांव में बिजली ले जाने की एस्टिमेटेड कोस्ट ६०,०००) रु० है। Rs. 60,000 are required to electrify a village. जिसमें ट्रान्सफोरमर्स और स्टेशन वगैरा सब आ जाते हैं। ६०,००० रु० एक विलेज पर बिजली के लिये खर्च करें तो राजस्थान के सारे विलेजेज के लिये १ अरब ६३ करोड़ ४४ लाख रुपयों की जरूरत राजस्थान सरकार को गांवों में बिजली के लिये होगी। इस प्रकार का प्रावधान सरकार कहां से कर सकती है इसका अंदाज नहीं लगा सकते। इसीलिये मैंने रहीमजी का दोहा सबसे पहले कहा। रहीम कवि कोई आज नहीं हुए, वे काफी पहले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि काम का फैलाव सब तरफ मत करो, एक काम को पहले पुख्ता करो तो बाकी के काम अपने आप हो जायेंगे।

राजस्थान में २३२ पंचायत समितियां हैं उनको मैं दूध न देने वाली भैंस की उपमा देता हूं, जो खल खाती है, भूसा खाती है और दूध नहीं देती। पंचायत समितियों को भी भैंस की उपमा देता हूं जिनको रोजाना खल का बांटा उबाल-उबाल कर दिया जाता है और दूध निकालने जाते हैं तो लात मारती है, जिससे दूध का बर्तन दूर जाता है। जिन पंचायत समितियों पर हमारे १० करोड़ रुपये खर्च होते हैं उन पंचायत समितियों में क्या काम होता है, यह मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं, वित्त मंत्रीजी जानते हैं और राजस्थान की सारी मशीनरी जानती है। वे किसी तरह से काबिल नहीं हैं कि उनको रखा जाये। आप सबक लीजिये अपने पड़ोसी राज्य-मध्य-प्रदेश से जिन्होंने बी० डी० ओ० की पोस्ट एबोलिश करदी है। आप सबक लीजिये यू० पी० से जिन्होंने ब्लॉक्स तोड़ दिये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के वित्त मंत्रीजी उनसे सबक लेंगे और उन भैंसों को, जो दूध नहीं देने वाली हैं, बांटा खाती हैं, उनको पकड़ कर जंगल में छोड़ दो........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): घास वहां से खिलायेंगे?

श्री अब्दुलजब्बार: इन पंचायत समितियों पर खर्चा फिजूल किया जाता है। इनको तोड़ देने पर खाद बांटने का सवाल आता है। खाद कोआँपरेटिव सोसाइटीज के जरिये भी बांटा जा सकता है, वे बांटती भी हैं। मैं इस बात में अभी नहीं जाना चाहता कि उनके वितरण का तरीका कैसा है और उसमें क्या गबन होता है, इस चीज को अभी छोड़ दीजिये। आपके एक्सटेन्शन आँफिसर गांवों में जाते हैं और किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कि अनाज इस तरह से बोओ। मंत्री महोदय इस बात से अनभिज्ञ हैं, खास तौर से वित्त मंत्रीजी

(श्री अब्दुल जब्बार)

इस बात से अनभिज्ञ हैं कि एक्सटेन्शन ऑफिसर क्या ट्रेनिंग देते हैं? किसान उनसे भी ज्यादा ट्रेन्ड हैं। एक्सटेंशन ऑफिसर तो पुस्तकें देख कर ट्रेनिंग देते हैं लेकिन किसान पुश्तों से खेती करते हैं इसलिये उनको प्रेक्टिकल ज्ञान खेती करने का है। उनको आप बिजली पहुंचाइये वे खुद खेती कर लेंगे, वे खुद कूए खोद लेंगे और खुद आबपाशी कर लेंगे। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। सरकार सब तरफ पांव फैलाती है इसलिये सब काम अधूरे रह जाते हैं। सरकार एक ही उदाहरण दे दे कि हमने अपने आप यह काम संपूर्ण रूप से पूरा कर लिया है। सरकार पूर्णता का सर्टिफिकेट लिये घूमती है, इसका कोई काम पूरा नहीं होता है।

गांव बसाने का भी तरीका होता है और साइन्टिफिक तरीका होता है। किस स्थान पर क्या होना चाहिये, कितनी दूर मार्केट होना चाहिये, कितनी दूर कौनसी चीज होनी चाहिये, इस बारे में सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलती है तो रिमोटेस्ट पार्ट में खोल देती है और आस-पास की आबादी को देखती नहीं है। कारखाने डालने होंगे तो शहरों के पास डालेगी। यह नहीं देखती कि गांवों के पास ले जाने से गांवों की एकोनोमिक कन्डीशन अच्छी हो सकती है। इस बात को सरकार नहीं देखती कि रॉ मेटिरियल कहां मिलता है और जहां रॉ मेटिरियल मिलता है, वहां कारखाने नहीं डालती। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि जब तक रॉ मेटिरियल पैदा करने वाली इन्डस्ट्रीज नहीं होंगी तब तक बिग इन्डस्ट्रीज कभी नहीं चल सकतीं। बिग इन्डस्ट्रीज के लिये स्माल इन्डस्ट्रीज का होना लाजमी है किसी भी इन्डस्ट्रीज के सहारे क्या वित्त मंत्रीजी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हमने फलां काम कम्पलीट कर लिया है, पूर्ण कामयाबी हांसिल करली है, ऐसी कोई सफलता वे नहीं बता सकते।

इतना ही नहीं सभापति महोदया, गांवों में जहां किसान रहते हैं, वहां पर उनके बच्चों के लिये पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। गांवों में कोई डेवलपमेन्ट नहीं हुआ है। हम सुन्दर महल में बैठ कर, विधान सभा भवन में बैठ कर, अंदाज नहीं लगा सकते कि गांव कैसे हैं आज भी हमारे यहां हजारों गांव ऐसे हैं, जहां पर बरसात में घुटनों तक कीचड़ रहता है। आप तहसीलों की मार्फत गांवों पर खर्च करें तो डेवलपमेन्ट हो सकता है। आज आप पंचायत समितियों को एबोलिश कर दीजिये, आज आप इस बात का एलान कर दीजिये, चाहे आपके दूसरे साथी या नेता लोग आपसे नाराज हो जावें या वित्त मंत्री जी को इस्तीफा देकर बाहर आना पड़े लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान की २ करोड़ जनता आपका स्वागत फूलों की मालाओं से नहीं वरन नोटों की मालाओं से करेगी, नोटों के हार पहनायेगी; पंचायत समितियों को एबोलिश करने से

(श्री अब्दुलजब्बार)

जितना बजट बचता है उससे आपको गांवों में बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। बिजली गांवों में चली जायेगी तो कूओं से सिचाई ज्यादा होगी, छोटे छोटे कारखाने गांवों में चलेंगे, स्पेलर चलेंगे। लेकिन यह सब सरकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिये कि उसकी ताकत नहीं हैं, उसने ज्यादा पांव फैला रखे हैं, ज्यादा सेक्टर्स फैला रखे हैं और कहते हैं कि लोग मदद करें। यदि आप हकीकत में गांवों को उठाना चाहते हैं, हकीकत में चाहते हैं कि गांवों की जनता सही काम करने लगे तो आपको तमाम फालतू खर्च रोकने चाहियें। आपको पहले शुरुआत छोटा सेक्टर लेकर ४०, ५० या ३० गांवों को चुनिये, वहां पर आप अपनी जन सम्पर्क की यान, जो गांवों में घूमा करती है, उनके जरिये की सिनेमा रील्स दिखाइये जिनमें गांव के उत्थान की बातें दिखाई गई हों, विकास के काम को बताया जाये, फैमिली प्लानिंग के काम को कराया जाये और एजूकेशन का प्रसार करने के लिए बाध्य किया जाये, तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि उन्नति कर सकते हैं हमारे गांव। लेकिन वह उन्नति आज के नक्शे से नहीं कर सकते हैं। आज आपका एक्सटेंशन ऑफिसर गांवों में जाता है लेकिन गांव वालों पर उसकी बात का असर नहीं पड़ता है। आपका बी० डी० ओ० गांव में जाता है लेकिन केवल जीप में पेट्रोल जला कर चला आता है। अगर आपको देखना है तो चलिये मेरे साथ में हर पंचायत में जाकर आपको बताता हूं कि क्या क्या गबन हो रहा है। आज गबन कर रहे हैं बी० डी० ओ० और सरपंच, इस तरह गांव का सत्यानाश कर रहे हैं। निम्बाहेड़ा से चित्तौड़ के बीच का चौदह मील का एरिया है, लेकिन बी० डी० ओ० की बीबी बीमार हो जाती है तो वह बीबी का इलाज कराने के लिए जीप में चित्तौड़ जाता है। क्या उसकी बीबी का इलाज वहां पर नहीं हो सकता है? इस प्रकार वह सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इस तरह करीब दो करोड़ रुपया सालाना हमारे राजस्थान में इस तरह खराब हो रहा है। मैं इस तरह धन के दुरुपयोग को ह्यूमन एस्क्रीटा से कम्पेअर करता हूं। लेकिन ह्यूमन एस्क्रीटा तो काम में आ सकता है, उससे खाद बनाई जा सकती है जिससे अधिक अनाज पैदा होगा; लेकिन जो धन पंचायतों में दिया जाता है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।

यदि आप सही मायने में सोचते हैं कि हम किसानों से आबपाशी का कर नहीं लें, अगर आप चाहते हैं कि किसानों के ऊपर से जानवर-टैक्स हटा दिया जाये, अगर आप यह चाहते हैं कि घी और तेल पर से टैक्स हटा दिया जाये, अगर आप चाहते हैं पैसेन्जर टैक्स, जिसके लिए मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि इसके लिए आपको एक न एक दिन पछताना पड़ेगा, यदि आपको नहीं तो उनको जरूर पछताना पड़ेगा जो देश की उन्नति की बात कहते हैं, जो गांवों के उत्थान की बात करते हैं। मैं चुनाव की बात नहीं कहता। मैं चुनाव को तो लड़कियों का खेल समझता हूं, उसे मैं अच्छा नहीं समझता। लेकिन इतना कहता हूं कि जिन मनुष्यों की आत्मा गवारा नहीं करती है और जो यह सोचते हैं कि जो विधान सभा में हुआ है वह गलत हुआ है, उसके बावजूद भी जो हां करते हैं, उनके हां कहने के कारण जनतंत्र के प्रति लोगों में अविश्वास फैलता जा रहा है, प्रजातंत्र में

(श्री अब्दुलजब्बार)

से विश्वास उठ रहा है, जनता का विश्वास डेमोक्रेसी से हट रहा है। जनता का विश्वास है कि हमारे प्रतिनिधि हमारे दुख-सुख के लिए, हमारी खुशहाली के लिए बात करेंगे। लेकिन बजाय इसके कि खुशहाली के लिए सोचें वे राजस्थान की विधान सभा में बैठ कर उन पर कर लगायें और अगर जनता हंसने की कोशिश करे तो उसके होठों से हंसी और मुस्कराहट छीन ली जाये और अगर जनता दुखी हो और अपना दुःख-दर्द भूलने के लिये सिनेमा में जाकर बैठना चाहे तो उस पर आप टैक्स लगायें, कोई खुशी हासिल करने, अगर खुशी हासिल करने के लिये जनता बाग में जाये तो उस पर आप टैक्स लगा दें-तो सभापति महोदया, मेरी समझ में नहीं आता है कि जनता का कल्याण करने का और उसका उत्थान करने का कौनसा तरीका है? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, हमारे देश के बहुत से विद्वान् अच्छी-अच्छी किताबें लिख गये हैं-विलेज डेवलपमेंट के ऊपर, कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर और वेलफेअर स्टेट के ऊपर, बहुत से फारिनर्स ने भी अच्छी-अच्छी किताबें लिखी हैं। उनको, मंत्री महोदय, आप कम से कम पढ़ें और देखें। वह ज्यादा कीमत की भी किताबें नहीं हैं, और ऐसी भी बात नहीं है कि सरकार को मिलती नहीं हों वह आसानी से मिल सकती हैं। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि कम से कम उन किताबों को देख कर आप ड्रास्टिक स्टेप लें। मैं तो यहां तक कहता हूं "Hung up those persons who are actually guilty" अगर सरकार ने यह कदम नहीं उठाया कि जो गलती करने वाला है उसको सजा दीजिये, तो राजस्थान सरकार का बजट हर साल आता रहे-खराब आता रहे या अच्छा आता रहे, भले ही दूध और घी की नदियां आप राजस्थान में फैला दें लेकिन राजस्थान की उन्नति नहीं हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं हो रहा है, यह तो सेन्ट्रेलाइजेशन किया जा रहा है। यह सेन्ट्रेलाइजेशन हुआ है। डीसेन्ट्रेलाइजेशन के ऊपर बात करने का समय हो तो यदि मंत्री चाहें या कोई इस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट चाहे तो मैं एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा बात करने के लिये तैयार हूं और मैं बताऊंगा कि सही नक्शा क्या होता है? यह सेन्ट्रेलाइजेशन है, यह डोमीनेशन है, यह पॉवर को कैप्चर करने का तरीका है। जहां कोई हमारे सामने यह धारणा लेकर चले कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन से पर्टीक्यूलर फायदा उठाना है, मैं कहता हूं, वहां डीसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं हो सकता। आज जनता के अन्दर डीसेन्ट्रेलाइजेशन के बाद यह भावना पैदा नहीं कर सके हैं-यह राज्य हमारा है, जहां आप यह भावना पैदा नहीं कर सके-जो धन अपव्यय हो रहा है वह हमारा है, जहां सिविक सेन्स को लोग नहीं समझ सके, जो नागरिक, नागरिकता क्या है, नागरिक के अधिकार क्या हैं, यह नहीं समझ सके, वे पंचायत समिति का अर्थ नहीं समझ सकते। मैं तो कहता हूं कि इस अर्से में जो पैसा खर्च किया गया है वह बिल्कुल व्यर्थ है और इतना होने के बाद भी आप सबक नहीं लेते हैं तो मेरे ख्याल में इस प्रकार के बजट हमेशा आते रहे हैं। इस प्रकार के बजट से कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई सार नहीं निकलने वाला है।

सभापति महोदया, आपको भी दुःख हुआ था ग्रामीण जनता के उत्थान के संबंध में और मुझे भी दुःख होता है गांवों की हालत

Page No. 71

(श्री अब्दुलजब्बार)

देख कर, गांव के अन्दर लोगों के मकान देख कर जिनमें सिर झुका कर जाना पड़ता है और अगर थोड़ा सा सिर ऊपर हो तो डंडे से सिर टकरा जाता है और खून निकल आता है; यह हालत है आज उनके मकानों की। इसके अलावा उनकी रजाई और बिस्तरों को देखिये। उन रजाई और बिस्तरों में से ऐसी बदबू आती है जैसे कि जयपुर शहर का कोई गटर सड़ रहा हो। इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार कहती है कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, बजट के द्वारा उनको कुछ सुविधा दे रहे हैं, गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं, गरीबों को खुशहाल देखना चाहते हैं। हकीकत में यह तरीका सोचने का गलत है। मैं राजस्थान के अधिकारियों को कहता हूं, आज जो ओरियेंटेशन सेन्टर खोल रखे हैं, हैदराबाद में खोल रखा है, जूनागढ में खोल रखा है—वहां यदि जाते हैं तो उससे कोई सार नहीं निकलने वाला है।

मैं राजस्थान के अधिकारियों से निवेदन करता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बड़े बड़े सेठों की पार्टियां खाने के बजाय ग्रामीण जनता के बीच में जायें, गांवों की टूटी-फूटी झोंपड़ियों में जायें, वहां पर आपको भारत का सही नक्शा देखने को मिलेगा, बापू का नक्शा देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी ने कहा था, "go to villages, back to villages"; लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं 'Back to villages' जाने की बात, आप कोशिश करते हैं 'सी' स्कीम में बंगला बनाने की। आज भीखाभाई भील एरिया के रहने वाले हैं लेकिन उनका बंगला जयपुर में मिलेगा। उनका बंगला वहां नहीं है क्योंकि विलेज में क्या है, वहां 'सी' स्कीम की चमक-दमक नहीं है, वहां पर यह ऐश-ओ-आराम नहीं है। यहां पर सब कुछ है। मैं कहता हूं कि जब एक मंत्री का यह हाल है तो फिर कोई डॉक्टर किस तरह पब्लिक हैल्थ सेन्टर में गांव में जायेगा, किस तरह वह गांव में रहना पसन्द करेगा। वही यहीं काम करेगा। मैं, सभापति महोदया, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार पंचायत समितियों को तोड़ने के बारे में एलान करे, खुल कर एलान करें। मैं यकीन के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि राजस्थान सरकार एलान करती है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने बी. डी. ओ. की पोस्ट को अबॉलिश किया, जिस प्रकार यू. पी. ने कुछ विकास खण्डों को तोड़ दिया, राजस्थान सरकार भी इनको खुल कर उन नेताओं, जिनके लिए यह आश्रम कहलाये जाते हैं, उनके आश्रमों को खत्म करके, इन व्यभिचार के अड्डों को खत्म करके, दूध नहीं देने वाली भैंस को खत्म करके, राजस्थान के दस करोड़ रुपयों को बचाये तो मैं समझूंगा कि वित्त मंत्री का बजट दाद के काबिल है और वास्तव में वह हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं, वास्तव में यह धारणा रखते हैं कि गरीब जनता का उत्थान करना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री नाथूलाल !

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : माननीय सभापति महोदया,.......

श्रीमती सभानेत्री : आपको भी समय दे देंगे इनके बाद।

श्री हीराभाई : मैं यह व्यवस्था चाहता हूं . . . .

श्रीमती सभानेत्री : आपको इनके बाद दे देंगे ।

श्री हीराभाई : मैं यह व्यवस्था चाहूंगा, मैं दस बार निवेदन कर चुका हूं लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है । क्या आपकी, चेअर की, मन्शा यह है कि मेरे लिए प्रतिबन्ध है । यदि ऐसा है तो मैं बैठ जाऊं ।

श्रीमती सभानेत्री : कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री हीराभाई : अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं ।

श्रीमती सभानेत्री : अच्छा, आप बोलिये लेकिन ज्यादा समय नहीं ले पायेंगे । (श्री नाथूलाल के बोलने के लिए खड़े होने पर) इनकी पार्टी का कोई बोला नहीं, इसलिये इनको पहले बोलने का हक है । आप इनको बोलने दें । (श्री हीराभाई से) लेकिन घंटी बजाऊं तब ही खत्म करदें ।

श्री हीराभाई : माननीय सभापति महोदया, ...

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : मेरा नाम ले लिया था ।

श्रीमती सभानेत्री : आपका नाम ले लिया था । लिस्ट में इनका भी नाम है और इनकी पार्टी का कोई बोला नहीं है, इसलिये आप थोड़ा सब्र कीजिये और इनको बोलने दीजिये ।

श्री हीराभाई : माननीय सभापति महोदया, आज जिस बजट पर वाद-विवाद हो रहा है, जिस पर विचार हो रहा है, उसके बारे में माननीय सदस्य मेरे पहले बोल गये हैं और मैं भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इस सदन में रखने के लिये उपस्थित हुआ हूं । माननीय सभापति महोदया, आज लगातार हमारी इस विधान सभा में देश के निर्माण के लिए, लोगों की सारी जरूरतों को निर्माण की आड़ देकर बजट पेश किया जाता है वह हमेशा पेश होता चला आया है—चाहे घाटे का हो हो और घाटे की पूर्ति के लिए टैक्स भी लगाये हों, और दूसरे नये कामों की आड़ ली हो—लेकिन उसका नतीजा, उसकी परिणति उत्पादन में नहीं दिखाई दे रही है । सिर्फ घाटे की पूर्ति के लिये इधर टैक्स बढ़ाया, घाटे की पूर्ति की और उधर मंत्री महोदयों की मंत्रिमण्डल में हर साल वृद्धि की । तो उसके संबंध में तो कोई खास बात कहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर साल आपको सावसेज को कायम रखना है और रिसाने हुए लोगों को आपको अपनी तरफ लाना है और कांग्रेस का नाम बनाए रखना है तो ऐसा ख्याल आप हमेशा चलाया करिए । क्योंकि हम आज दिन तक १८ वर्षों से देख रहे हैं, १८ वर्ष होने जा रहे हैं किस उत्पादन में आपके बढोत्तरी हुई है, आपको बढोत्तरी दिखाई देती है या किस उद्योग में आपको बढोत्तरी दिखाई देती है या लोगों को राहत के लिए किस प्रकार की सुविधाएं हुई हों तब तो हम आपके बजट का स्वागत करने के लिए तैयार होंगे । आप हर साल मंत्रिमंडल बढाते चले जावें और लोगों पर टैक्स बढाते चले जावें और हर प्रकार के कारनामे आप चलाते रहें तो इससे तो आप हमारे देश को खोखला करने जा रहे हैं । हो सकता है मैं ग्रामीण नागरिक होने के नाते, मैं चूंकि ग्रामीण नागरिक के नाते आता हूं, आप दिमाग में, जो कहता हूं वह छोटी सी बात मालूम होती होगी, परन्तु मैं यह कहता हूं कि

(श्री हीराभाई)

आप इस प्रकार के कारनामों से देश को खोखला करने का षडयन्त्र करने जा रहे हैं। आप देश को डुबायेंगे और जब आप देश का शासन चलाते हैं, डूबेंगे तो जिस नाव में आप बैठे हैं उसी नाव में हम भी बैठे हैं, हम भी आपके साथ डूबेंगे।

एक तरफ चीन हमला करे और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमला करता है और तीसरी तरफ हमारी सरकार लोगों में टैक्स लगाकर मंत्रियों में बढोत्तरी करे तो हमारा देश खोखला होने के बजाए बच नहीं सकता है। हमारे देश को कांग्रेस ने ठेकेदारी में उनके पेट भरने के लिए ठेकेदार को ठेके में दे रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे कितने चालाकी और बेईमानी पर उतरे हुए हैं, बेईमानी किसी गरीब पर की जाती है, गंवार आदमी पर की जाती है, उसी माजने के आप हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने रेखाएं खींची और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में झगडा डालकर अंग्रेज लोग इसको (इस देश को) खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अंग्रेजों ने हथियार दिये हैं। पाकिस्तान का झगडा, आपके प्राइमिनिस्टर कहते हैं, कि कुछ नहीं है। कितनी ही जमीन हमारी चली गई उसके बारे में यहां पर जवाब पूछा जावे तो हमारे मंत्रियों द्वारा यह जवाब दिया जाता है कि एक इन्च जमीन भी नहीं ली गई। चीन का हमला हुआ, तब आपके मंत्रि-मंडल ने, सेन्टर ने भी, यही कहा कि एक इन्च जमीन नहीं ली गई है। आप नक्शे में देख कर रो सकते हैं। आप जितने दिन जिन्दा रहना चाहते हैं रोकर ज़िन्दा रह सकते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि हमें देश की रक्षा करनी है और इसके लिए सबसे पहला कदम यही है कि हम देश में उत्पादन ज्यादा बढावें। आपने अमेरिका को हमारे पेट भरने का ठेका दे रखा है, हमको इससे बचाव करना होगा, हमें ठेकेदारी को तोडना होगा, मगर हमने इस ठेकेदारी को नहीं तोडा तो वे लोग इतने चालाक हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब उन्होंने अलग अलग षडयन्त्र चलाये थे और जब आजाद हुए तो आजाद होने के बाद एक हो गए, इसी तरह से उन्होंने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान पैदा कर रखा है। जब तक यह झगडा नहीं सुलझाया जायगा यह तलवार हमारे पर लगी रहेगी। मैं यह भी कहूंगा कि अगर मंत्रि-मंडल के इन मंत्रियों के भरोसे रहेंगे तो हमारा देश मर जायगा चालाक राष्ट्रों ने दोनों देशों को अपने मुट्ठी में रखा है। पाकिस्तान को मदद देते हैं। जब वे पाकिस्तान को मदद देते हैं तभी पाकिस्तान की हिम्मत होती है वरना पाकिस्तान वालों की हिम्मत नहीं कि वे हमारे पर हमला करें। औजार अमेरिका वाले देंगे तो पाकिस्तान हिन्दुस्तान पर हमला कर सकता है। जब पाकिस्तान का हिन्दुस्तान मुकाबला करने के लिए आवेगा तो हिन्दुस्तान को पेट भरने के लिए अनाज, कपडा पहिनने के लिए और पैसा सामान खरीदने के लिए अमेरिका देगा। इस तरह से जो भी काम करते हैं तो उनके आसरे पर रहना होता है। इस तरह से आपको अनाज और पैसा अमेरिका देगा तभी आप पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे, तभी आप चीन मुकाबला करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मेरी पार्टी का पूरा समय मुझे मिलना चाहिए। मेरी पार्टी की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : आपको १५ मिनट का समय दे दिया गया है ।

श्री हीराभाई : यह बजट देश को गुमराह करने के लिए है । हमें कर्जे से वंचित किस तरह रहना होगा, इस पर हमें सोचना होगा तभी जाकर हमारा कुछ उद्धार हो सकता है । आज प्रशासन में जो अनाप-सनाप खर्चा हो रहा है उसको कम करना होगा । मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता कि किस तरह से यह खर्चा होता है क्योंकि आपकी पार्टी को इससे धक्का लगेगा और अपना राज हो जावेगा । मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको यह खर्च किस तरह से कम करना होगा । आपके यहां पर जिला कलेक्टर है । पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को वह संभालता है । जब वह पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है तो फिर आपके वहां पर एस. डी. ओ. और बी. डी. ओ. को रखने की क्या जरूरत है ? आपको चाहिए कि इनको खत्म करें और आप को इन्हें खत्म करना होगा । आखिर आपको पंचायती राज चलाना है तो पंचायती राज्य से सीधा सरकार का सम्बन्ध रहना चाहिए । बाकि आपको एस. डी. ओ. और बी. डी. ओ. की पोस्टों को खत्म करना है । आपने एस. डी. ओ. बिना मतलब के वहां पर रख रखा है । यह १०७ की कार्यवाही करे ....

श्रीमती सभानेत्री : आपके १५ मिनट होने आ रहे हैं ।

श्री हीराभाई : अगर आप बोलने के लिए समय देंगे तो मैं बोलूंगा, अन्यथा मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): सभापति महोदय, इनको थोडा सा समय और दिया जावे । १५ मिनट में क्या होता है ?

श्रीमती सभानेत्री : इनको १५ मिनट का समय दिया है ।

श्री हीराभाई : मेरी पार्टी से मैं ही बोलने वाला हूं । इसलिए मुझे जरा समय दे दें, अगर आप समय देंगे तो मैं पूरी बात कह दूंगा; अन्यथा अड़ना आपके सामने नहीं चाहता ।

सभापति महोदय: जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च को कम करने का प्रश्न है आपको ये दोनों पोस्टें खत्म करनी होंगी और पैसा बचाना होगा । चाहे कोई एम. एल. ए. हों या कोई मंत्री लोग हों उनके वेतन में और उनके भत्ते में आपको कमी करनी होगी, आप उनके वेतन और भत्तों में कमी करें और आफिसरों के भत्तों में भी कमी करें । इसके साथ साथ राजा-महाराजाओं के, चाहे वे इधर हों या उधर हों, उनके प्रीवी पर्स में कमी की जावे और जो कुछ प्रीवीपर्स उनको दिया जाता है. उसमें ७५ परसेन्ट की कमी कर दी जावे और यह तमाम पैसा बचा कर हमारे विकास के कार्यों में लगाया जाना चाहिए, तभी हम कर्जे से वंचित रह सकेंगे । आज आप विकास के कार्य करने के नाम पर पैसा खर्च करते हैं मगर परिस्थिति यह है कि आप यों ही पैसा खर्च करते हैं और विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप जमीन की क्यारियों की तरह पैदावार शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका उत्पादन बढ़ने वाला नहीं और हम अमेरिका की ठेकेदारी से छूटने वाले नहीं हैं । इसलिए पूरी तरह से मेड़बन्दी होनी चाहिए । बड़े बड़े धन्धों को आप छोड़िए । छोटे छोटे तालाब और बांध बांध कर जब तक आप विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक यह आपकी समाजवादी सरकार भी नहीं बनने वाली है और न उत्पादन बढ़ने वाला है ।

(श्री हीराभाई)
तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जितना रिलीफ के बारे में पैसा खर्च कर रहे हैं वह पैसा किसानों के खेतों में मेडबन्दी कराने में खर्च करके किसानों को राहत दें और बहती हुई जमीनों को रोकें ।

(३ म० प०)

दूसरी तरफ विकास प्रोग्राम के सिलसिले में जितने कुंए खुदवाए जाते हैं, उनकी तकावी का पैसा चुकाने के लिए किसान अपनी जमीनें बेच रहे हैं । मध्य प्रदेश में आप जाइए, वहां किसी किसान को कुआ खुदवाने के लिए १००० रु० दिया जायगा तो वापिस उस किसान से २०० रुपया ही वसूल किया जायगा, ८०० रुपया उसे माफ कर दिया जायगा । पड़ौसी राज्य में जो हो रहा है, उसको आप देखें और आप यहां यह करिए कि एक भी किसान का खेत कुंए से खाली नहीं रहना चाहिए, किसान को चाहे आप अनुदान दें, चाहे तकावी दें, आपको यह कार्य करना चाहिए कि एक भी किसान का खेत कूंए से खाली न रहे । आज जो आपके यहां व्यवस्था है, उसमें जो कुछ तकावी के रूप में दिया जाता है आपके सम्बन्धी अफसरों में ही खर्च हो जाता है, किसान के पल्ले बड़ी मुश्किल से ५० पर्सेन्ट पड़ता है व्यर्थ ही पैसा बर्बाद होता है और काम भी कुछ नहीं होता, उल्टे किसानों को अपनी जमीनें बेच बेच कर तकावी का पैसा चुकाना पडता है ।

तो एक तो यह है कि किसानों की जमीनों में कुएं खुदवाने चाहिए, किसानों के खेतों में मेडबन्दी करवानी चाहिए । ·

अब दूसरी बात में आपके प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । संकटकालीन स्थिति का नाम लेकर आदिवासियों के साथ जो आपका व्यवहार रहा है, उसके बारे में मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा । गत साल आप कानून बनाते हैं, सरकार आदेश निकालती है कि अनाज एक जिले से दूसरे जिले में बाहर नहीं भेजा जाय । एक आदिवासी कलेक्टर, जी. के. रामचन्द्र हैं, एक तरफ तो आदिवासियों की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप आदिवासियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं । मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस आदिवासी कलेक्टर जी. के. रामचन्द्र का तबादला क्यों किया, किस समय किया, सरकार इसका जवाब दे । सरकार में बुद्धि नहीं है, उसकी जानकारी में नहीं है तो मैं बताऊंगा । सरकार के बनाए हुए कानून को तोडकर अनाज का निर्यात करने वाले सब आपके कांग्रेसी लोग थे · · · · ·

श्री नाथूराम (वागीडोरा) : व्यापारी थे · · · · · · · · ·

श्री हीराभाई : आप चुप बैठिए, आप मत बोलिए, जहां आदिवासियों के हित की बात आती है, इस तरह दबाने की कोशिश करते हो । मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के बारीलाल सेठ ने ४३ बोरी शक्कर का ब्लैक मार्केट किया; उसको पकडा तो हरिदेव जोशी और सुखाडिया साहब ने उस जी. के. रामचन्द्र का तबादला कर दिया । फालतू दबाना चाहते हैं । आदिवासियों के बड़े हिमायती बनते हैं ! इसका जवाब दीजिए, वहां के कलेक्टर को क्यों दबाया गया, क्यों उसका तबादला किया गया ? १९५६ के कानून के अनुसार आदिवासियों की जमीन को कोई दूसरा खरीद नहीं सकता, पर तमाम कांग्रेसियों ने आदिवासियों

(श्री नाथूराम)

की जमीनें खरीद लीं, उनके रिश्तेदारों ने खरीद लीं। नेता लोगों ने विरोध किया कि हमारी जमीन अगर हम लोगों से छीन ली तो एक वोट नहीं देंगे, कलेक्टर अड गया, ५६ का कानून वैसा ही रखा गया। जब कांग्रेसी अनाज का निर्यात करने लगे तो कलेक्टर अड गया कि या तो निर्यात की छूट कर दो, या कानून में संशोधन करो; तब संकटकालीन स्थिति के नाम पर नादिरशाही सरकार ने उस आदिवासी कलेक्टर को देश निकाला दिया ......

एक माननीय सदस्य : देश निकाला कहां दिया ? हमारे जिले में है।

श्री हीराभाई : हमारे उधर का रहने वाला एक ग्राम सेवक अलवर में है गलिया ग्राम का रहने वाला एक आदिवासी अलवर में ग्राम सेवक है उसके तबादले की दरख्वास्त दी तो कहा कि संकटकालीन स्थिति में उसका तबादला नहीं कर सकते, उधर आदिवासी कलेक्टर का तबादला किया जाता है। संकटकालीन स्थिति के नाम पर अनुशासन की थोथी बातें करके देश भक्त बने बैठे हैं। आदीवासी लोगों के लिए कोई बात होती है तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि १८ सालों के आपके शासन-काल में आपने कितने आदिवासियों को योग्य बनाया है ? और फिर कहते हो कि आदिवासियों में योग्य नहीं हैं ? अभी माननीय सदस्य कह रहे थे माथुर ही माथुर भर दिए, माथुर ही माथुर भरने का जाति पर मतलब नहीं है इसलिए माथुर माथुर भरने की बात की जाती है कि जाति के अफसर अपनी जाति के आदमियों को भरते हैं, अपनी जाति के आदमियों की सिफारिश करते हैं तो सिफारिश के मामले में माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे; चाहे मैं हूं, आपके पास सिफारिश लेकर आता हूं, दूसरा अपने कुटुम्बी की सिफारिश लेकर आ जाता है, तो इस तरह से आज आपने इस जनतन्त्र को खत्म कर दिया है। कांग्रेसियों का दिमाग खोखला हो गया है, उनको समझाना बेकार है। राज्यपाल का सहारा लेकर आर्डिनेंस निकलवा लेते हैं, अफसरों की चालों में चलते हैं देखते हैं कि अफसरों की चालों में चलेंगे तो जिंदा रहेंगे नहीं तो मर जायेंगे क्योंकि हर काम में इनके घोटाले हैं और अफसर सब इनके घोटालों को जानते हैं। तो अनुशासन का भंग करने वाली, गांधीवाद की दुहाई देने वाली कांग्रेस न तो आज तक प्रगति कर सकी है और न भविष्य में कोई प्रगति कर सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप अब जल्दी समाप्त करें।

श्री हीराभाई : माननीय सभापति महोदया, एक महिला आसन पर हैं; मैं सम्मान करता हूं। पर मैं अब आपकी जाति की, महिलाओं की बात करूंगा ...

एक माननीय सदस्य : इनकी बात मत कर जाना।

श्री हीराभाई : नहीं कहूंगा।

आज हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी क्रान्ति कर चुके हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बन कर बैठी हैं। बराबर बननी चाहिये, उनको अधिकार है, एक वोट का अधिकार एक आदमी को है और एक वोट का अधिकार ही एक महिला को भी है। पर मैं, इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि

(श्री हीराभाई)

गरीब आदिवासी औरतें मजदूरी करती हैं, उनके लिये भारत सरकार ने कानून बनाया है कि ८० नये पैसे रोजाना एक औरत को और १ रु० १२ आना एक आदमी को दिया जायगा। तो इस तरह का कानून बना कर महिलाओं के साथ इस प्रकार का भेदभरा अन्याय क्यों किया जाता है ? क्या महिलाओं के पेट छोटे हैं ? सरकार बताये, टाइम का फर्क बताये कि आदमी ८ घंटे काम करता है और औरत ६ घंटे ही काम करती है, क्यों यह अन्तर रखा गया है ? आदमी और औरत में क्या अन्तर है ? अगर अन्तर मानते हैं तो प्रधान मंत्री को भी वहां से हटायें।

अकाल के समय में जो मजदूरी दी जा रही है औरत को ८५ पैसे दिये जाते हैं। अगर किसी औरत का खाविन्द नहीं है, विधवा है और उसके चार-पांच बच्चे हैं, पूरा परिवार है तो अपने बच्चों का पेट वह किस आधार पर भर सकती है ? वर्ना आपको कानून बनाना होगा कि औरत आदमी सबको बराबर मजदूरी दी जाय। औरत-आदमी में फर्क नहीं मानते तो कानून में संशोधन किया जाय।

अकाल लगातार पड़ रहा है, चार साल से पड़ता आ रहा है। आज उसकी समस्या को सरकार बिल्कुल हल नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई ?

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं अकाल के बारे में कि एक काम वहां पर चल रहा था सड़कों पर, वह काम रुक गया······

श्रीमती सभानेत्री : अकाल का कट मोशन आएगा तब आप बोलें।

श्री हीराभाई : सरकार अगर कुछ व्यवस्था नहीं करेगी तो शायद मुझे इसके लिए जेल में भी जाना पड़े। कुछ होने वाला है।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

सरकार को यह पता नहीं कि यह पी. डब्ल्यू. डी. का काम है या तालाब है या कुआं है; कोई योजना नहीं है जिसको लागू किया जाय। दूसरे हमारे पशुओं के लिए राजस्थान में

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

उनकी राहत के लिए फार्म बनाया जाय, उसकी व्यवस्था की जाय। अगर नहीं की तो फिर राजस्थान के टुकड़े होने वाले हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभानेत्रीजो, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसके आंकड़ों को देखते हुए और हमारी समाजवादी सरकार की व्यवस्था को देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि यह समाजवादी बजट है। वैसे आजादी के १८ साल बाद सरकार ने प्रगति की है। चारों तरफ से विरोध करने से हम नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से तरक्की नहीं हुई है। पुलिस विभाग की पहले क्या स्थिति थी और देश पर आपत्ति आई; चीन और पाकिस्तान से लड़ाई हुई, तब हमारे राजस्थान के वीरों ने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की है वह आपके सामने है। जिन वीरों ने बलिदान दिया है और देश की रक्षा की है उनके परिवारों को, मैं आपके द्वारा हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं।

(श्री नाथूराम)

वैसे इस बजट को देखें और राजस्थान की आबादी को देखते हुए जैसे ४० प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लोग हैं और अन्य वर्गों के लोग हैं उनके बारे में वित्त मंत्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा है और न कोई समाजवादी समाज के बारे में एक शब्द का प्रयोग किया है। यह देखते हुए यह समाजवादी बजट नहीं है। राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आज भारत सरकार और राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान हो लेकिन इस बजट में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है और न कोई सुझाव दिए हैं।

आज राजस्थान में आदिवासी और हरिजनों की क्या स्थिति है? जैसे उनका उत्थान होना चाहिए था वह नहीं हुआ। प्रशासन में हजारों रुपये खर्च होते हैं उसका ढांचा दिन प्रति दिन बिगड़ता जा रहा है। १८ वर्ष आजादी मिले हो गए, फिर भी प्रशासन में सुधार नहीं हुआ। आदिवासियों के बारे में मैंने गत वर्ष निवेदन किया था कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को कुछ तहसीलें शिड्यूल्ड एरियाज़ राष्ट्रपति द्वारा घोषित हुई हैं लेकिन उन क्षेत्रों में वहां के शिड्यूल्ड कास्ट और आदिवासियों की क्या स्थिति है? आदिवासियों के उत्थान के लिये सरकार जरूर कोशिश कर रही है और पंचायतों द्वारा विकास का काम होता है। मैं पंचायत समिति गढ़ी जो उसका हेडक्वार्टर है वहां एक कोदरपिता कालिया आदिवासी रण रखता हूं। उसकी तरक्की के लिये वहां उद्योग विभाग ने कुछ कर्जा देना चाहा। एक उद्योग प्रसार अधिकारी ने अपने स्वार्थ के लिए फॉर्म भर दिया और उससे कहा कि तुमको रस्सी कातने की मशीन दिलाऊंगा, तेरी तरक्की हो जायगी। अंगूठा लगा कर उस अधिकारी ने उसका उसने पैसा उठा लिया और मशीन जो मंगवाई उसके कल-पुर्जे आदि नहीं दिए। वह आदिवासी नहीं जानता था कि मशीन किस तरह से चलती है और न ही मशीन के पुर्जे आए। उसने तो एक पैसा भी काम में नहीं लिया। कर्जा आदिवासी के नाम थोप दिया गया। एक पैसा भी आदिवासी के हाथ में नहीं गया, मशीन उसके एक चपरासी के द्वारा घर पहुंचाई। आदिवासी ने लौटा दी। बाद में पी. डी. आर. द्वारा ऋण वसूल करने की कार्यवाही हुई तो एस. डी. ओ. ने स्टे ऑर्डर करवाया। जब उसके मवेशी नीलाम होने वाले थे तो उससे कुछ समय पहले स्टे ऑर्डर पहुंचता है। इस विषय को लेकर वित्त मंत्री तक यह मिसल पहुंचाई कि उसके बच्चे बरबाद हो रहे हैं, उसका घर बरबाद हो रहा है। बिना पैसे लिए उसको बरबाद न किया जाय लेकिन वित्त मंत्री महोदय ने कुछ नहीं सुना। यही कहा, ठीक है मैं कर दूंगा। लेकिन वह मिसल अभी तक बस्ते में पड़ी है और वह गरीब आदिवासी परिवार बरबाद हो रहा है।

यह एक साधारण नमूना है, उसके परिवार को खत्म करने के लिए मिसल बनी है। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उस मिसल पर जो भी निर्णय देना है देकर खत्म करें। जिस आदमी ने एक पैसा भी नहीं लिया है उसको खत्म न करें। आदिवासी वैसे ही चार आने के औजार

(श्री नाथूराम)

से रस्सी वगैरह बनाते हैं, काम लेते हैं। आपके एक हजार रुपए की मशीन से एक पैसा भी पैदा नहीं हुआ है। उद्योग कर्मचारी ने विभाग के अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया? है। आपके प्रशासन का ढांचा शुरू से बिगड़ा हुआ है। उसको शीघ्र सुधारें।

इसके अलावा निवेदन करूं कि आदिवासियों के लिए राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से पंचायत समितियों को सिंचाई के कुओं के लिये ऋण मिलता है, अनुदान भी मिलता है। मैंने पिछले बजट अधिवेशन में भी निवेदन किया था कि हर साल यह पैसा आता है लेकिन उसका आधा पैसा भी कुओं तक नहीं पहुंचता है। इस तरह से ग्रामसेवक से लेकर अधिकारी तक तमाम पैसा अपने हाथ में रखते हैं और आधा पैसा तो उनको नहीं मिलता है। आज बांसवाड़ा में चार हजार कूए अपूर्ण हैं, एक तरफ उत्पादन बढ़ाने का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार और राज्य सरकार के हजारों रुपयों का दुरुपयोग आपके कर्मचारियों द्वारा होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस भ्रष्टाचार को, जहां ऐसे गबन होते हैं मिटाए। सरकार से गत वर्ष मैंने निवेदन किया था लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई और हजारों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है।

इसी तरह से अन्य विषय भी हैं। जैसे सिंचाई की बात कही। जो बड़े तालाब बनते हैं इस विभाग की ओर से, वहां हर साल दुष्काल पड़ता है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के प्रयत्न से माही प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहां हर साल अकाल होते रहते हैं। कोई सिंचाई का साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा सिंचाई मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि माही प्रोजेक्ट की कम से कम शुरुआत तो होनी चाहिये। ३५ करोड़ की स्कीम है, मैंने यह सुना है। कम से कम उसकी शुरुआत तो हो जानी चाहिये ताकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुछ काम कर सकें। एक तो हजारों लोग आज बेकार हैं और गुजरात की ओर निर्वाह के लिये जाते हैं, उनको रोजी मिलेगी; दूसरा अकाल भी है इससे भी उनको राहत मिलेगी।

गढ़ी तहसील हैडक्वार्टर के निकट भंडार तालाब पर ५२ हजार रुपया खर्च हुआ . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ समय दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आपका समय पूरा हो चुका। दस मिनट का समय दिया गया, जो पूरा हो गया।

श्री नाथूराम : कभी हमको टाइम ही नहीं दिया जाता है। शिड्यूल्ड एरिया के लिये कम से कम सुनना तो चाहिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : ४५ तोला बाडोलाल सेठ खा गया, उसका क्या हुआ यह तो बता दो, आगे बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम : उस भंडारा तालाब के बारे में पत्र तैयार करके दिया, सिंचाई मंत्रीजी को दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आपको जो कुछ कहना है वह संक्षेप में कहें।

श्री मायूराम : गरीबों की कोई आवाज नहीं सुनता है उसको तो आपके कानों तक पहुंचायें।

आधा बीघा भी उस तालाब से सिंचाई नहीं हुई है। खेतों का मुआवजा कृषकों को नहीं मिला है। सिंचाई मंत्रीजी ने आदेश दिये हैं लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ऊपर से सड़क निकालनी है, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आपको निवेदन है कि काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है वह मिल जाना चाहिये और काम की पूर्ति हो जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अढ़ाई तलाब जल्दी से जल्दी बंधवाना चाहिये। हजारों लोग बेकार हैं उनको रोजी मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, इसी प्रकार में कृषि की उन्नति के लिये बताऊं कि कृषि के लिये वहां कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं और पंचायत समितियों में कृषि प्रसारण अधिकारी हैं उनको प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता। फसल पकती है, गन्ना धान (चावल) पकता है तो उसमें एक कीड़ा लग जाता है उसका उनको अनुभव नहीं है कि किस प्रकार उपचार किया जाय। वे उसका उपचार नहीं करते। काश्तकार बे पढ़ा लिखा है वह उसका उपचार बता सकता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वे उसका उपचार नहीं बता सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, प्रकृति के कारण उस क्षेत्र में दुष्काल होते रहते हैं। गये साल भी दुष्काल था, इस साल भी दुष्काल है। इस कारण हजारों लोगों को गुजरात में मिलों में शरण लेनी पड़ती है। अपने बाल-बच्चों को लेकर, मवेशी को दूसरों के पास छोड़ कर दूसरी जगह धन्धा करने के लिये गुजरात में चले जाते हैं। रिलीफ वर्क्स सरकार मंजूर जरूर करती है लेकिन सरकार की व्यवस्था में बहुत ढिलाई है। रिलीफ वर्क्स चालू हुए और इधर से यह आदेश आ गये कि प्लान का काम शुरू किया जाय और रिलीफ के काम बन्द कर दिये जायें। हजारों लोग...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बेकार हैं उनके लिये रिलीफ वर्क्स चालू होकर उनको धंधा मिलना चाहिये। इसकी जल्दी से जल्दी सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिये।

खाद्य व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, सरकार ने मक्की की जरूर व्यवस्था की। लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं हुई। होली के त्यौहार पर पैसे देते हुए भी गरीबों को मक्की नहीं मिली। गत वर्ष दूकानें खोलीं वे ठीक थीं। इस साल कमीशन से दूकानें खोली हैं। चार-पांच हजार रुपया एक ट्रक माल का देना पड़ता है इसलिये कोई लेने के लिये तैयार नहीं होता। हर न्याय पंचायत पर एक दूकान, खोल दी जाती है तो पन्द्रह-पन्द्रह मील तक अनाज की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये गत वर्ष जिस प्रकार दूकानों की व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नाथूराम)

जनता पर टैक्सेज लगाये जाते हैं। एक तरफ सरकार समाजवाद लाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ सरकार गाय, बैल, बकरी की बिक्री पर, घी पर और तेल पर टैक्स लगा रही है। यह उचित नहीं है। सरकार को विभागों का खर्च घटाना चाहिये। इस प्रकार से गरीब जनता पर टैक्सेज पड़ते हैं वे ठीक नहीं हैं। इसलिये आपसे निवेदन है कि घी, तेल बकरी, बैल आदि पशुओं पर जो टैक्स है उसको शीघ्र हटा देना चाहिये। नहीं तो आम जनता इसका विरोध करेगी और मैं स्वयं इसका विरोध करता हूं। हम यह नहीं चाहते कि आप टैक्स न लगायें। बड़ी बड़ी चीजों पर, पूंजीपतियों पर आप टैक्स लगाइये। एक तरफ आप उत्पादन अधिक बढ़ाने का नारा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रकार गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सेल्स टैक्स के बारे में, मैं निवेदन करूं कि बांसवाड़ा जिले में आपके कर्मचारी इन्सपेक्टर वगैरह हैं, हजारों की तादाद में रिश्वतें खाते हैं और उन्होंने लोगों के नाक में ? दम कर रखा है। इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है, उसे आपको मिटाना चाहिये।

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शराब बन्दी के लिये भी थोड़ा निवेदन कर दूं। ७०.८० परसेन्ट आदिवासी शराब नहीं पीते हैं। आपको टैक्स लगाना था तो शराब पर लगाना था या बन्द करना था, घी के ऊपर टैक्स लगा दिया, जो गरीबों की चीजें हैं, वैसे ही गरीबों को नहीं मिलती हैं। शराब के लिये आपको कानून लाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा और निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : आप अब समाप्त कर दें। मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे बहुत अफसोस है। अधिक समय नहीं है।

श्री नाथूराम : दो मिनट।

भूमि सुधार के कानून बने थे लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। एक तो सागड़ी प्रथा का कानून बना। आदमी हजारों की तादाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आदिवासी लोग सागड़ी हैं। समाज कल्याण विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है और कोई जांच नहीं करता है। अधिकारी हैं वे व्यर्थ का पैसा खा रहे हैं। जो कानून बनते हैं उनका पालन होना चाहिये।

माननीय सदस्य ने बताया वह बता दूं। बांसवाड़ा कलेक्टर ने जांच की है···

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री हीराभाई : उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? आपके क्षेत्र में ऑफिसर लोग पैसा खा गये। बी० डी० ओ० आदि खा गये··

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : (श्री देवीलाल व हीराभाई के बोलते रहने के कारण अश्रव्य)

श्री हीराभाई : कमिश्नर साहब से मिल कर खा गये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जुझारसिंह।

ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य···

श्री कुम्भारसिंह (चेचट) : सभापति महोदया, वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में १ करोड़ १२ लाख के टैक्स प्रोपोज किये हैं और उनमें मुख्य चीजें हैं जिन पर टैक्स लगाये हैं; घी, तेल और सिंचाई पर। मैं इस विषय में हमारी क्षेत्र की जो सिंचाई योजनायें हैं उन्हीं के बारे में कुछ निवेदन करूंगा और चूंकि कृषि मंत्री व इरिगेशन मंत्री शुरू से ही यहां बैठे हैं उनको इस विषय की दिलचस्पी भी नहीं है इसलिये ज्यादा दूसरे विषयों पर न बोल कर सिंचाई के विषय में, हमारे इलाके में जो अनियमिततायें चल रही हैं और जिनके कारण बहुत सा नुकसान हो रहा है उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा।

एक पेम्फलेट माननीय मंत्री महोदय ने चम्बल क्षेत्र के किसानों के नाम से निकाला है इसमें उन्होंने बताया है कि वहां पर एक टेक्निकल सर्वे उस इलाके का करवाया है, आज से चार-पांच साल पूर्व, और उस टेक्निकल सर्वे के आधार पर वहां के काश्तकार को एडवाइस किया है कि वहां की जमीन का किस प्रकार उपयोग होना चाहिये। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने चम्बल कमान्ड एरिया का सर्वे कराया, समस्या को समझने की कोशिश की और एक तरह का डाइरेक्शन किसानों को दिया। मैं यह महसूस करता हूं कि उनके डाइरेक्टिव को उनके डिपार्टमेंट ने और उनसे सम्बन्धित डिपार्टमेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा और यह उम्मीद की जाती है कि उन्होंने उसको फोलो किया होगा।

चम्बल कमान्डेन्ड एरिया में और कोटा डिस्ट्रिक्ट में भूमि-कटाव की समस्या है। आज से नहीं, कोटा स्टेट के समय से ही यह समस्या रही है। कोटा राज्य सरकार ने अपने काल में इस प्रोब्लम को बहुत सीरियस मानकर उसके बारे में बहुत से स्टेप्स लिये थे। एक स्पेशल महकमा, "महकमा बन्धात" नाम से भूमि संरक्षण हेतु चलाया जाता था जिससे लाखों रुपयों के बान्ध लगाये हैं, भूमि कटाव को रोकने के लिये, वे बान्ध इस अठारह साल की अवधि में पूरी तरह से खराब हो गये हैं उनकी मेन्टीनेन्स और रिपेयर नहीं होने की वजह से सोइल कन्जर्वेशन की इस प्रोब्लम को प्रेक्टिकली डील ही नहीं किया गया है। यह प्रोब्लम कोटा जिले का महत्वपूर्ण प्रोब्लेम है इस ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक पेम्फलेट जो विभाग द्वारा बांटा गया है जिसका फोवर्ड नाथूरामजी मिर्धा ने दिया है, जिसमें आपने पीछे ही पीछे लिखा है:

> "मुझे विश्वास है कि किसान भाई इसका पूरा लाभ उठाकर प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने में सफल होंगे"

इसमें आपने छः प्रकार की जमीन बतायी है। पांचवीं और छठी श्रेणी की जमीन जो है, उसके बारे में लिखा है वह मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

"पांचवीं श्रेणी: यह भूमि खेती के उपयुक्त नहीं है। यहां घास उगाना अथवा जंगल लगाना हितकर होगा। चराई के लिये भी यह उपयुक्त नहीं है यहां जल के अनियन्त्रित बहाव को रोकने का यत्न किया जाय, जिससे कि आस-पास के खेत बिगाड़ने न पाए।

(श्री जुझारसिंह)

"छठी श्रेणी: यह भूमि खेती अथवा चरागाह के काम में नहीं लाई जा सकती। मिट्टी के कटाव के कारण भूमि बिल्कुल बेकार होगई है। पानी के तेज बहाव को रोकने का प्रयत्न किया जाय, जिससे कि कटाव बढ़ने न पाए और स्वाभाविक वनस्पति उगने दें। इस भूमि के पड़ौसी किसान सावधान रहें।"

यह जो आपने पांचवीं और छठी श्रेणी की जमीन का जिक्र किया है इसके अन्दर दो लाख पच्चीस हजार एकड़ के करीब जमीन आती है। यह सारा एरिया रोविन (Rovine) एरिया है और ब्रोकन लैन्ड है। इस पेम्फलेट के छपने के बाद भी इस प्रकार की लैन्ड का अलॉटमेन्ट होता रहा है। इस जमीन को Mitisation बाबत कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को इत्तला नहीं की होगी। सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में इनको काबिल काश्त लिखा हुआ है परन्तु वास्तव में यह जमीन काश्त के लायक नहीं है। टैक्निकल सर्वे होजाने के बाद रेवेन्यू विभाग और कोलोनाईजेशन विभाग का यह फर्ज हो जाता था कि वह सैटलमेन्ट विभाग को यह सूचित करे कि इस जमीन को नाकाबिल काश्त बताया जाये व इसका अलॉटमेन्ट नहीं किया जाय। मैं इस बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा १९६०-६१ में सेल ऑफ लेन्ड के करीब बीस लाख रुपये का टार्गेट रखा था इसके अलावा दस लाख रुपये लैन्ड अलॉटमेन्ट से प्राप्त करने का टार्गेट रखा था। अलॉटमेन्ट और सेल ऑफ लैन्ड इस वेस्ट लैन्ड का हुआ है। इस पेम्फलेट के मुताबिक वह जमीन काबिल काश्त नहीं है इसलिये जिनको जमीन सेल का करने का या अलॉटमेन्ट करने का अधिकार था, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा व हर साल ६० से लेकर ६३ तक करीब २० लाख रुपये सेल ऑफ लैन्ड से और १० लाख अलॉटमेन्ट द्वारा, इस तरह से हर साल तीस लाख रुपया इस प्रकार की जमीन को बेचकर प्राप्त किया गया है। और पिछले चार पांच सालों में पचास साठ लाख रुपये इस जमीन से सरकार ने लिये हैं। अब वहां समस्या यह है कि इस जमीन के अलॉटमेन्ट होने के बाद में जो अधिक कटाव होना था, जो नेचुरली स्वाभाविक था वही हुआ और वही हो रहा है; इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

अब भारत सरकार ने और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने नया प्रोग्राम दिया है कि सोइल कन्जरवेशन का अफोरेस्टेशन और रोविन कल्टीवेशन किया जाने का। यह चीजें सरकार करने के लिये तैयार होगई है उसके लिये स्टेप भी लिये जा रहे हैं। प्रोग्राम की कामयाबी के लिये जो जमीन पहले अलॉट हुई थी सरकार को वापिस उस पर कब्जा करना पड़ेगा। लोगों को डिसपजेस कर दिया जावेगा उस जमीन पर रोविन कल्टीवेशन और अफोरेस्टेशन करने के लिये एक टेक्निकल डिपार्टमेन्ट ने बैठकर यह पोलिसी निर्धारित की, लेकिन दूसरे डिपार्टमेन्ट ने उसको फोलो नहीं किया। अब फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट लाखों रुपया खर्च करके इस पडत भूमि पर अफोरेस्टेशन करवायेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से

(श्री जुझारसिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर यह समस्या है, इस तरफ में उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह समस्या केवल चम्बल कमान्डेड एरिया में ही नहीं पुरानी कोटा स्टेट की सभी तहसीलों में है। सांगोद-बेचट में है। इसमें हर दो तीन माइल पर नदी नाले व रेविन्स हैं, हर साल मुतवातिर इरोजन होता जारहा है। ट्रेसपासर्स को अलॉटमेन्ट चालू है, मैं इसको राज्य सरकार के ध्यान में बार बार लाया भी हूं और लाता भी रहता हूं लेकिन जिस गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिये, इस बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया गया है। लाखों एकड़ जमीन गैर तरीके से अलॉट हुई है, जिसको प्रिजर्व रखना राज्य सरकार के इन्ट्रेस्ट में था। इस जमीन को अलॉट करके राज्य सरकार ने बहुत नुकसान किया है।

इस इलाके में जो जमीन का अलॉटमेन्ट हुआ है, उससे वहां इरोजन बढ़ा है, नये टैक्स भी उन पर लगेंगे। पांच रुपया एकड़ कार्मशियल क्रोप्स पर जो टैक्स लगाये हैं वहां की फर्टिलिटी और पैदावार को देखा जाय तो मैं नहीं कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने वहां के आंकड़े लिये हैं या नहीं, लेकिन मैं वहां का रहने वाला हूं, मैं अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर कह सकता हूं, वहां पर औसत पैदावार नहीं बढ़ पाई है। इसका कारण यह है कि वहां की सोइल फर्टिलिटी प्रिजर्व नहीं हो पाई कोमर्शियल क्रोप्स पर टैक्स लगाया गया है, उसके लिये मेरा निवेदन है कि चम्बल एरिया में यह टैक्स लगाना उचित नहीं है।

दूसरा पोइन्ट फूड के बारे में है। अभी जो पेम्फलेट सरकार की तरफ से बांटा गया है उसके अन्दर यह लिखा हुआ है फर्टिलिटी के बारे में जो स्टेट का टार्गेट है उसको पूरा नहीं कर पायेंगे फर्टिलाइजर की जो टाइट पोजीशन है व हर क्षेत्र में इस ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ी है दो चार साल से इस बारे में जो प्रचार हुआ है उसकी वजह से फर्टिलाइजर का उपयोग किसान अधिक करने लगे हैं परन्तु जहां हमें बारह हजार टन की जरूरत थी वहां पर छ: हजार टन फर्टिलाइजर ही मिलेगा। कोमर्शियल क्रोप्स को तो एक बटा पांच टार्गेट ही दे पायेंगे। ऐसी परिस्थिति में खेती की पैदावार कैसे बढ़ सकती है। इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नुकसान होने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को घर में बढ़ाया जाय या इस प्रकार का जो खाद हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, उसको महत्व न दी जाय। उसकी जगह जो लोकल फर्टिलाइजर है ग्रीन मेन्योर आदि के उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाय। उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाय।

तीसरा पोइन्ट है पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्ज। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में बताया है कि पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्ज में १०७ करोड़ का इनवेस्टमेन्ट है। उसमें से रोडवेज ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली रकम जमा है। यह नॉन-टैक्स रेवेन्यू का अच्छा सोर्स हो सकता है।

आज जो टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ी है और राजस्थान की जनता पर हर साल जो टैक्स हम लगाते जा रहे हैं

(श्री जुझारसिंह)

अब तक ३२ करोड़ के लगाये भी हैं और अब १.१२ करोड़ के और लगाये हैं। वो अगर पब्लिक सैक्टर के इन अन्डरटेकिंग्ज को ज्यादा व्यवस्थित ढंग से चला सकें तो उनके द्वारा हमें बहुत अधिक प्राप्ति हो सकती थी और यह टैक्स लगाने की नौबत भी नहीं आती।

आज रोडवेज की हालत में बताता हूं कि क्या है। ४३१ गाड़ियां राजस्थान रोडवेज के पास हैं। इनमें से १६० गाड़ियां आउट आफ रोड पड़ी हैं। उनके दिये हुए फिगर्स में बता रहा हूं। इसका मतलब है, कुल गाड़ियों का ३।५वां हिस्सा आपका बेकार पड़ा है। इन सब की कीमत अगर पचास साठ हजार एक गाड़ी के हिसाब से भी लगावें तो २ करोड़ की रकम बनती है, जो आइडल पड़ी है बिना काम के हमारी इतनी पूंजी बेकार फंसी पड़ी है। इससे कोई इन्कम भी नहीं हो रही है।

फिर उनके आंकड़ों के मुताबिक इसकी आमदनी पिछले साल २५ लाख थी, इस साल केवल छः लाख रह गयी। आज आपकी इन आइडल पड़ी गाड़ियों को ठीक करके चालू रखने की व्यावसायिक दक्षता और क्षमता भी नहीं है। आपके पास इनकी रिपेयर का सुन्दर प्रबन्ध भी नहीं है। आपके पास अच्छे वर्कशाप इनके लिये नहीं हैं। आप में व्यावसायिक कुशलता नहीं है कि उनकी अगर कहीं कभी खराबी भी हो जाय तो तुरन्त ठीक करके चालू रखा जाय, एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी नहीं है, ऐसा लगता है। पैसेन्जरों का चार्ज व्यर्थ में होता है, और भी पचासों गड़बड़ियां आपके इस विभाग में हैं। आपने इन सबको सुधारने की कोशिश नहीं की। ३।५ आपका फ्लीट डैड बन कर पड़ा है। इससे नुकसान हो रहा है। उसकी तरफ आपकी कोई तवज्जोह नहीं है। बस आपको तो रोज नये टैक्स लगाने की सूझ जाती है, उनकी खामियों को दुरुस्त करने की बात नहीं सूझती। ऐसी सूरत में जनता पर टैक्स लगा-कर उससे ही वसूल करने की कोशिश जो आप करते हैं यह कहां तक उचित है?

आप अपने इन अन्डरटेकिंग्ज से दिनों दिन आमदनी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, व्यवसाय को बढ़ा कर उससे प्राप्ति करने का प्रयत्न नहीं करते। आपको इनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

अन्त में ज्यादा समय नहीं लेकर मैं इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : सभानेत्री महोदया, यह वित्त मंत्री का पांचवां साल बजट पेश करने का है इसमें भी कोई ऐसी बात वित्त मंत्री महोदय ने नहीं बताई कि जिसमें गरीबों को कुछ राहत मिलती हो। सरकारी उद्योग बढ़ें, उनकी आमदनी बढ़े, जो इस समय सरकार के उद्योग हैं उनमें प्रगति हुई हो ऐसा कुछ नहीं किया गया।

उद्योग-धन्धे बढ़ें, उनसे राज्य की आमदनी बढ़े, इसकी तरफ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि जो जनता यह सोचती थी कि अब नहीं तो अब, अब नहीं तो अब, कभी न कभी तो हम लोगों को राहत मिलेगी, आराम की सांस लेने का अवसर आवेगा वह सोचना उनका व्यर्थ ही गया। उल्टे सरकार दिनों दिन टैक्स ही बढ़ाती जा रही है। आप दिनों दिन अपव्यय अपना बढ़ाते

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जाते हैं और उसमें जो कमी पड़ती है, वह नये टैक्स लगाकर वसूल करते जाते हैं। इसके बावजूद और कमी पड़ती है, तो आप सेन्टर से ले लेते हैं, और सेन्टर विदेशों से ले लेती है। अब सेन्टर भी यह नहीं सोचती कि किससे वह मांग रही है। हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखता है पर इतना विशाल और गौरवशाली देश होते हुए हम एक छोटे से छोटे मुल्क के सामने भीख का हाथ पसार देते हैं अपनी हया और शर्म को खोकर। मैं पूछता हूं, यह कब तक चलता रहेगा ?

तो, सभानेत्री महोदया, जब तक हम अपने उद्योग-धन्धों को अपने ही बल-बूते पर अपनी ही दक्षता के आधार पर नहीं पनपावेंगे और उनसे अपनी पूंजी नहीं बढावेंगे और केवल टैक्सों ही टैक्सों पर चलते रहेंगे तो कब तक चलेंगे ? इससे हम निश्चित रूप से प्रगति नहीं कर पावेंगे।

सभापति महोदया, यह तो बात रही हमारे प्रगति की जो हम करते हैं उसके खोखलेपन की। अब जनता ने जो आशा बान्ध रखी थी कि अब के तो टैक्स नहीं लगेगा। अब के तो सरकार की आमदनी बढ़ गई होगी, उसका खोखलापन।

हमारे वित्त मंत्रीजी हमारे महान् नेता स्वर्गीय नेहरूजी का नाम लेकर और स्वर्गीय श्री शास्त्रीजी का नाम लेकर यह कह गये कि इस तरह से उनकी मृत्यु होने से यह बजट इस प्रकार का लाया गया है। तो मैं वित्त मंत्रीजी से यह कहूं कि यह जो आप उन नेताओं का नाम ले लेते हैं तो वे क्या रुपये को अपने साथ बांधकर ले गये हैं या कहीं छिपाकर रख गये हैं कि जो मिल नहीं रहा, इसलिये आप इस तरह से टैक्सों का बोझा जनता पर लादने को मजबूर हो गये हैं। तो आपकी इस तरह की बात करना सही नहीं है। यह तो आपकी अयोग्यता है।

आपकी तो आदत पड़ गई है। जब तक आप टैक्स नहीं लगावें आपका खाना हजम नहीं हो।

आपने घी पर, तेल पर टैक्स लगाया। घी गरीब को नसीब नहीं होता। तेल मिलता है। उस पर आपने टैक्स लगा दिया। इससे आपकी खास आमदनी नहीं होने वाली है। यह तो आपकी वृत्ति ही ऐसी बन गई है कि जब तक इस तरह के टैक्स नहीं लगावें आपको चैन नहीं पड़ती।

पांच रुपया एकड़ सिंचित जमीन पर आपने टैक्स लगाया है। यह तो आपको खुद को विचारना चाहिये था कि जब आप खाद्यान्न अधिक पैदा करने की बात कहते हैं किसान को तो उसको सस्ती चीजें मुहैय्या करने की बात तो दूर रही, उल्टे उस पर बोझा थोप कर आप यह समझते हैं कि आपके खाद्यान्न अधिक पैदा करने की मंशा पूरी हो जावेगी ? किसान को सस्ती चीजें देकर उसको प्रोत्साहन देने के स्थान पर यह टैक्स लगाना किसान के लिये घातक है। उस पर यह कुठाराघात है। यह आपको हटा देना चाहिये इस तरह की किसान-घातक-नीति इस सरकार को नहीं रखनी चाहिये। वरना किसान निरुत्साहित होगा। उत्पादन बढ़ाने में उसको कोई उत्साह नहीं मिलेगा।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि जो टैक्सों से आप वसूली करते हैं, उसमें

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

आपका काफी बकाया पड़ा है जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है। उसे ही आप वसूल कर लें तो इन टैक्सों के लगाने की जरूरत ही नहीं रहे।

दूसरी बात, जो आपका तरीका है वसूली का वह भी ठीक नहीं है। इसके लिये आपको अपनी सरकारी मशीनरी को ठीक करना चाहिये। इससे पूरी रकम सरकार के खजाने में आ सकती है और इससे काफी फायदा हो सकता है। इन टैक्सों के लगाने की भी जरूरत नहीं रहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्री महोदया, मैं तो अभी बहुत कम बोल पाया हूं......

श्रीमती सभानेत्री : बोलिये, वह तो मैंने आपको चेताया है कि जल्दी समाप्त करदें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभानेत्री महोदया, मैं यह कहना चाहता था कि जो आपने कर्ज दिया है बड़े लोगों को जिन्होंने अपने जाती काम में पैसा लगाया और उस पैसे को या तो इन्डस्ट्री के नाम पर लिया है, सोसाइटी के नाम पर लिया है या व्यक्तिगत लोन लिया है, उस लोन को रास्ते में लेकर उसके कई तरह के अपने फायदे उठाते हैं, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप यही कहते रहे हैं कि हमारी जो बकाया है वह तो आती नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि यह सारा का सारा बजट जब उनकी जेब में चला जायेगा फिर आप प्रशासन कैसे चलायेंगे, राज्य कसे चलायेंगे? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों से वसूली करनी है वह वसूली आपको करनी चाहिए। एक तरफ वित्त मंत्री जी कहते हैं कि जो हम जनता से पैसा लेते हैं बचत-योजनाओं से वह इसलिये हमें मिलता है कि उनका हमारे ऊपर काफी विश्वास है और उस विश्वास से हमें देते हैं। मगर उधर से भी तो आपको लेना चाहिए। जनता आपको दे देती है तो आपको भी चाहिए कि उधर से आप वसूल करें। तो यह जो आपकी नीति है यह भी गलत है।

इसके अलावा कई तरह के व्यक्तिगत लोन दिये जाते हैं, गोदाम बनाने के लिए लोन दिया जाता है, और जिस काम के लिए भी दिया जाता है, उसका गलत प्रमाण-पत्र दिया जाता है और सरकार ध्यान नहीं देती है कि जिस काम के लिए पैसा दिया था, वह सही उपयोग में आया या गलत उपयोग में आया। पंचायतों की मार्फत जो कुओं के लिए लोन दिया जाता है जैसा कि कृषि मंत्री जी आंकड़े बता देते हैं कि इतना रुपया कुओं के लिए दिया गया, लेकिन जो प्रमाण-पत्र आपके पास आते हैं वह सारे सही नहीं होते। तो इसके लिए भी आपको विचार करना चाहिए: कम से कम दो पंचायत समितियों में तो मैं भी जाता हूं। वहां पर लोग आपस में शिकायत करते हैं कि अमुक ने कुए के लिये लोन लिया लेकिन उस काम में न लेकर दूसरे काम में ले लिया। इस पर ध्यान दिया जाये तो कृषि-उत्पादन का मामला सही तरीके से हो सकता है। इसके बारे में आप जरूर नोट करें।

दूसरी बात आपने जो २४ करोड़ ६७ लाख रुपया ऋण के रूप में लोगों को उद्योगों

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

के लिए या और किसी भी कामों में अब बजट में देना बताया है, वह आपकी वही नीति रहेगी कि जो पहले पैसा दिया है और वह पैसा वसूल नहीं हुआ है। ऐसा न होकर अब जो आपकी पुरानी नीति है या अब ऐसा न करके गरीबों को किस प्रकार से राहत दें कि यह जो रुपया है इस रुपये को ऐसे काम में लाया जाये ताकि उन गरीबों के उद्योग पनपें। इसमें सरकार को भी लाभ है और जो लोग बड़े हैं वह तो अपने रुपये से भी फायदा उठा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास रुपया नहीं है। बाकी उनके पास रुपया रहते हुए आप दे देते हैं तो वह अपना रुपया क्यों काम में लेंगे? तो यह कहां की नीति है कि जिनके पास पहले से ही रुपया है आप उनको और रुपया दें? आपकी नीति है कि गरीब और अमीरों को समानता पर लायेंगे तो जो पैसे का प्रावधान करते हैं, वह पैसा गरीबों को न देकर उन्हीं लोगों को देना जो कि पहले से ही धनाढ्य हैं तो जो नीचे और ऊपर के तबके का मेल है वह किस प्रकार से हो सकता है? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो २४ करोड़ ६७ लाख रुपये का लोन देने वाले हैं यह रुपया उन लोगों को न दें जिन लोगों के पास पहले से ही पैसा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अब इसके अलावा दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि जो संस्थायें सरकार ने खोली हैं उन संस्थाओं से लोगों को किसी प्रकार का भी फायदा नहीं होता है। जैसे आपने आदिवासी सेवासंघ खोला है, यानी यह रुपया आप अनुदान के रूप में देते हैं यह रुपया भी आपका गलत ही जाता है। उन लोगों के पल्ले नहीं पड़ कर नेता लोग उसको खा जाते हैं जो कि इन संस्थाओं में बैठते हैं। तो पैसा संस्थाओं को न देकर अगर गरीबों को दें और उनके रोजगार को प्रोत्साहन दें तो उनकी हालत अच्छी हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : अब तो आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरी पार्टी का समय है और अभी दो ही बोले हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गये साल में जो वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में छोटे कर्मचारियों को राहत पहुंचाई थी, वह राहत बड़े कर्मचारियों के मुकाबिले में बहुत कम थी। छोटे कर्मचारियों को तो आपने ५-५ रुपये और बड़े कर्मचारियों को ३०-४० रुपये महंगाई भत्ते के दिये। उसको देखते हुए जो कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोलने का सोचा है और सस्ते में छोटे कर्मचारियों को चीजें मिलेंगी यह नीति अच्छी नहीं है। क्योंकि न तो सब जगह आप कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोल सकते हैं और न ही आप पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। यह भी ऐसा तरीका है कि जिससे जो आपके कन्ट्रोल का हिसाब है उसमें भ्रष्टाचार होता है उसी प्रकार इसमें भी होगा।

दूसरा उदाहरण मैं यह दूंगा कि जो दो दूकानें दवाइयों की खोली हैं उसमें भी सस्ता सामान नहीं मिलता है। वह टेबलेट जो २० पैसे में बाजार में मिलती है वही २५ पैसे में आपकी दूकानों में मिलती है। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना चाहते हैं इससे तो अच्छा उनको रुपया ही मिल जाना चाहिए और कन्ज्यूमर्स स्टोर्स से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने उद्योग चलाये हैं, उन उद्योगों में भी सरकार असफल रही है। पहले तो पलाना खान को आपने हाथ में लिया है, कृषि फॉर्म चलाये हैं, वह घाटे में चल रहे हैं। अब ऊन उद्योग और आपने हाथ में लिया है। उसका नया नया उदाहरण दूं। वह दो-एक साल से ही चल रहा है। उसमें आप कितना घाटे में चल रहे हैं? उस उद्योग को आपने करीब ७५ लाख रुपया लगाकर चालू किया है। ७५ लाख रुपये में से आपने ३७ लाख रुपया जमा बताया है बाकी रुपया आपने जमा इसलिए नहीं बताया कि उससे ऊन उद्योग में नुकसान है। और नुकसान है करीब १५-२० लाख रुपये का। इस तरह का जो आप काम करते हैं उसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो जो गरीब धंधा करते हैं उनके हाथ से छीनने में आपको क्या मिलता है? जब कि आप नुकसान में उसे चलाते हैं और उसमें भ्रष्टाचार होता है कि जो अधिकारी ऊन उद्योग में काम करते हैं वह अधिकारी १०० रुपये में या ११० रुपये में ऊन खरीदते हैं और उसको ड्योढ़े या दुगने पैसे में उन लोगों से जो देहाती लोग हैं उनसे बिल ले लेते हैं और वह बीच में खा जाते हैं। तो इस पर आप जरूर सोचें। इसमें १५-२० लाख रुपये का घाटा रहेगा और जो वह मिट्टी मिलाकर लाते हैं वह चीज आपके रुपये में रहेगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उद्योग सरकार नहीं चला सकती है, जिन उद्योगों में सरकार को घाटा है वह न चलाये। कृषि फॉर्म में जो बीज बेचा जाता है उसकी १॥ गुना कीमत ली जाती है। फिर भी नुकसान होता है तो फार्म चलाने से क्या फ़ायदा और जितने भी अधिकारी हैं वे उसका गलत उपयोग करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो उद्योग आपसे नहीं चलते हैं उनको आप अपने हाथ में न लें।

(४ म. प.)

ग्रामोद्योग या ग्राम प्रशिक्षण केन्द्र खोल रखे हैं वे भी ऐसे ही हैं जिनमें कुछ नहीं होता है; न ग्रामोद्योगों का कोई प्रशिक्षण दिया जाता है और न ही कोई ग्रामोद्योग चलते हैं। आप सांगानेर की मिसाल ही ले लीजिए। सांगानेर में क्या हो रहा है? आपने सांगानेर में ग्रामोद्योग खोल रखे हैं लेकिन न वहां कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न कोई ग्रामोद्योगों का काम ही चल रहा है। वहां भी ऐसे ही देखा कि संस्था चलाने वाले गुजर हो रहे हैं ग्रामोद्योगों का माल खा खाकर। ऐसा धंधा जो लोगों को निकम्मा बनाता हो, नहीं अपनाना चाहिए। आपको ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए जिसमें न कोई काम करे और माल खा खा कर मस्त पड़े रहें। इसमें लाखों रुपये बर्बाद कर रखे हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के ग्रामोद्योग वगैरह जो आप नहीं चला सकते उन उद्योगों को भी आपको खत्म करना चाहिए।

सरकार की इन बातों को कहते हुए मैं आखिर में शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कहूंगा···

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वह तो पहले ही कह देते।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अब कह देता हूं। वह इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोगों की जो कमियां हैं उनकी तरफ सरकार अगर ध्यान नहीं देगी, अब भी ध्यान नहीं देगी तो फिर कब देगी? यानी १६ साल के बाद···

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : ध्यान तो दिया है, थोड़ा दिया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो थोड़ा दिया वह नहीं के बराबर है अतः विशेष ध्यान दिया जावे। इसमें तो आपका भी भला है, हमारा भी भला है और इसके साथ साथ देश का भी भला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने ध्यान दिया है वह छोटे रूप में दिया है। अगर इनको प्रोत्साहन दें तो यह छोटे लोग भी ऊपर आ सकते हैं और आपका हाथ बंटा सकते हैं। इसमें सभी का भला है, आपका भी भला है, हमारा भी भला है और देश का भी भला है। हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारे हाथ अगर टूटे होंगे तो फिर हम क्या कर सकेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो आपने सुविधाएं दी हैं वह आपने सही दिल से सोचकर नहीं दी हैं और जब तक आप सही दिल से सोचकर सुविधाएं नहीं देंगे हमें लाभ मिल नहीं सकता। अगर आप कोई नाम मात्र के लिए करना चाहें और हमें खुश रखना चाहें तो बात दूसरी है। आज आप सोच सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है, मगर कल जब पिछड़े वर्ग की परेशानियां बढ़ेंगी, जब लोग भूखे रहेंगे तो उनमें क्रांति आएगी और क्रांति आने से क्या होगा, देश में बवाल होगा। जब जब लोगों पर असर पड़ा है उनमें क्रांति पैदा हुई है और क्रांति का परिणाम देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। क्रांति से देश में उलट-पुलट होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से फायदा पहुंचाओ। आप उनको ऐसा अवसर क्यों देते हो कि उनमें क्रांति आए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमें सुविधा देनी है वह आपको पूरी तरह से देनी चाहिए। पहली सुविधा यह है कि जो आपने कह रखा है कि साढ़े बारह पर्सेन्ट के हिसाब से नौकरी में रखेंगे तो जब तक आप साढ़े बारह पर्सेन्ट के हिसाब से नौकरी में नहीं रखेंगे तब तक हम लोगों को फायदा नहीं हो सकता। इसका खास कारण है। जैसा हमारे उप नेता ने कहा था कि जोधपुर यूनिवर्सिटि में माथुर ही माथुर भर लिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस जातिवाद के हिसाब से ही अगर चलते रहे तो हम लोगों का गुजारा कैसे हो सकेगा। इससे हम लोगों को साढ़े बारह पर्सेन्ट का फायदा मिल नहीं सकता क्योंकि वह फायदा तो अपने आप ही ले लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो साढ़े बारह पर्सेन्ट नौकरी में लेने की बात है उसको पूरा किया जाये उसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसी तरह से . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यह बात कह कर ही समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : जल्दी खत्म कीजिए, एक दो मिनिट में ही।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसके अलावा मैं देहातों के लिए भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बाहर देहातों में जो सुविधा आपने हमको दी है वह सुविधा भी हमें प्राप्त नहीं होती है, वह उपलब्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है क्योंकि वहां जो सरपंच वगैरह जितने भी होते हैं वे सब ऊंचे वर्ग के होते हैं। जिन बच्चों को छात्रवृत्ति वगैरह मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिलती है। जो पहली प्राथमिक पाठशाला के बालक हैं उनको भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती

Page No. 91

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

है। अगर आप छात्रवृत्ति का नाम रखते हैं तो उनको भी छात्रवृत्ति दें। इसके बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन्क्वायरी करें, छात्रवृत्ति किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे को न प्राथमिक क्लास में मिलती है और न मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में मिलती है और न हायर सेकेण्ड्री में ही मिलती है, किसी में भी नहीं मिलती है।

अब मैं एक आखिरी बात निवेदन करके खत्म कर देता हूं। वह बात यह है कि जो सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मामूली सा अनुदान देकर उसके बदले में शराब की बड़ी से बड़ी इन्कम बना रखी है तो इस इन्कम के लिए मैं निवेदन करता हूं कि जैसे दूसरे राज्य हैं, जैसे मद्रास है वहां शराब बिल्कुल बन्द है। इस तरह आपसे भी बन्द करने के लिए निवेदन करूंगा क्योंकि यह जो आपने आठ-नौ लाख रुपये की अपनी इन्कम बना रखी है, वह आठ नौ लाख उन गरीब लोगों का खून चूस कर आप प्राप्त करते हैं जो मजदूरी करके पैसा पैदा करते हैं। नेनालों पर काम करते हैं, जंगल में रह कर परेशानी के साथ सड़कें बनाते हैं। आपका सुधार करते हैं, उन छोटे तबके के खून से, उनका खून चूस कर जो आपने यह इन्कम बनाई है, यह इन्कम बिल्कुल खत्म कीजिए। मैं इस शराब के बारे में यही कहूंगा कि राज्य सरकार इस शराब को जल्दी से जल्दी अपने राजस्थान से खत्म करे और इसके मद्य-निषेध को लागू करे। आखिर में ये ही दो शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री दलपतसिंह!

श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ़) : मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपके पास लिस्ट है उसमें मेरा नाम है अब मैं बोलूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : समय होगा तो समय दे दूंगी।

श्री किशनसिंह बाटड : आप बता दीजिए। वैसे ही उठ-बैठ करा ली है।

श्रीमती सभानेत्री : पार्टी की तरफ से शायद आपका नाम लिख कर नहीं आया है।

श्री किशनसिंह बाटड : क्या आपके पास जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है किशनसिंह का नाम नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, madam, सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि मुझे बोलने का नम्बर दिया जाएगा या नहीं, तो आपने कहा कि पार्टी से नाम नहीं आया है। ये नाम कौन से कायदे से आने लगे?

श्रीमती सभानेत्री : पहले अपनी अपनी पार्टी की तरफ से भेज देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह पार्टी से नाम कैसे आने लगे?

श्रीमती सभानेत्री : जितने भी बोलने वाले हैं समय के अनुसार उनकी पार्टी की तरफ से नाम आते हैं। आपकी पार्टी से भी नाम आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में तो एक ही कायदा लिखा हुआ है कि जो स्पीकर की आई पहले कैच करे...

Page No. 92

श्री बलपतसिंह (डाबू) : I have caught the eye of the Chair and I have a right to speak.

श्री भैरोंसिंह: You are very fortunate that you have caught her eye, यह मतलब नहीं है। मेरा कहना यह है कि रूल्स में तो इतनी सो बात लिखी है कि स्पीकर जिसको सबसे पहले देख ले उसी का नाम ले।

श्रीमती इन्दिरादेवी : सबसे पहले ही देखने की बात हो तो शायद आपकी तरफ तो देखना ही न हो, आपको भी नम्बर नहीं मिलेगा।

श्री बलपतसिंह (डाबू) : सभापति महोदया, आज हमारे बजट के बारे में बातचीत चल रही है। आज हम पुराने इतिहास से जब याद करते हैं, अब तक जितने भी हमने पाठ पढ़े हैं उनको याद करते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो भी राज्य चलाता है वह राज्य के अन्दर सुख शांति के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके खाने पीने के साधन जुटाने के लिए और हर तरीके के साधन जुटा करके अपने राज्य के अन्दर बसे हर भाई को सुखी रखना चाहता है। आज भी जो हमारी सरकार चल रही है उसके सामने भी यही मुख्य लक्ष्य है कि हर एक भाई को अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले और वह अच्छे ढंग से इस संसार में रह सके। मुझे याद आती है एलेग्जेण्डर की कहावत: If any administrator is not criticised he is not a Good administrator.

यह एक सरल सी बात है कि हर एक राजा को या राज्य चलाने वाले को क्रिटिसाइज कर दिया जाये, यह एक मामूली बात है। सभापति महोदया, आज दस साल के बाद में राजस्थान के अन्दर हम देखते हैं कि चाहे एग्रीकल्चर सैक्टर हो या इन्डस्ट्रीज का सैक्टर हो या पॉवर का सैक्टर हो, जहां कहीं भी हम देखते हैं तो यही देखते हैं कि राजस्थान ने आगे कदम बढ़ाया है। इसमें कोई शक नहीं कि आज आप देखेंगे कि आज से १० साल पहले राजस्थान में पानी के साधन नहीं थे, बांध नहीं थे, एनीकट्स नहीं थे, आज कम से कम जगह जगह बांध बन रहे हैं। बान्धों के कारण पॉवर की सप्लाई हो रही है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जगह जगह ट्यूब वैल्स खोद कर भूमि को कल्टीवेबल बनाने के लिए राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है। आज हिन्दुस्तान में जहां कि १०-१२ साल पहले एक ववकल नहीं बनता था उसी हिन्दुस्तान के अन्दर हवाई जहाज, बढ़िया-बढ़िया मशीनें बनना शुरू हो गई है। आज सभापति महोदया, एक तरफ यह नारा है कि देश का जवान किस सैक्टर में भी खड़ा हुआ है उस सैक्टर के अन्दर खूब काम करे और देश की पैदावार को आगे बढ़ाये। इसमें कोई शक नहीं है कि खेती करने वाले तन मन से रात-दिन पसीना बहाकर फूडग्रेन्स को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधान ने कहा था देश का जवान देश के अन्दर एमर्जेन्सी के टाइम में और हर टाइम में अपने से एन्थुजियाजम के साथ काम कर रहा है दूसरे देशों से मुकाबिला करने के लिए। अमेरिका या दूसरे देश क्या बन्दूक देते हैं, क्या तोप देते हैं, उसकी तरफ आंख नहीं रखता है। आज हमारा जवान कारखानों के अन्दर १२-१२ घन्टे काम करके अपने ऑनर्स के साथ में कोआपरेशन करके उत्पादन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि हमारे देश में अच्छे से अच्छे कारतूस वह तैयार करे, अच्छे से अच्छा गोला-

(श्री दलपतसिंह)

बारूद तैयार करे और देश पर आने वाली आफतों का मुकाबिला करे। यह सब जिम्मेदारी किस के ऊपर है ? यह हमारे ऊपर है। हम समाज के वर्कर्स हैं। हम जिस तरीके की क्रान्ति समाज में लाना चाहते हैं उसी तरीके से देश और समाज आगे बढ़ता है। मुझे कल यहां पर यह देखकर बहुत दुख हुआ कि हमारे समाज के कुछ तत्व हमारे समाज के भोले-भाले आदमियों को जो कि अपने सैक्टर में काम पर लगे हुए थे उनको उकसा कर यहां ले आये। मैंने यहां पर कल स्पीच सुनी, मजदूरों का जुलूस चल रहा था तो हमारे साम्यवादी भाई बोल रहे थे। जिस तरीके से वे बोल सकते थे उसी तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ और सुखाड़ियाजी के खिलाफ बोल रहे थे। मैं कहता हूं कि हर गवर्नमेन्ट में opposition is just like a break to check the car. मैं यह कहूंगा कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक बोलें, लेकिन क्या थोड़ी बहुत भी राज्य सरकार की तारीफ न करें।

कोटा के अन्दर आज से ५ साल पहले बिलकुल ही इन्डस्ट्रीज नहीं थी, वहां पर एम्प्लायमेंट का प्रश्न था। आज वहां पर सरकार मजदूरों के एम्प्लायमेंट का प्रश्न हल कर सकी है। राजस्थान में मजदूरों को काफी पर्सेन्टेज में एम्प्लायमेन्ट मिला है। भोले भाले लोगों के साथ स्टण्ट खेला जाता है। यहां पर गवर्नर की स्पीच हो रही थी, एक्जाम्पल के तौरपर ही मैं यहां उसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों ने काफी इस पर बहस करली है, कम्युनिस्ट और सोशियलिस्ट इस देश के अन्दर केओस और एनार्की पैदा देना चाहते हैं। वह देखिये बंगाल में क्या हो रहा है। वहां पर होटलें लूट ली गई हैं। ट्रामें बन्द करवा दी गई हैं। जो हालत हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों की है वही राजस्थान के अन्दर यह करवाना चाहते हैं, किसान की कोई परवाह नहीं है कि कांग्रेस किधर जारही है, उसको कोई परवाह नहीं है कि जन संघ किधर जा रहा है। उसको परवाह नहीं है कि स्वतन्त्र पार्टी या दूसरी पार्टी क्या काम कर रही है। मैं राज्य सरकार को सतर्क रहने की बात कह रहा हूं कि पता नहीं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं देखता हूं कि कम्युनिस्ट लोग भोली भाली प्रजा को जिधर चाहेंगे उधर चला देंगे। आज का किसान १० साल पहले केवल गुलाम था। उसके खेत पर खातेदारी राइट्स नहीं थी। उसको यह भरोसा नहीं था कि जो कुछ काम कर रहा है खेत के अन्दर या जो कुछ कैपीटल यह लगा रहा है वह सेफ है कि नहीं। अब किसान स्वतन्त्र हुआ है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का क्या श्रेय था, लेकिन वे भोले-भाले लोगों को इधर-उधर उकसा कर सरकार की खिलाफत करवाना चाहते हैं। कल जो नाटक हमने देखा उससे लगता है कि उन गरीब लोगों को पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। उन गरीब लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि सरकार उनके लिये क्या कर रही है। सरकार सब कुछ कर रही है। वह उनके लिए, फूड सप्लाई करने की कोशिश कर रही है। किसान के लिये वह क्या कर रही है ? किसान के लिये वह बान्ध एनीकट्स, ट्यूबवैल्स बनवा रही है, फर्टीलाइजर्स दे रही है, बैटर सीड्स दे रही है, सारा काम कर रही है। लेकिन मैं सरकार को सचेत करता हूं कि ऐसे जो तत्व आज जिस प्रकार से काम कर

(श्री दलपतसिंह)
रहे हैं उनसे गांवों की शान्ति भंग होती है। उनसे सचेत रहना चाहिये।

इतना ही कहकर मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बजट जो बनता है वह हमेशा अपनी अपनी इन्कम के ऊपर बनता है। स्टेट की इन्कम अलग होती है और इन्डिविजुअल की इन्कम अलग होती है। इन्डिविजुअल के जिस तरीके के इन्कम के सोर्स होते हैं उसी के अनुसार वह अपना एनुअल बजट बनाता है। राज्य सरकार भी जितने भी सोर्सेज होते हैं उन्हीं सोर्सेज को देखकर अपनी स्टेट का वह बजट बनाती है। अगर इन्डिविजुअल घाटे में चला आरहा है तो इन्डिविजुअल खुद ही दीवालिया हो जायेगा लेकिन अगर राजस्थान गवर्नमेन्ट या किसी गवर्नमेन्ट का बजट बनता है तो वह अगर घाटे का होता है तो उसके और कोई सोर्स पर टैक्स लगाकर उस बजट को इक्वल करना पड़ता है। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेन्ट का जो बजट बना है वह घाटे में चला गया है तो इस टाइम में १ करोड १२ लाख और सरप्लिंग जो कुछ भी है उसके टैक्सेज लगाकर उससे वसूल हो जायेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्रीजी, कि बजट का साइन्टिफिक दायरा यह है कि आप यह देखें कि किस सेक्टर में पैसे का फ्लो ज्यादा होता है और जिस सेक्टर में पैसे का फ्लो ज्यादा होता है उस पर ज्यादा पर्सेन्टेज में टैक्स लगाना चाहिये, लेकिन आज इस हमारे बजट के अन्दर जहां तक मैंने देखा है, पाया है कि सब से लोअर सेक्टर पर बजट का भार है। गांवों के अन्दर जो गरीब किसान रहता है उस पर ज्यादा भार है। आपने सुना होगा कि Peasant is the backbone of the country and the whole Plan will weaken if the peasent is weakened.

तो मेरा यह निवेदन है कि गांवों में जो कि backbone of the country है वह रीढ की हड्डी टूट जायेगी तो सारे देश के प्लान पर भार पडेगा, सारे देश की इकोनोमी पर भार पडेगा। गांव वाले पोलिटिकली, सोशियेली, इकोनोमिकली फ्री नहीं होंगे तो उनके प्रोडक्शन पर हिट होगी। मैं एक छोटी सी एक्जाम्पल देना चाहता हूं इसके बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमनें फर्टीलाइजर दिये हैं, सीड दिये हैं और सब तरीके से काफी काम कर रहे हैं। मैं वापिस उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपको कम से कम देखना चाहिये रिजल्ट कि आज काश्तकारों की पोजीशन क्या है। आज ५० पर्सेन्ट काश्तकार राजस्थान के अन्दर अपने फार्म्स को सक्सेसफुली चलाते हैं कि नहीं। एग्रीकल्चर फार्म के अलावा मिक्स्ड फार्मिंग जिसमें एनीमल वगैरह रखकर काम करते हैं तो मिक्स्ड फार्मिंग भी राजस्थान के अन्दर सक्सेसफुल्ली चलते हैं तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी टैक्स लगाने के अधिकारी हैं। मैं एक छोटी सी एक्जाम्पल दूंगा कि राजस्थान के अन्दर गवर्नमेन्ट ४७ फार्म चलाती है। उनमें से १८ फार्म्स आज अच्छी हालत में चलते हैं क्योंकि वहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था है और फर्टीलाइजर वगैरह डालकर वे अच्छी पैदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि दूसरे २०-२२ फार्म्स ऐसी जगहों पर हैं जहां कि बंजर जमीन है,

(श्री दलपत सिंह)

जहां कि पानी के पूरे साधन नहीं हैं और सी क्लास लैण्ड थी जिसको कि हम बंजर लैण्ड कह सकते हैं। वे फार्म्स सिर्फ इस लिये वहां पर हैं कि वे जमीनें बिना नाम की काश्तकारों की जमीनें एक्वायर नहीं की गई हैं। ऐसे फार्म बंजर जमीनों में थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती समानेत्री: आपको समय की याद दिला दूं।

एक माननीय सदस्य: अभी तो भूमिका ही चल रही है।

श्री दलपतसिंह: आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान गवर्नमेन्ट की पॉलिसी यह थी कि बंजर जमीन को जोत कर उस पर फार्म बना कर फूड की जो कमी चल रही उसमें सहयोग दिया जाये और जिन प्रदेशों में फूड के बारे में आन्दोलन चल रहे हैं उनको भी सप्लाई किया जाये। उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है इसलिए उनमें ज्यादा कैपिटल डालने की जरूरत पड़ी। इसमें कोई शक नहीं है, वित्त मंत्रीजी, मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जैक्ट है कि जिसके अन्दर ० साल के बाद भी आदमी साइन्स की नई ड़ी को सीखता है। It is full of periments for the whole of life. क्राप करने के बाद वह देखता है कि इस ल बराबर जमीन नहीं खड़ी थी। उस इस में से खाद बराबर नहीं डाला था, बराबर परेशन नहीं करने से इकोनोमिक हालत में आता है। सुबह और शाम के ओपरेशन फर्क पड़ जाता है। क्राप का पैटर्न बनाने फर्क पड जाता है अच्छा बीज और पूरा पानी नहीं होने से भी नुकसान होता है। लेकिन आज आप मान लीजिये कि एक काश्तकार का बच्चा अच्छी कालेज में पढ कर घर पर आता है, मैं गारन्टी से कहता हूं कि वह कैपिटल लगा कर १० साल में भी रिटर्न प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिये इन्वेस्टमेन्ट करना पड़ता है, प्लाट को समतल करना पड़ता है, मेड़ बन्दी अच्छी करनी पड़ती है और इन सब में आरम्भ में रुपया खर्च करना पड़ता है। गांवों के किसान हमसे ज्यादा होशियार हैं। काश्तकारों की क्षमता किसी से भी कम नहीं है। वे जानते हैं कि किस टाइम खाद देना चाहिये, किस टाइम पानी देना चाहिये, किस टाइम क्या करना चाहिये, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। जितनी आप उनको तकावी देते हैं, उससे उनका काम नहीं चलता। यह भी सच है कि इससे अधिक तकावी आप दे भी नहीं सकते क्योंकि राजस्थान की जनता ज्यादा है। इसमें भी शक नहीं कि प्लान्ट प्रोडक्शन की दिशा में साइन्टिफिक तरीके से रिसर्च करके बीमारियों के रोक थाम का उपाय किया है। कोटन में कीड़ा लग रहा था, भीलवाड़ा क्षेत्र में वहां पर आपने हवाई जहाज से दवाई छिड़क कर कोटन की क्रोप को बचाया। जहां तक बन पड़ता है आप पोवर सप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन पर्सेन्टेज आफ कैपिटल इन्डिविजुवल काश्तकार को कम मिलता है इसलिये जो इकोनोमिक रिटर्न मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। इस कारण से काश्तकार अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढा सकता, उनको अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता, उनके लिए अच्छी ओषधियों की व्यवस्था नहीं कर सकता। और जो एफीशियेन्सी उच्च क्लास में होनी चाहिए, वह एफीशियेन्सी उनके बच्चों को देने में वित्त मंत्रीजी आयन्दा ४० साल लगेंगे (हियर-हियर)।

Page No. 96

(श्री दलपतसिंह)

मैं बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालौर आदि के लोगों की क्या हालत है। जालौर में ट्यूब वैल्स काफी तादाद में हैं, वहां पर आपने लैण्डलैस टिलर्स को जमीन भी दिखाई है, ५-१० साल से उनके पास जमीन है लेकिन आज उनकी यह हालत है कि अहमदाबाद में जाकर कोयले का ठेला चलाते हैं और रोज ३) रोज कमाते हैं क्योंकि पोपुलेशन बढ रही है, यह भी एक समस्या हमारे सामने है। इससे मैं यह नहीं कहता कि राज्य सरकार की तरफ से कसर है लेकिन गांवों में जो इकोनोमिक होल्डिंग है वह इतना कम है कि अच्छी तरह से मशीन आदि लगा कर खेती नहीं की जा सकती। फ्रेगमेन्टेशन आॅफ होल्डिंग्ज इतना है कि जिसके कारण हम चाहते हैं उस माफिक नहीं होता। इसके लिये या तो यह होगा कि गांवों को सूना करना पड़ेगा, गांवों में वही रह सकते हैं जो खेती करना जानते हैं। जिस तरह से अमरिका में हुआ। अमेरिका में क्या हुआ? वहां पर ४० साल पहले ६० परसेन्ट आदमी खेती के काम में लगे हुए थे, परन्तु आज वहां पर केवल १० परसेन्ट आदमी ही खेती के काम में लगे हुए हैं। वे लोग समाज में नयी क्रान्ति लाये और उन्होंने लोगों को मजदूरी करना सिखाया। हमारे यहां भी आज इन्डस्ट्रीज खुल रही हैं उनमें लोगों को लगाये बिना काम नहीं चलेगा। एक कांपेक्ट एरिया में उतने ही एग्रीकल्चरिस्ट रहें जो अच्छी तरह से मशीनें लगाकर एक कुए पर हिल मिल कर श्रम करके काम कर सकें। जब तक दूसरे आदमी के श्रम पर आश्रित रहेंगे, तब तक खेती कभी सफल नहीं हो सकती।

अब मैं ब्रोड पोलिसी पर नहीं जाक टेक्सेशन की पॉलिसी पर आता हूं। य प्रान्त के ५० परसेन्ट काश्तकार फर्टिलाइज और अच्छा सीड देने के बाद खेती के प्रोडक्स में सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं तो आप टै लगा देते तो इस पर एतराज करने का सव पैदा नहीं होता। दूसरा प्रश्न यह आता कि जो टैक्स आप लगा रहे हैं, वह इत सिम्पल होना चाहिये कि उससे परेशानी न हो किसानों पर डाईरेक्ट टैक्स १) या २) लग ताकि वह टैक्स कल्टीवेटर्स से वसूल हो सके पहले आपने टैक्स लगाया था, पर्चेज अ एनिमल्स आउट आॅफ स्टेट लेकिन अब आप यह टैक्स राजस्थान में सब जगह लगने जायगा। एक काश्तकार एग्रीकल्चर लैंड दूसरी इन्डस्ट्री एनिमल हस्बेन्ड्री लग चाहता है और if agriculture is backbone of the Country, t animal husbandry is the backb of the backbone of the Cour ऐसी कंडीशन में जो एक आदिवासी या छोटा काश्तकार और क्या छोटा आ एक गाय रख कर, एक भैंस रख कर, घोडा रखकर, एक ऊंट रखकर और २ बकरी रखकर मिक्स्ड फार्मिंग में घी बेचेगा थोडा सा डेवलपमेंट करेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पार्टी के समय में से थोडा समय मुझे और जाय। आप भी लीडर हैं We are all frie इससे टेम्पो खराब हो जाता है। कहन तात्पर्य यह है कि मिक्स्ड फार्मिंग करत अपने यहां पहले थ्योरी थी। शीप ब्री फार्म्स और गाय, भैंस, ब्रीडिंग फार्म्स च थे। आज उस पोलिसी पर नहीं चलते हैं

(श्री दलपतसिंह)

है, फिर भी यदि किसी के पास १०० बीघा या ५० बीघा का फॉर्म है तो आज की इकोनॉमी में एक गाय और एक भैंस से ज्यादा नहीं रख सकते। यदि इससे ज्यादा रखते हैं तो उसकी इकोनॉमी भी पूरी नहीं पड़ती है। इसलिये वह फार्मर मामूली इकोनॉमी में जो फॉर्म से रिटर्न मिलता है, इस इन्डस्ट्री से उसको जो कुछ मिलेगा, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन आपकी मंशा इतनी नहीं है मैं मानता हूं। लेकिन आपकी मंशा सरचार्ज लगाने की भी नहीं थी, लेकिन आपने देखा होगा कि १२ महीनों में जोइन्ट खाते अलग नहीं हुए और आपको याद होगा कि उसको आपने विषड़ा किया। जो बाहर ले जाते हैं, वे फायदा उठाते हैं। काश्तकार की गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। बेग टर्म्स रखने से नुकसान होता है। आपने घी पर टैक्स लगाया है। आप की मंशा सीधी सी है। घी पर टैक्स उससे वसूल होगा जो खरीदेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : जो, जो जो परचेज करके बेचेगा, उस पर लगेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : जिसका टर्न ओवर १२,०००) से ऊपर का है वहां वसूल होगा।

श्री दलपतसिंह : १२ हजार से ऊपर वालों से मंडियों में जाकर वसूल करेंगे, इसको जरा क्लीयर कर दें; नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके ऑफिसर घर-घर जाकर कहेंगे कि टैक्स दो ...

श्री बालकृष्ण कौल : ऐसा नहीं होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वह हम देखेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं होगा।

श्री दलपतसिंह : आप यहां पर क्या टैम्पो क्रियेट करते हैं और आगे जाकर क्या बात होती है। आज आप देखिये इसमें वर्ड्स हैं :—

"In exercise of the powers conferred by section 5B of the Rajasthan Sales Tax Act 1954"

पहले बाहर परचेज करते थे, उन पर टैक्स या अब इसको सेल्स टैक्स में डाल कर इस तरह कर दिया : "In supersession of the Notification No. F. 5(155) FD (CT) 65 dated the 4th November, 1965, the State Government, being of the opinion that is is expedient in the public interest to do so, hereby notifies that the rate of tax on the purchase of—

(i) bulls, bullocks, bull-calves and
(ii) buffaloes, sheep, goats, camels, donkeys, mules, horses and pigs (both males and females of each class including their young ones)"

अब इसमें आपने बछड़े तक को ले लिया है, कीमत तक को ले लिया है, सभापति महोदया। इसमें यदि किसी के पास अच्छा बछड़ा है उसको बेचता है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ऊंट पर भी टैक्स लगा दिया। बाड़मेर, सांचोर, जालोर आदि जिलों में २०-२० मील से ऊंट पर पानी लाते हैं और गरीब लोग इसके सहारे अपने बच्चों को पालते हैं, उन पर भी आप टैक्स लगाते हैं, उन पर तो ५ परसेन्ट क्या मैं कहता हूं १०००) रुपये भी पैदा होते हैं तो भी माफ करना चाहिये। कौल साहब, जहां पर पानी मुहैया नहीं होता है, आज आप कमोरी, शेरगढ़ की तरफ पधारें ...

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : सरकार हिजड़ी है।

श्री बलपतसिंह : वहां पर पानी आ जायगा, ऐसी स्कीम है, लेकिन उससे पहले महरबानी करके वहां पधार कर देखें . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

Ten Minutes please. Be liberal, be lenient please.

अब यह देखिये कि आदिवासी जो दो-दो बकरियां रखते हैं . . .

श्री बालकृष्ण कौल : उन पर कहां टैक्स है ?

श्री बलपतसिंह : उन पर परचेज टैक्स है। मेले में जायेंगे तो टैक्स लगेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : बनिया व्यापार करेगा, उस पर लगाया जायगा।

श्री बलपतसिंह : (व्यवधान) आर्डर! आर्डर! कमोर! प्रश्न मेरे सामने यह है (हंसी) नहीं नहीं, प्लीज ! प्रश्न मेरे सामने यह है कि वहां पर जो बछड़ी लेकर आयेगा तो लौटते वक्त अपने काम की चीज, लूण मिर्च लेकर आ जायेगा। इससे उसकी इकोनामी बनी रह जायगी। अब मेले में कोई पशु लेकर जाता है, तो वह बारह महीने तक इसलिए खिलाता है कि वह उसे अच्छा पशु बनाना चाहता है। वह उसका अच्छा ख्याल रखता है, वह बढ़िया चारा खिलाता है, उस पर मेहनत करता है और बढ़िया रजका और दाना देकर यह एक्सपेक्ट करता है कि उसको उस बछड़े के एक हजार रुपये मिल जायं। एक हजार रुपये वह उस बछड़े के लेले। आप देखें कि आपने सांचोर और पहाबर में भारी टैक्स लगाया, जिसमें गुजरात में जो बहुत बड़ा मेला भरा करता है वहां पर पशु जा रहे थे, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, क्योंकि आप बाद में कह देते हैं कि एप्लीकेशन करा देना, वह पैसा वापिस कर दिया जायेगा। तो लास्ट ईयर जो आपने सरचार्ज लगाया, वह उन सब व्यक्तियों से ले लिया गया, लेकिन उसका रिटर्न नहीं होता है। आप भले ही यहां कह देते हैं कि रिटर्न कर दिया जायगा लेकिन वहां पर नहीं होता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आपका जो भी टैक्स हो, वह सिम्पलीफाई होना चाहिए।

इसके सैकिण्ड में लिखा है:"In case the purchase of such animals takes place in any cattle fair, at the point of last purchase in such fair."

चूंकि लास्ट परचेज पर टैक्स लगेगा, तो देखने वाली बात यह है कि लास्ट परचेज से मतलब यह हुआ कि मैंने कोई पशु लिया और मैंने लेकर रघुनाथ विश्नोई को दे दिया और रघुनाथ विश्नोई ने रविशंकर याज्ञिक को दे दिया, he can take the tax three times तो यह सिम्पलीफाई होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन चीजों को आप क्लेरीफाई करें, मेरा मतलब क्लेरीफाई करने से यह है कि जैसे आपने वीं के लिए फरमाया . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री बलपतसिंह : मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदया।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको इस विषय पर कहने का मौका कट मोशन के वक्त मिलेगा। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दलपत सिंह : मैं डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के बारे में दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री बालकृष्ण कौल: (वित्त मंत्री) : इसके ऊपर कट मोशन पर, अपनी डिमाण्ड पर बोलें ।

श्री दलपतसिंह :Thank you Kaul Sahib

श्रीमती लक्ष्मीदेवी : आपके पक्ष के ही हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल :He is developing the point.

श्री दलपत सिंह : हां, हां । Thank you. Thank you मेरा प्रश्न यह था····

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : अब सुनने के आदी हो गए हैं ।

श्री दलपतसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, इस तरह यह जो है लास्ट पर्चेज हो जाय, इसको आपने सिम्प्लीफाई कर दिया, इसी तरह पी के मामले को भी सिम्प्लीफाई कर दीजिए ।

एक जो यह आपने तेल के ऊपर टैक्स लगाया है । मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि घाणी जो गांव में रहते हैं और तेल का उत्पादन करते हैं, यह काटेज इंडस्ट्री का एक तरीका है और बारह महीने में एक महीने तेल का धन्धा आता है । प्रश्न यह है कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने भी पिलर्स और स्टार्स हैं, उनको खत्म करके इन उद्योगों को बढ़ाना है । यह जो घाणी हैं उनके पास इस उद्योग के अलावा कोई काम नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके इन घाणियों के ऊपर टैक्स लगाकर इनको मत लुटवाइए, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता । मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि घाणियों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए । मैं ज्यादा पांइन्ट्स में न जाकर एक सबसे बडी बात अर्ज करूंगा कि जहां टैक्स का बोझ डालना जरूरी है, वहां कई चीजों में इकॉनामी लाना भी जरूरी है । इसके लिए मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो डिसेन्ट्रलाइजेशन का बिल हमारे राजस्थान के अन्दर १९५९ के बाद में इन्ट्रोड्यूज हुआ और तब से पहले गांवों में क्या होता था ? लोग एक दूसरे के साथ भाई चारे का बर्ताव करते थे, लोग भाई-भाई के तरीके से गांवों में रहते थे । मैं यह मानता हूं कि इस बिल का उद्देश्य बहुत अच्छा था कि गांव-गांव में हर एक मनुष्य की यह जिम्मेदारी बन जाय अगर राजस्थान गवर्नमेन्ट कोई काम करती है तो वह सिर्फ राजस्थान गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी न बने बल्कि राजस्थान के गांवों में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेदारी बन जाय ।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टरसाहब सुनें तो सही ।

श्री दलपत सिंह सुन लेंगे ।Dont worry

तो राजस्थान के प्लान्स को पूरा करने की राजस्थान सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बने, बल्कि राजस्थान के एक-एक गांव के लिये जो प्लान बन रहे हैं, उनमें हर एक अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करे । मेरा गांव है इस लिये इसको उन्नति की ओर बढाना मेरा काम है, यह भावना हो । लेकिन मैं सही तस्वीर, जो गांव की आज है, को बताये बिना नहीं रह सकता । मैंने गांव

(श्री दलपत सिंह)

गांव में दूर किया है और आज पन्द्रह साल से मैं इलेक्शन लड़ता आया हूं। मैंने देखा कि पहले सरपंच मिल कर एक मत से रिजोल्यूशन पास करते थे, यह प्लान बना लेते थे कि हमारी तहसील में इतने कुए खोदने हैं, इतना फर्टिलाइजर बांटना है और इस तरह तकावी वितरण करनी है। इसके साथ-साथ आपने जो कलेक्टर के नीचे कई आफिस रखे हैं एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिस, उसके नीचे तहसील में सीड, अच्छे सीड वितरण करने वाला ऑफिस हो जाय। क्योंकि आप देखें कि एक बहुत बड़ी धारणा हो गई है कि सरपंच को अपने मन में सोचना चाहिये कि उसके क्या राइट हैं डिसेन्ट्रलाजेशन के प्रति। उसका फर्ज है कि जो भी गांव की भलाई के लिये चीज तय कर देते हैं, उसमें सरपंच का फर्ज है कि वह इलेक्शन का टेम्पो न देखे, बल्कि जो चीज जिस टाइम पर होनी चाहिये उसी टाइम पर वह करें। वह यह देखे कि किस काम से गांव की भलाई होती है। उसका फर्ज है कि बरसात के टाइम के आने के पहले उसे कुए खोदने हैं। मैं वित्त-मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं कि आज सरपंच पोलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए हैं। यदि किसी आदमी ने उनको वोट दिया है तो उसकी सरपंच जल्दी से तकावी पास-कराने की कोशिश करते हैं। यह परिस्थिति हमारे सामने है, इसलिये हमें सत्य की तरफ देखना चाहिये। आज जो गांवों की दशा है और जो सरपंच लोग रवैय्या अख्तियार कर रहे हैं उनको नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि कोई लैण्ड रिफॉर्म बिल आ जाय अमेरिका के अन्दर तो हम भी उसकी नकल करें और अपने यहां प्रोडक्शन प्लान आ जाय। इन सब चीजों में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता हूं। जब प्लान्स पर चर्चा करने का वक्त आयेगा तब इस विषय में कहूंगा। इस वक्त जो गांवों के अन्दर सरपंच लोगों ने रवैय्या अख्तियार किया है उस पर विचार करना चाहिये। इसी तरह पंचायत समिति की मीटिंग में जो तय होता है, वह हुआ या नहीं हुआ, यह देखना प्रधान का फर्ज है। इसके अलावा कोई और दूसरा प्रश्न उसके लिए हो नहीं सकता। उसको गांवों के डेवलपमेन्ट के तरीके साथ में सोचना चाहिये। राजस्थान के प्रधान का यह फर्ज है कि जो सरपंच पंचायत समिति में बैठ कर पंचायत समिति की उन्नति के लिये रिजोल्यूशन पास करते हैं उसमें प्रधान को सिर्फ इतना ही देखना है चाहिये कि जो फर्टीलाइजर के लिये तय हुआ या वह हुआ या नही। और जब तीन महीने के बाद में मीटिंग होती है उसके पहले उसको यह देखना है चाहिये कि जितना रिजोल्यूलन पास किया था उसके अनुसार काम हुआ या नहीं। वर्ना परिस्थिति यह है, मैंने जहां तक देखा है, सीमेन्ट को परमिट के लिए, तकावी के लिए चार-चार महीनें तक कमेटी नहीं बैठती है, क्योंकि उसका इलेक्शन नहीं होता है। मैं नें कई डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर देखा है कि दस-दस महीने तक कमेटी का इलेक्शन नहीं होता है इसलिये यह गड-बडी हो रही है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट और लूंगा, I will conclude my speech within two minutes. I will not touch other aspects वह अर्ज यह है, वित्त मन्त्रीजी, इन ब्लॉक्स को बिल्कुल सिम्प्लीफाई कीजिये; तोडिये या कुछ भी करिये। मेरा कहना सिर्फ यह है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट का जो पैसा

(श्री दलपतसिंह)

खर्च हो रहा है वह डेवलपमेन्ट भी लगना चाहिये। पोलिटिक्स में किसने वोट दिये या नहीं दिये, इसका ख्याल न करके चुनाव के बाद में सब में एक स्पोर्टसमैन स्प्रिट होनी चाहिये। माननीय सदस्यों, को चुनाव को फुटबाल के खेल की तरह लेना चाहिये कि खेल हो गया; उसके बाद Three cheers for the team, hip hip hurrah उसके बाद में एक हो जाना चाहिये, सब दलों को एक हो जाना चाहिये जनता की भलाई के लिये। जनता के प्रतिनिधियों को यह नहीं देखना चाहिये कि किसने किस दल को वोट दिया है या नहीं। हम जनता के रिप्रेजेन्टेटिव हो जाते हैं तो हमारा यह फर्ज है कि हम जनता के बेटरमेन्ट के लिये, उसकी भलाई के लिये आगे बढ़ें। मानवता वही है, महात्मा गांधी ने कहा है "Great man is he who wins other people's heart"

मानवता के सामने वह झुक जाय। अगर किसी का दिल किसी से नाराज है, तो इस तरह से प्रतिनिध को रहना चाहिये कि वह जो समस्या बताये, जो काम बताये उसको करे और उसके दिल को जीते और सोचे कि पहले जिस तरह सोचते थे उसमें हमने गलती की थी। इस तरह सोचना गांव के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, राजस्थान के लिए अच्छा है और प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। मेरा निवेदन है कि आप ब्लॉक्स तोडिये। क्योंकि जो तहसील है उसमें जो तीन-चार साल से ब्लॉक्स काम करते हैं राजस्थान के अन्दर उनके स्टेटिस्टिक्स को देख लीजिये, कि पेट्रोल में कितना खर्च हुआ है। हमारे यहां के काश्तकार कभी भी सुस्त नहीं रहे हैं, कौल साहब वह पांच मील बनिये से कर्ज लेने के लिये चले जाते थे, फर्टीलाइजर के लिये तथा और साधन जुटाने के लिये दस मील चले जाते थे। आपके जो ब्लॉक्स हैं, वे तीन-तीन मील पर हैं। आप कोई ऐसा ऑफिस रखिये जिससे काश्तकार को तकावी मिल जाय, पैसा मिल जाय। मैं तो यहां तक कहूंगा, सभापति महोदया, आज जिस तरह प्लान चल रहा है, मेरा नम्र निवेदन है कि जो गरीब है, एवरेज पचास प्रतिशत काश्तकारों को दिक्कत है। तो जिस तरह से आपने डीसेन्ट्रलाइजेशन बिल पास किया था, कौल साहब, मेरे कहने से आप यह इन्ट्रोड्यूज करें कि काश्तकारों को कुए खोद कर दे दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ दो मिनट।

श्रीमती सभानेत्री : I am very sorry

श्री दलपतसिंह : कुए खोद कर गवर्नमेंट उन्हें दे दे तो जो पानी के सिलसिले में काश्तकारों को दिक्कत है वह दूर हो और प्रोडक्शन में फायदा रहे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री किशनसिंह।

(श्री मूलचन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री किशनसिंहजी को बोलने दीजिये।

श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदया, मैं सरकार को धन्यवाद तो देता हूं किंतु धन्यवाद देने के साथ ही सरकार से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने शिक्षा में बड़ा खर्च किया है, लेकिन मैं सरकार से यह कहूंगा कि गांवों में कितना खर्च किया इसका हिसाब आपने नहीं बताया है। मैं सरकार से यह अर्ज करूं कि गांवों से हम लोग आते हैं मिडल स्कूल की अर्ज लेकर, लेकिन मिडल स्कूल के लिये कहा जाता है कि हमको मकान दो। मकान हम बनायें, उसके बाद

(श्री किशनसिंह बाटड)

कहते हैं कि पांच हजार रूपया लाओ। पिछले साल हमको ग्यारह हजार तक के लिये लिख कर देना पड़ा था। तो मिडल स्कूल खोलने के लिये हम मकान बनायें, हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए हम मकान बनायें और सरकार को दें, उसके बाद सरकार स्कूल खोले-यह भी सरकार की मर्जी पर होता है। हमने मकान बना बना कर सरकार को दिये हैं स्कूलों के लिये मकान, मगर सरकारने वहां पर स्कूल नहीं खोली। हमने हायर सैकेन्डरी के लिये मकान बना कर दिया। बलारा में एक लाख का मकान बना कर सरकार को सुपुर्द किया और सरकार ने लिख कर दिया कि हम स्कूल खोल देंगे लेकिन आज हम देखते हैं कि उस बात को चार साल हो गये हैं मगर हमारी सरकार ने अभी तक वहां पर स्कूल नहीं खोला। १॥ लाख रुपया लगाया। मकान बनाने से पहले हम भी सरकार के पास गये। सरकार ने कहा कि वहां पर मकान बना लिया जावे। वहां पर नींव का पत्थर सी एम. ने रखा और "कहा कि मकान बना लो"। हम जब मकान बन जावेगा तो वहां पर हायर सेकन्ड्री स्कूल खोल देंगे मकान हमने बनाया तैयार किया उसको आ पांच वर्ष हो गये हैं, वह मकान पडा हुआ है लेकिन स्कूल नहीं खोली। हमारी सरकार ने गांव वालों के लिये बहुत कुछ कर रखा है। हमारी सरकार कहती है कि हमने स्कूलें खोलीं और शिक्षा का प्रसार किया। सरकार के सामने में एक स्कीम रखता हूं और वह यह कि गांव में पांच वर्षों से लगाकर १६ वर्षों के बच्चे और बालिकायें हैं उनमें से कितने पढ रहे हैं और कितने नहीं पढ रहे ह और कितने बालिकाओं के लिये पढाई का प्रबन्ध है और कितनी पढ रही हैं और नहीं पढ रही हैं तो उसका क्या कारण है इसका पता लगाया जाए। आया उनके मां बाप नहीं पढाते हैं या उनकी आर्थिक हालत उनको पढाने के लिए उनको अलाउ नहीं करती है। यह जानकारी सरकार करे तो सरकार को मालूम होगा कि देहातों में लोगों को क्या हालत है और वहां पर शिक्षा की क्या हालत है।

आज हम देखते हैं कि शहर की जनता के लिए सब तरह का प्रबन्ध है। गांव वाले बहुत गरीब हैं अगर कोई थोड़ा बहुत पढ-लिखकर शिक्षा ग्रहण करे तो ज्यादा से ज्यादा वह मास्टर बन गया। इसके साथ-साथ आप शहर वालों को देखिए उनके लिए कितने साधन हैं। गांव वालों के लिए यहां पर कोई छात्रावास नहीं। आज जब गांव के लोग पढने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जावें तो उनको वहां पर रहने के लिए छात्रावास तो चाहिए। उनको किसी न किसी तरह से रहने के लिए जगह चाहिए। मगर हम देखते हैं कि उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। यहां पर शहर में अगर कोई काम कराना हो तो मानक चोक की चोपड़ पर सरकार के खिलाफ भाषण देते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं और जिनको हम विरोधी पार्टी वालेको कहते हैं वे उनको सुनाते हैं जैसे स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ और उनसे सब से ज्यादा फायदा उठाते हैं। मामला कोई और ही है। पता नहीं क्या हो रहा है। समझ में नहीं आता कि जनतन्त्र का क्या हो रहा है? आज जनतन्त्र की मजाक हो रही है। आज हम कहते हैं कि किसानों के पास धन नहीं ह और एक तरफ सरकार से पैसा लेकर शहर वाले मजे उडाते हैं। यहां शहर के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है

(श्री किशनसिंह बाटड)

और दूसरे सभी तरह के लाभ सरकार शहर वालों को देती है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने किसानों के पुराने हल हैं उनके स्थान पर कोई नए हल दिए हैं जमीन जोतने के लिए ? आज उन किसानों के पास बाबा-आदम के जमाने के हल हैं। आज हम देखते हैं कि किसानों को उन्हीं पुराने हलों से खेती करनी पडती है और वे बरबाद हो रहे हैं। आज किसान को सामान नहीं मिला है। आज उन लोगों के पास पुराने हल हैं वे ही पडे हुए हैं और बिल्कुल बेकार पडे हुए हैं। क्या सरकार ने किसानों के लिए हल का प्रबन्ध किया है जिससे वे भूमि पर सुधार कर सकें ?

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि न तो शिक्षा के मामलों में कोई सुधार हुआ है न भूमि सुधार के मामलों में कोई सुधार हुआ है और न होने वाला है।

आपने टैक्स लगाये हैं मगर उससे क्या किसानों को आराम मिलेगा ? मैं यह कहूंगा कि किसानों से टैक्स लेते हैं तो आपको चाहिए कि किसानों के लिए कोई अच्छी स्कीम लाते जिससे उनको महसूस होता कि हम यह आराम के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपने इस प्रकार का प्रबन्ध किया है कि किसानों के बच्चों को शिक्षा के लिये वजीफा मिलेगा जहां कालेज हैं, उन कालेजों के पास क्या आपने किसानों के बच्चों के लिए छात्रावास खोले हैं या यह व्यवस्था की है कि इतने किसान छात्रों को छात्रावासों में जगह मिलेगी, क्या इनके लिए आपने छात्रावास बनाए हैं, मगर नहीं बनाए हैं तो क्या आप यह कहने को तैयार हैं कि किसानों के बच्चों के लि छात्रावास बनायेंगे ? आखिर हम जाकर किसानों से क्या कहें ? आज तक तो हुआ जो हुआ पर आगे के लिए हम किसानों को जाकर क्या कहें ? किसानों के लिए आपने दवाई का क्या प्रबन्ध किया है कहते हो कि गांवों में औषधालय खोले हैं, पर वहां बीस बीस, पच्चीस पच्चीस वर्ष के नौजवान वैद्यों को भेज दिया, वहां वैद्य हैं, उपवैद्य हैं पर दवाइयां नहीं हैं, इसलिए वे लोग क्या करें ? इन्जेक्शन झूठे लिख देते हैं, बिल्कुल पानी के इन्जेक्शनों को लगा देते हैं और कहते हैं इन-जक्शन लगा दिया लाओ दो रुपये। तो यह सारी बातें ऐसी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

टैक्सों के लिए मेरी अर्ज है कि यदि सरकार टैक्स लगाती है तो टैक्स के लिए मैं यह पूछता हूं कि घी पर क्यों टैक्स लगाते है ? सोने पर टैक्स और लगादो ; दो गुना, चार गुना जितना चाहो उतना टैक्स सोने पर लगादो चाहे बिल्कुल बन्द ही कर दो, हीरे पर टैक्स लगाओ, जवाहरात पर आप भले ही दस गुना टैक्स लगा दीजिए, सोपस्टोन का बुरादा बना कर पाउडर बेचते हैं, चीया भाटे का पाउडर बना कर बेचते है उस पर टैक्स लगा दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने जितनी चीजें बताई, उन सब पर टैक्स है।

श्री किशनसिंह बाटड : पर घी पर टैक्स क्यों लगाते हैं ?

बड़ी नौकरियां किसानों को नहीं देते। फौजों में तो किसान आपके साथ रहेंगे पर मास्टरों में भी आप ही इनको लीजिए आपने गांवों में स्कूल खोले, पर किसानों के

Page No. 104

(श्री किशनसिंह बाटड)
बच्चे पढें कैसे, किसानों को आपने फंसा रखा है। आपने किसानों के लिए कानून बनाया था नुक्ता बन्दी का, नुक्ते बन्द करने का, क्या नुक्ते बन्द हुये हैं ? आज हम मर रहे हैं, पर भोले किसान नुक्ते कर रहे हैं। कोई बूढा मर गया तो कहते हैं इसके पीछे नुक्ता करेंगे, इससे इसको आगे जाकर मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के लिए नुक्ते करते हैं, उन गरीबों की तो मुक्ति होवेगी, क्योंकि अक्ल उनके पास है नहीं और अक्ल देने वाले अक्ल देते नहीं हैं वे देखते हैं कि मूर्ख रहेगा तो हमारे लिए ठीक रहेगा। समस्या आज यह है कि हम क्या करें।

आपकी चुनाव पद्धति के बारे में कहूंगा तो आपके एडी से चोटी तक सन्नाटा आ-जायगा। आज प्रधान और प्रमुख हैं, उनमें किसान आयगा नहीं; जो पैसे वाला है, दिल्ली बैठा है, कलकत्ता बैठा है वह आयगा, क्योंकि वोट आज बडे मंहगे होगये हैं, किसान इतने मंहगे वोट नहीं ले सकता। हमारे विरोधी पक्ष वाले नाचते हैं कि हम इतने आजायं तो भाटा फोडदें। मैं कहता हूं कुछ नहीं कर सकोगे। पहले जैसे चकचूंडिय में हींडते थे, डोलर हींडे में झूलते थे, बाहर कहीं जाते नहीं थे, उसी एक जगह घूमते थे कभी ऊपर और कभी नीचे। आज गरीब वहीं हैं जहां पहले था। पूंजीपतियों की रक्षा के लिये कानून बनाते हैं, हमारे लिये क्या कोई कानून बनाया है ? पहले अंग्रेजी में कहा करते थे डेमोक्रेसी के लिये : "By the people, for the people, of the people"

पर आज वह यों हो गया है : 'By the seth, of the Seth, on the people"

चुनावों के कानून-कायदे आपने इस प्रकार के बनाय हैं कि किसान चुनावों में आ नहीं सकते हैं। आपने करोडपतियों के फायदे के लिये बनाय हैं। पार्लियामेन्ट में हम किसानों की कोई बात पूछते हैं क्या ? कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारे किसान प्रतिनिधि वहां नहीं, वहां तो करोडपति पहुंचेंगे। अगर किसानों के प्रतिनिधियों को वहां पर पहुंचाना चाहते हैं, अगर किसानों का राज कायम करना चाहते हैं तो इस प्रकार का चुनाव का कानून और कायदा रखो कि पार्लियामेन्ट और विधान सभाओं के लि खडे होने वाले उम्मीदवार, पैदल जा जा कर अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं मोटर में बैठा हुआ कोई भी उम्मीदवार पकडा जायगा तो उसका नोमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जायगा।

श्री सम्पतसिंह (आबू) : यह है समाजवाद का तरीका।

श्री किशनसिंह बाटड : यह तो कहता हूं बापूजी ने हमें राज दिया। पहले वाले राज्य में हमारे खेत नहीं थे, हम मर्जी माफिक बो नहीं सकते थे। पहले वाले राज्य की कहानियां कहूं तो इतनी बुरी कहानियां हैं कि सुन कर रोवेंगे, रोमांच होने लग जायगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: एक कहानी तो कह ही दो।

श्री किशनसिंह बाटड: एक किसान बैल लेकर आ रहा था, अंग्रेजों का राज्य था ठाकुर ने पूछ लिया, बैल किसके हैं ? किसान ने कहा, मेरे हैं। ठाकुर ने गोली देकर पूछा "साले, कहां से लाया"? किसान ने कहा " गाली क्यों दी ?", ठाकुर ने कहा,"साले सामने बोलता है", यह पुरानी बात है, बिलकुल

(श्री किशनसिंह बाटड़)

राइट बात है।" ठाकुर ने कहा, "साले को खड़ा करो और तोप से उड़ा दो।" किसान को तोप के सामने खडा किया। गांव वाले नाराज हुए और आकर ठाकुर को कहा, "ठाकुर साहब, इसको तोप के आगे तो मत दो लेकिन ठाकुर नही माना, तोप के आगे उस किसान को दे ही दिया। तोप चली और वह किसान दारू से झुलस गया, मरा नहीं और अगलिया चलने लगा तो ठाकुर ने अपने आदमियों को कहा कि, इसको तलवार से मार दो किसी ने नहीं मारा, तो ठाकुर ने खुद ने उसको तलवार से मारा। यह घटना बलारा गांव की है। राज तो अंग्रेजों का था, ठाकुर का दोष नहीं। अंग्रेज किसी को नीचे और किसी को ऊंचे रखते थे, आज हमें अंग्रेजों का नाम बुरा लगता है, राजपूत, ब्राह्मण, जाट, मुसलमान कोई भी राजा-जागीरदार, ये तो वे हमारे पर जुल्म करते थे।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उधर वाले चाहे इधर आकर बैठ जावें, चाहे इधर वाले उधर जाकर बैठ जावें, जब तक कानून नहीं पलटेगा, कोई सुधार होने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री: पूरे पांच बज गये हैं, अगर कुछ समय तक और सुनने की राय हो तो समय बढा दिया जाये।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): अभी पांच नहीं बजे हैं, इधर वाली घडी में देखिये, वह घडी गलत है।

श्रीमती सभानेत्री: इधर वाली घडी में पूरे पांच बज गये हैं। मैं यह पूछ रही हूं कि अगर और सुनने की इच्छा हो तो समय बढा दिया जाय। लक्ष्मण पटेल और विरदारामजी के लिये पांच पांच मिनिट दे दिये जायें।

(स्वीकृत)

समय बढाया जाता है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): श्री किशनसिंह के बाद खत्म।

श्री किशनसिंह बाटड़: किसानों को साथ लेने के लिये, उनकी बहबूदी के लिये उन पर रहम करके उन पर टैक्स नहीं लगाये। टैक्स लगाते हैं तो लगाइये, लेवी पहले लगा रहे थे, आप लगाइये, पर फिर आप इस जगह आकर नहीं बैठ सकते, कोई दूसरा ही आकर बैठेगा। दूसरे लोग भी चाहते हैं कि टैक्स लगे। पिछला टैक्स लगाया था चीन के युद्ध के वक्त में, तो उस समय यहां पर जो बोलते थे टैक्स के खिलाफ और अन्दर जाकर बोलते कि टैक्स लगाओ। जब उनसे हम पूछते कि क्यों टैक्स लगाने की बात यहां कहते हो तो कहते कि टैक्स लगाओगे तभी तुम मरोगे।

मुझे तो कोई जानता नहीं। लेकिन मैंने सुना लोग कह रहे थे कि राज्य ने बडे टैक्स लगा दिये। रात को मीटिंग हो रही थी, कॉम्युनिस्ट्स की मीटिंग थी, वे गालियां दे रहे थे। इस तरह की बातें रात को वे लोग बोल रहे थे जो नहीं बोलनी चाहिए थीं। जनसंघ के भैरोंसिह सेठों के एजेंट हैं, सतीशचन्द्र अग्रवाल भी एजेंट हैं, डूंगरपुर नरेश भी हैं और कांग्रेस वाले तो उनके एजेंट हैं ही, इस तरह का बोलना कहां तक वाजिब है? आपके पास क्या कोई कानून नहीं है कि उसको रोको? हम सुनते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। सरकार ने तो किया सोच लिया, लेकिन

(श्री किशनसिंह बाटड)
यह कहां तक शोभा की बात है गाली देना : इसको आपको देखना चाहिए ।

दूसरा जो आपने किसान पर टैक्स लगाया है वह ठीक नहीं है । इसके लिए तो आपको इस तरह का कानून बनाना चाहिए कि आप बता दें कि अमुक पंचायत समिति में इतना लोन देना है ताकि उतने ही आदमी दर्खास्त दें। आप ज्यादा को क्यों बुलाते हैं ? जमीन के लिए पांच को बुलाया, पर १०० आते हैं । आप कह दें कि पांच ही आवें तो उस इलाके से पांच ही आदमी आएं ज्यादा नहीं ।

पटवारी के पास जाते हैं, नक्शा देते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री: समय तो हो गया है ।

श्री बालकृष्ण कौल: श्री किशनसिंह के बोलने तक समय बढ़ा दें ।

श्री लक्ष्मण पटेल (सिकराय-सु.): मुझे भी बोलना है ।

श्रीमती सभानेत्री: क्या सदन की मंशा है कि समय बढाया जाय पांच-दस मिनिट के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): वह परसों ही बोल लेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री: क्या सदन की मन्शा है कि पांच-दस मिनिट के लिए समय बढाया जाय ?

(दोनों ओर से हां और ना की आवाजें)

श्रीमती सभानेत्री: सिर्फ श्री विरदाराम पांच मिनट बोलें ।

श्री विरदाराम फुलवारिया (जालोर): सभानेत्री महोदया, १९६३-६४ और १९६२ में पांच हजार तक व्यापार करने की छूट दी । आपने पहले टैक्स लगाया, ३.८५ रु० फिर लगाया १७.८५ रु० आपने १९६६ में पांच हजार की छूट दी, जिसमें ५००), २००), ३००) पूरे साल में व्यापार किया उसके वास्ते टैक्स लगाया । आपने, वित्तमंत्री ने जब १९६५-६६ में टैक्स लगाया था तो तो आपने कहा था कि जो १५,०००) से कम हैं उनको छूट देंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल: वह केजुअल व्यापार के लिए है ।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : १९६५ में केजुअल लगाया । एक तरफ आप कहते हैं कि उद्योग बढ़ाएं और दूसरी तरफ सडक पर काम करने वालों पर भी टैक्स लगाया, उनको हैरान करते हो । नागौर का मेला देखो या और कोई मेला हो उस पर टैक्स वसूल करते हैं । ये छोटे छोटे टैक्सेज हैं । आपने घाणी, तेल पर टैक्स लगाया । घाणी तेल है उस पर लगाया जो नहीं लगाना चाहिए । आपने भेड-बकरी पर लगाया, लेकिन जो हिन्दुओं की माता है, गऊ माता, उस पर भी टैक्स लगाया । उन पर नहीं लगाना चाहिए, बैल पर भी नहीं लगाना चाहिए । इसी तरह से काश्तकार जो खेती करता है उससे भी टैक्स नहीं लेना चाहिए, यह काश्तकार के लिए अच्छा नहीं है । काश्तकार जानता है कि उसके पास साधन नहीं है बैल नहीं है, बीज नहीं है । अगर आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो वह अनाज ज्यादा पैदा करेगा ।

श्रीमती सभानेत्री: सदन की कार्यवाही परसों दिनांक १४ मार्च, १९६६ के सुबह ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ५ बजकर ९ मिनट पर १४ मार्च, १९६६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०० का उत्तर देखिये)

तहसील मांगरोल के गांवों के नाम जो अन-कमाण्ड क्षेत्र हैं:—

(१) नन्दपवडी	(२) ईश्वरपुरा	(१९) कंथोडी	(२०) सोरखन
(३) जैयलहेडी	(४) शिवपुर	(२१) भानपुरा	(२२) भ्रासन
(५) रामपुरा उर्फ फूलपुरा	(६) बिजोरा	(२३) खरखडा	(२४) सागाहेडी
		(२५) मिर्जापुर	(२६) मह
(७) ठारडा	(८) बून्दी	(२७) राजोडिया	(२८) चहडिया
(९) रसखेडा	(१०) खजुरनाखुर्द	(२९) हनोतिया	(३०) हनवतखेडा
(११) गोविन्दपुरा	(१२) वटावदी	(३१) हावरी नक्की जी	(३२) देवपुरासोरखन
(१३) जयनगर	(१४) हापाहेडी	(३३) धोकल खेडी	(३४) बालापुरा (रामपुरा)
(१५) मोराजडी	(१६) बावडीवलेढा		
(१७) मोहम्मदपुरा	(१८) बिलेडी		

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लघु सिंचाई कार्य का सर्वे

२१६ **श्री उदयलाल वरदिया** (लसाडिया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियों में लघु सिंचाई के जिन कार्यों में जन सहयोग प्राप्त होता है, उनका ओवरसियरों द्वारा सर्वे कराना आवश्यक है ?

(२) यदि हां, तो उदयपुर जिले में भीण्डर, धरियावद व सलूम्बर की पंचायत समिति के ओवरसियरों द्वारा अब तक ऐसे कितने स्थानों की सर्वे होकर कितना पैसा किन किन वर्षों में खर्च हुआ और उसका उत्पादन की दृष्टि से क्या लाभ हुआ ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों ही पंचायत समितियों के पहाडी इलाकों में ऐसे कई स्थान हैं जहां थोड़ी-थोड़ी रकम के सहयोग के साथ-साथ जन सहयोग प्राप्त होकर कार्य ऐसे हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ने के साथ गरीब आदिवासियों की भुखमरी भी समाप्त हो सकती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों तहसीलों में कुछ राजनैतिक कारणों से ऐसे कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जाकर टाल दिया जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

पंचायत समिति भीण्डर, सलूम्बर व धरियावद में लघु सिंचाई के विभिन्न कार्यों की सर्वे की जाकर उन पर खर्च की गई रकम की सूची।

क्रमांक	पंचायत समिति	कुल कार्य	वर्ष	रकम जो खर्च की गई	उत्पादन की दृष्टि से कितना लाभ हुआ	विशेष
१	२	३	४	५	६	
(१)	भीण्डर	२	६१-६२	१४,४००	पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र के अन्तर्गत वर्षा कम होने के कारण विशेष लाभ नहीं हो पाया।	
(२)	भीण्डर	२	६२-६३	२३,०००		
(३)	,,	२	६३-६४	७,०००		
(४)	,,	१	६४-६५	३,०००		
(५)	सलूम्बर	६	६५-६६	१८,१५०	कार्य चालू है।	
(६)	धरियावद	५	५७-५८	१३,००६		
(७)	,,	२	५९-६०	४,७४४	९० एकड भूमि अतिरिक्त सिंचन होती है।	
(८)	,,	१	६२-६३	३५०		
(९)	,,	२	६४-६५	१,२८७		

प्रतापगढ-छोटी सादडी सडक निर्माण कार्य

२२०. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ से धमोतर-छोटी सादडी सडक का काम प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ही पूरा किया जाना था? अगर हां, तो अब तक यह सडक दोनों तरफ से कितनी २ मील बन चुकी है और ये कुल कितनी मील लम्बी सडक है?

(२) क्या इस सडक का काम काफी धीमा रहा है और अभी काम दोनों तरफ से बन्द है? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या यह भी सही है कि प्रतापगढ से छोटी सादडी, बडी सादडी, निम्बाहेडा, चित्तौड आने जाने के लिये यह सडक से रास्ता काफी छोटा पडता है और इस सडक के नहीं बनने से मुसाफिरों को मन्दसौर रेल से आना जाना पडता है?

(४) क्या यह सही है कि प्रतापगढ और छोटी सादडी के बीच का पूरा इलाका आदिवासियों का है? यदि हां, तो इस अकाल के समय में इस सडक का काम क्यों नहीं चालू किया जा रहा है?

उत्तर

(१) जी नहीं। प्रतापगढ से ६ मील व छोटी सादडी से ५ मील सडक पूर्ण हो चुकी है व इस भाग की लम्बाई २७ मील है।

(२) जी हां कुछ मीलों में कार्य धीमा रहा है। कार्य दोनों तरफ से चल रहा है।

(३) जी हां।

(४) कार्य चल रहा है।

चमड़ा उद्योग

२२१. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) राजस्थान में चमडे के उद्योग को बढाने के लिये सरकार की क्या योजना है और उसमें कितने प्रतिशत कामयाबी प्राप्त की जा चुकी है?

(२) क्या सरकार के पास इस तरह के कोई आंकडे हैं कि राज्य में इस उद्योग पर कितने लोग आश्रित हैं? यदि हां, तो संख्या बताने की कृपा करें?

उत्तर

(१) चमडा उद्योग को बढाने के लिये सरकार ने तकनिकी प्रशिक्षण का प्रबन्ध कर रखा है। जयपुर में एक चर्मकला संस्थान द्वारा चमडे के जूते बनाने एवं चमडे की रंगाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पांच सामुहिक प्रशिक्षण केन्द्रों और पांच ग्रामीण कला प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चमडे का काम सिखाने का प्रबन्ध है। चमडा उद्योग के विकास के लिये उद्योग विभाग द्वारा १८,६३,६०४ रुपये का ऋण दिया गया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चर्म सहकारी समितियों को १९५५-५६ से १९६४-६५ तक १३,२९,४१६ रुपये ऋण के रूप में व १,०७,९८३ रुपया सहायता के रूप में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त खादी कमीशन व विकास विभाग द्वारा विलेज मोडल टैनरीज बनाने व फलेइंग सेन्टर्स खोलने और टैनरी के लिये बीट्स बनाने के लिये सहायता व ऋण दिया जाता है। इन

(श्री उद्योग मंत्री)

योजनाओं से चमड़ा उद्योग को काफी बढावा मिला है। मगर कितने प्रतिशत कामयाबी हुई यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।

(२) ये आंकड़ें नहीं हैं।

बीकानेर-डूंगरगढ़ सड़क निर्माण कार्य में प्रवाप्त भूमि का मुआवजा

२२२. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) बीकानेर से डूंगरगढ तक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या ११ का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ ? इस पर अब तक कितना कार्य हुआ है और उस पर कितना व्यय हुआ है ?

(२) इसका निर्माण कब तक पूरा होगा? क्या यह अभी वाहनों के आवागमन के लिये काम आने लायक हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक काम आने लायक होगा ?

(३) क्या यह सत्य है कि जहां २ धोरे (सेंडड्यून्स) हैं वहां पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या इस कार्य के लिए प्राप्त की गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब दिया गया ? यदि नहीं, तो अब कब तक दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) बीकानेर से डूंगरगढ़ राष्ट्रीय मार्ग संख्या ११ का निर्माण कार्य दिसम्बर १९६३ से आरम्भ हुआ है। २ मील ६ फर्लांग के भाग को छोड कर खड्डा पूर्ण हो चुका है। ३०,४३,७७६) रु० खर्च हुआ है।

(२) आशा है कि निर्माण कार्य वर्ष १९६६-६७ के अन्त तक पूर्ण हो जावेगा। केवल ४ फर्लांग के भाग को छोड कर सडक आवागमन योग्य है।

(३) कार्य पूर्ण है।

(४) जी नहीं--राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा दिया जायगा।

कामां-पहाड़ो ड्रेनेज केनाल का निर्माण

२२३. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि कामां-पहाड़ी ड्रेनेज केनाल का निर्माण कार्य अभी अधूरा है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां, इस जल निकास प्रणाली के डिजाइन में समय समय पर आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तन एवं संशोधन होने के कारण यह कार्य अधूरा रहा है। यथा सम्भव कार्य जल्दी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक १२ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२०९७–९८	शीर्षक	कायवाही	कार्यवाही
२०९७	२	मार्च	मार्च
२०९९	१५	श्री अब्दुल जब्बार	श्री अब्दुल जब्बार
२१००	२६	डबल्यू०	डब्ल्यू०
२१०३	अन्तिम से २	हत्वपूर्ण	महत्वपूर्ण
२११५	२०–२१	यूनिफोसिटी	यूनिफोर्मिटी
२११८	२४	रे कने	रोकने
२११९	२९	,,	,,
२१२०	७	बोर्ड	बोर्ड
,,	८	बोर्ड	बोड
,,	१४	किवा	किया
२१२१	६	मिर्धा	मिर्धा
२१२५	१५	जोहरी बाजार,	जौहरी बाजार,
२१२७	१६	सर्व	सर्व
२१२८	१७	आबू-जोधपुर	आबू-जोधपुर
२१२९	१२	ओर	और
,,	अन्तिम से ३	सेक्शन	सेक्शन
२१३१	शीर्षक	डांगी)	डांगी)
२१३४	१०	है।	है?
२१३५	६	निश्नोई	बिश्नोई
,,	८	बा ी	बनी
२१३६	७	कि हीं	किन्हीं
,,	१९	कै ेक्शन	कनेक्शन
२१३७व२१३८	क्रमशः २३ व ५	इम्पोर्टेंस	इम्पोर्टेन्स
२१३९	शीर्षक	मदेरण)	मदेरणा)
२१४१	१३	कर्तव्य	कर्तव्य
२१४२	४	पांस	पास
२१४३	११	परिशिष्ट देखिये)	परिशिष्ट २ देखिये)
२१४४	४	(सादुलपुर)	(सादूलपुर)
२१४५	शीर्षक	(श्री दिग्विजयसिंह)	(श्री विजयसिंह झाला)
२१४६	२३	काय लय	कार्यालय
२१५१	१७	श्री गोकलचन्द	श्री गोकुलचन्द
२१५४	२१	आमीं	आर्मी
२१५६	अन्तिम से ८	(I agree with it)	I agree with it.
२१६०	५	जिनत	जितने
,,	१२	म्यूनिसिपैलिटि	म्यूनिसिपेलिटी
२१६१	अन्तिम से २	वकास	विकास
२१६६	अन्तिम से ४	क बजट	का बजट]

(२)

१	२	३	४
२१६७	२१	जिम्मेद कहा	जिम्मेदारी से कहा
२१६८	अन्तिम से ८	उपाघ्यक्ष	उपाध्यक्ष
२१६९	अन्तिम से ५	इकट्ट	इकट्ठे
२१७४	४	यन-केन	येन-केन
२१७६	२०	भा	भी
२१८०	१२	मनें	मैंने
२१८१	१४	मं	में
२१८८	७	र्सविसेज	र्सविसेज
२१९०	२४	झु झुनू	झुंझुनू
२१९३	७	पड़ती	पड़ती
२२०४	अन्तिम से ५	**श्री नाथूराम मिर्धा**	**श्री नाथूराम मिर्धा**
२२०७	२२	**श्री भीमसेन**	**श्री भीमसेन**
,,	२४	झुझुनू	झुंझुनू
२२११	अन्तिम	जसिसे	जिससे
२२१२	५	मुझ	मुझे
,,	७	तुलन	तुलना
२२३१	अन्तिम से २-१	मॅटिरियल	मैटीरियल
२२३२	शीर्षक	माच	मार्च
२२३५	अन्तिम	ोतराजस्थान	तो राजस्थान
२२३७	१५	मं	में
२२३९	१४	ाथूलाल	नाथूलाल
,,	अन्तिम से ५	ीजिये	दीजिये।
२२४३	अन्तिम से ३	**श्री भैरोंसिंह**	**श्री भैरोंसिंह**
,,	अन्तिम से २	ग्रौर	ग्रौर
२२४४	७	**सभापति महोदया :**	सभापति महोदया,
२२४५	११	कुग्रा	कुग्रा
,,	२०	कूए	कुए
२२४६	अन्तिम से ९	सुखाडिया	सुखाड़िया
२२५१	५	मत्री	मंत्री
,,	अन्तिम	रण	का उदाहरण
२२५३	११	मने	मैंने
,,	१६	ा.सा	पैसा
२२५७	अन्तिम से १०	में ?	में
२२५९	११	विषग्रों	विषयों
,,	१८	कि	कि
,,	अन्तिम से ४	फोलो	फालो
२२६१	शीर्षक	ग्र य-व्ययक	ग्राय-व्ययक
,,	,,	माच	मार्च
२२६५	१५	विना	विना
२२६७	अन्तिम से ७	स्वर्गी ा	स्वर्गीय
२२६९	अन्तिम	कसे चलायेंग ?	कैसे चलायेंगे ?
,,	,,	कहन	कहना

१	२	३	४
२२७१	५	परानी	पुरानी
,,	७	रु ाये	रुपये
,,	१२	देत	देते
२२७५	अन्तिम से १३	ठीफ	ठीक
२२७६	६	यूनिवर्सिटि	युनिवर्सिटी
२२७७	७	में ो	में ही
२२७९	४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२२८०	शोर्षक	अ ेतर	अग्रेतर
२२८१	अन्तिम से १०	मदजूरों	मजदूरों
,,	अन्तिम से १	देना	कर देना
२२८२	अन्तिम से १०	लोगों की	लोगों को
२२८३	१०	हाते	होते
२२८७	अन्तिम से १५	अमरिका	अमरीका
२२८९	१	हैं, फिर भी	फिर भी
२२९०	१३	that is is	that is
,,	२३	इसम	इसमें
,,	२६	टैक्ा	टैक्स
२२९१	१६	अ डंर	ऑर्डर
२२९२	११	इाके	इसके
,,	१७	ैंने	मैंने
,,	अन्तिंन से ३	दूंगा	दूंगी
२२९३	,, १०	लााया	लगाया
,,	,, २	पारा	पास
२२९४	,, १०	श्री दल ािह सुन लेंगे।	श्री दलपतसिंह : सुन लेंगे।
२२९६	,, १४	लिऍ	लिए
,,	,, १२	मैं नें	मैंने
२२९९	,, ३	आ	आज
,,	,, १२	ह और कितनें	हैं और कितनी
२३००	,, ३	ह	है
२३०१	शीर्षक	माच	मार्च
२३०२	१	लि	लिए
,,	१३	इनजक्शन	इन्जेक्शन
२३०४	२ व ४	बनाय	बनाये
,,	१३	लि	लिए
,,	अन्तिम से ४	न कहा	ने कहा
२३०६	२	दिय	दिये
२३११	१	समय म	समय में
,,	८	सर्व	सत्र